भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2012-13

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बदलता परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1990 में कई आर्थिक सुधारों जिनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को खोलना, विनियमीकरण, निजीकरण, टैक्स सुधार, मुद्रास्फीति नियंत्रण उपाय आदि शामिल हैं, के साथ वैश्वीकरण का रास्ता अपनाया जिससे भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातों की सम्मिश्र वार्षिक वृद्धि 1980 के 8.5 प्रतिशत से बढ़कर सुधारों के लागू होने के बाद के दशक अर्थात 1992-93 से 2001-02 के दौरान 10.0 प्रतिशत हो गई तथा उसके अगले दशक अर्थात 2002-03 से 2011-12 में इसने लगभग दुगुनी अर्थात 21.6 प्रतिशत की सम्मिश्र वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है जो इस तथ्य से रेखांकित होता है कि जी डी पी में व्यापार तथा सेवाओं का प्रतिशत 1992-93 के 18.3 प्रतिशत से तीन गुने से ज्यादा बढ़कर 2012-13 में 55.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। वैश्विक बाज़ार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते जुड़ाव ने भी अर्थव्यवस्था में तेजी तथा उच्च निवेश प्रवाह को सहारा दिया है।

भारतीय पण्य निर्यातों में सशक्त वृद्धि के साथ-साथ वैश्विक निर्यात बाजार में भी भारत का हिस्सा बढ़ा है जो नए बाजारों के उदय, भारतीय निर्यातक कंपनियों द्वारा वैश्विक मांग के अनुरूप वृद्धिशील अनुकूलन तथा इन सबके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रणाली की उपलब्धता को रेखांकित करता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 1990 में वैश्विक निर्यात व आयात में भारत का हिस्सा जो क्रमश: मात्र 0.5 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत था, 2012 में बढ़कर क्रमश: 1.6 प्रतिशत व 2.6 प्रतिशत हो गया है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी को प्रदर्शित करता है। विश्व स्तर पर भारत 2012 तक 10वां सबसे बड़ा आयातक तथा 19वां सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है जबकि 1990 में यह आयात के मामले में 28वें तथा निर्यात के मामले में 33वें स्थान पर था।

भारतीय व्यापार निरंतर उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर प्रवृत हुआ है। तद्नुसार उभरते एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका व कैरीबियन क्षेत्र का भारत के कुल निर्यात में संयुक्त हिस्सा 1992-93 के एक चौथाई हिस्से से बढ़कर 2012-13 में आधे से अधिक तक पहुंच गया। भारतीय निर्यातकों की वैश्विक मांग के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता पिछले दो दशकों में भारतीय निर्यात की संरचना में हुए परिवर्तन से स्वत: स्पष्ट हो जाती है। भारत से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की अंतर क्षेत्रीय संरचना यह प्रदर्शित करती है कि निर्यात में प्रौद्योगिकी गहन माल के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी गहन उत्पादों जैसे इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद,रसायन व संबद्ध उत्पाद तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में संयुक्त हिस्सा 1992-93 में 25.5 प्रतिशत से 2012-13 में बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गया है।

गत दो दशकों में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हुई जबरदस्त वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण को प्रदर्शित करती है। हालिया जारी व्यापार नीतियों से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में और खुलापन आएगा। विश्व अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों के अनुरूप विकासशील देशों में बाजारों के निरंतर विशाखन से भारत में टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

विषय वस्तु

निदेशक मंडल	1
गत दशक	2
अध्यक्ष का वक्तव्य	3
आर्थिक परिदृश्य	8
निदेशकों की रिपोर्ट	36
तुलन-पत्र एवं लाभ हानि लेखा	60

निदेशक मंडल

(21 मई, 2013 की स्थिति)

श्री टी.सी.ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

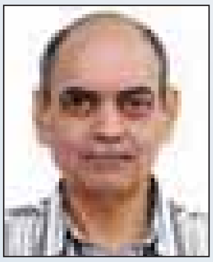

श्री राजीव टकरू
सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री एस.आर.राव
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री पिनाक रंजन चक्रवर्ती
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

श्री सौरभ चंद्र
सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डॉ. राघुराम जी.राजन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री जी. पद्मनाभन
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री आर.एम. मल्ला
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
आई डी बी आई बैंक लि.

श्री एन. शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री एस.एस. मूंदड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ़ बड़ौदा

श्रीमती वी.आर.अय्यर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ़ इंडिया

डॉ. बिश्वजीत धर
महानिदेशक
विकासशील देशों के शोध एवं सूचना प्रणाली

डॉ. ए.एम. भट्टाचार्यजी
प्रोफेसर ऑफ़ इकोनॉमिक्स
दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स
दिल्ली विश्वविद्यालय

गत दशक

(मिलियन `)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	संचयी (2003-13)	वृद्धि (सीएजीआर)
ऋण												
अनुमोदन	92657	158535	204887	267622	328045	336285	388430	477984	444119	419185	3117748	17
संवितरण	69575	114352	150389	220760	271587	289327	332485	344233	370451	406349	2569508	22
ऋण-आस्तियाँ 1	107751	129104	175931	228862	287767	341564	390357	456558	538898	643530		22
गारंटियाँ												
अनुमोदित	10792	15887	43264	49978	21994	16184	13508	32165	27549	58075	289396	21
जारी	5743	16602	21959	16972	20386	10315	3875	11535	13611	29378	150376	20
गारंटी पोर्टफोलियो	15769	23727	34023	35360	34556	35401	22736	30557	32407	47440		13
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	6500	8500	9500	10000	11000	14000	17000	20000	23000	30594		
आरक्षित राशियाँ	14933	16625	17703	18741	21064	24681	28316	32302	37003	41796		
उधारियाँ 2	119206	120118	160090	216616	317163	372023	405088	471918	546546	644848		
कुल संसाधन	155192	156922	201401	262439	373006	442017	470715	547508	636730	761182		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	3042	3144	3769	3909	5334	6101	7724	8677	10126	10888	62714	
कर पश्चात लाभ	2292	2579	2707	2994	3330	4774	5135	5836	6751	7423	43821	
केंद्र सरकार को अंतरित/अंतरणीय निवल लाभ	470	654	868	956	1008	1157	1500	1850	2050	2630	13143	
स्टाफ (संख्या)3	190	193	200	212	222	232	232	244	253	275		
अनुपात												
जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (%)	23.5	21.6	18.4	16.4	15.1	16.8	18.9	17.0	16.4	15.3		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	46.8	41.9	41.9	40.1	50.8	48.8	49.8	46.9	47.1	40.6		
निवल संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	14.2	13.5	14.4	14.0	17.5	17.2	18.4	17.8	18.0	16.4		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	2.2	2.0	2.1	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ (` मिलियन)	17.0	16.4	19.2	19.0	24.6	26.9	33.3	36.5	40.7	41.2		

1. ऋण आस्तियाँ गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान का निवल राशियाँ हैं जो वर्ष 2004-05 से प्रभावी हैं।
2. उधारियों, प्रति पक्षकारों के साथ रखी जमा राशियों / किए गए निवेशों की अनुरूपी निवल राशियाँ हैं जो 2004-05 से 2006-07 वर्षों के लिए हैं।
3. यह एक्ज़िम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी: ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

अध्यक्ष का वक्तव्य

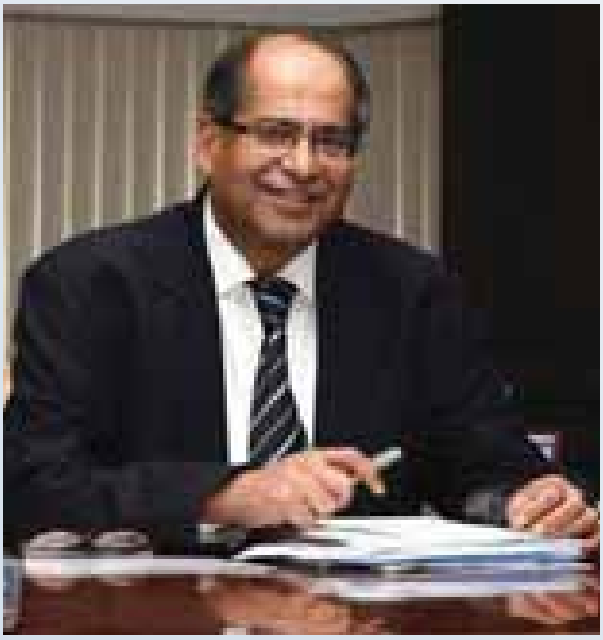

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2012-13 के दौरान 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है जो गत वर्ष की तुलना में कम है। इस न्यून विकास दर का प्रमुख कारण वैश्विक मंदी के चलते उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय समायोजन तथा उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सुधार में विलम्ब रहा। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी के साथ-साथ वर्षा में कमी के चलते कृषि उत्पादन में हुई कमी से भी समग्र आर्थिक गतिविधियों को झटका लगा। घरेलू नीतिगत अनिश्चितताओं, अभिशासन चिंताओं तथा पूर्व में लागू की गई कड़ी मौद्रिक नीतियों के साथ-साथ बाह्य मांग में कमी ने वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना जारी रखा।

वर्ष 2012 में वैश्विक व्यापार इस दशक में अब तक की सबसे धीमी गति से बढ़ा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित करना जारी रखा। उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ी वृद्धि अवश्य प्रदर्शित हुई। भारत के पण्य व्यापार में 2012-13 की तीसरी तिमाही में पिछली तिमाहियों के न्यून निष्पादन की तुलना में अच्छी वृद्धि दिखाई दी। वित्तीय वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में निर्यात वृद्धि 4.7 प्रतिशत रही जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि में दर्ज की गई 4.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में है। समग्र निर्यात गत वर्ष के 306.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2012-13 में 300.3 बिलियन यू एस डॉलर ही रहे क्योंकि पहली छमाही में निर्यातों में हुई कमी, दूसरी छमाही में हुई वृद्धि से अधिक थी।

जहाँ तक आयात का संबंध है, यद्यपि गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण आयातों में हाल के महीनों में मंदी आई है किंतु 2012-13 की दूसरी छमाही में आयात वृद्धि अच्छी रही जिससे समग्र आयात गत वर्ष के 489.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर 2012-13 में 491.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

व्यवसाय पहलें

बैंक ने वर्ष के दौरान 23 देशों में 47 कंपनियों द्वारा प्राप्त 85 परियोजना निर्यात संविदाओं को सहायता प्रदान की जो भारतीय कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को प्राप्त करने तथा उनके निष्पादन की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने भारत से निर्यातों के संवर्द्धन के लिए 28 विदेशी कंपनियों को क्रेता-ऋण भी प्रदान किया है। भारतीय परियोजना निर्यातों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ने भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के साथ मिलकर भारत सरकार के 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते' के अंतर्गत क्रेता-ऋण नामक एक नए उत्पाद का प्रारंभ किया जिसे धीरे-धीरे लोकप्रियता मिल रही है।

भारतीय निर्यातों के लिए प्रभावी बाजार पहुँच माध्यम तथा बाजार विशाखन प्रणाली के रूप में बैंक ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर देता रहा है। इसी के अनुरूप बैंक ने वर्ष के दौरान 833.59 मिलियन यू एस डॉलर की 16 नई ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं जो भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देंगी। यथा 31 मार्च, 2013 को अफ्रीका, एशिया, सीआईएस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में 75 देशों को शामिल करते हुए बैंक की 167 ऋण-व्यवस्थाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हैं जिनके अंतर्गत कुल 8.57 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण राशि उपलब्ध है।

भारतीय कंपनियाँ निरंतर स्वयं को वैश्विक स्तर पर निवेशकर्ता के रूप में स्थापित कर रही हैं और उसी के अनुरूप बैंक ने उनके इन प्रयासों को भी सहायता प्रदान करना जारी रखा है। इसके लिए बैंक ने 49 कंपनियों को 20 देशों में उनके विदेशी निवेशों के लिए आंशिक वित्तपोषण सहायता प्रदान की है।

लघु तथा मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाने तथा इस क्षेत्र को कम दरों पर वित्तीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने हाल ही में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की

भागीदारी में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए विशेष रूप से 500 मिलियन यू एस डॉलर की प्रारंभिक राशि से प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष संवर्धन व ढांचागत सुविधा विकास निधि (टाइड) की स्थापना की है। टाइड फंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) क्षेत्र की निर्यातक कंपनियों की मध्यावधि तथा दीर्घावधि विदेशी मुद्रा पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके लिए एक्ज़िम बैंक, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्हें दिए गए ऋण पोर्टफोलियो के पुनर्वित्तीयन के जरिए मदद करेगा। इस निधि के तहत एम एस एम ई क्षेत्र की निर्यातक कंपनियों की मध्यावधि तथा दीर्घावधि विदेशी मुद्रा पूँजी आवश्यकताओं के अलावा अल्पावधि की रुपया तथा विदेशी मुद्रा जरूरतों का भी प्रतिस्पर्धी दरों पर पुनर्वित्तीयन किया जा सकेगा। इस सुविधा की लाभकर्ता अंततः एम एस एम ई कंपनियाँ ही होंगी, जिन्हें प्रतिस्पर्धी दर पर निर्यात ऋण मिल सकेगा।

वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक ने आई डी बी आई के साथ एक सहयोग ज्ञापन करार किया जिसमें दोनों संस्थाओं द्वारा सह-वित्तपोषण, सह-प्रबंधन, रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणों के सिंडिकेशन, भारत में निर्यात उन्मुख परियोजनाओं का संयुक्त वित्तपोषण; पात्र भारतीय निर्यात उन्मुख कंपनियों विशेषकर सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यम क्षेत्र की कंपनियों को अल्पावधि निर्यात ऋण तथा दीर्घावधि पूँजी व्यय के लिए रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणों के पुनर्वित्तीयन की सुविधा प्रदान करना आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न लिखतों, विभिन्न प्रकार के निवेशकों तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से 3.97 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक 500 मिलियन यू एस डॉलर के 5 वर्षीय यूरो बाँड तथा 750 मिलियन यू एस डॉलर के 10 वर्षीय यूरो डॉलर बाँड जारी कर उभरते बाजारों से बाँड जुटाने वाली पहली भारतीय संस्था बन गया है। बैंक 250 मिलियन एस जी डी बाँड जुटाकर सिंगापुर डॉलर में बाँड जुटाने वाली पहली भारतीय संस्था बन गया है। इसके साथ ही बैंक अपनी लंदन शाखा के जरिए 200 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के 5 वर्षीय बाँड जारी कर ऑस्ट्रेलियाई बांड बाजार में प्रवेश करने वाला भी पहली भारतीय संस्था बन गया है।

हमने अपने ग्रामीण व्यवसाय पहल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमों के वैश्वीकरण को भी सहायता प्रदान की है।

बैंक द्वारा प्रकाशित शोध अध्ययन क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशन रिम असोसिएशन; पश्चिम अफ्रीका; म्यांमार; ईरान; पाकिस्तान तथा चीन के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों पर केंद्रित रहे हैं जबकि क्षेत्रीय अध्ययनों यथा भारतीय रसायन उद्योग, भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप; में उनकी संभाव्यता का अध्ययन किया गया है। एक अन्य अध्ययन 'सेवाओं का निर्यात तथा विदेशी आउटसोर्सिंग एक अनुभवजन्य विश्लेषण' में निर्यात परिदृश्य को भारतीय संदर्भ में विश्लेषित किया गया है।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 18वीं वार्षिक बैठक नवंबर 2012 में सेबु, फिलीपींस में संपन्न हुई। इस फोरम की संकल्पना तथा स्थापना एक्ज़िम बैंक की पहल पर 1996 में की गई थी। वर्ष 2012 की बैठक का मुख्य विषय था - 'पर्यावरण अनुकूल व ऊर्जा क्षम परियोजनाओं का वित्तपोषण।' इस बैठक में सभी सदस्य देशों की संस्थाओं ने ग्रीन फाइनेंसिंग संबंधी मुद्दों यथा साझा वित्तपोषण, संसाधन संग्रहण व प्रशिक्षण तथा उनके समाधान पर चर्चा की तथा अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया।

संस्थागत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से बैंक ने ब्राजील, रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के विकास बैंकों के साथ वित्तीय सहयोग के लिए हाल ही में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुई ब्रिक्स बैठक 2013 के दौरान सदस्य देशों के प्रमुखों की उपस्थिति में दो सहयोग करारों (i) अफ्रीका में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ब्रिक्स अंतर बैंक बहुपक्षीय सह-वित्तपोषण करार; तथा (ii) संपोषी विकास के लिए ब्रिक्स अंतर बैंक बहुपक्षीय सहयोग व सह-वित्तपोषण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही बैंक ने ब्रिक्स अंतर बैंक सहयोग प्रणाली के तहत डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स वित्तीय फोरम की वार्षिक बैठक में भी सहभागिता की।

व्यवसाय परिणाम

बैंक का कार्य निष्पादन बैंक के सशक्त वित्तीय आधार को प्रदर्शित करता है। बैंक की ऋण आस्तियाँ गत वर्ष के 20.23 प्रतिशत से बढ़कर ` 655.63 बिलियन हो गईं जबकि कुल ऋण मंजूरियां

` 409.60 बिलियन की रहीं। कर पूर्व लाभ गत वर्ष के ` 10.13 बिलियन से बढ़कर ` 10.89 बिलियन रहा जबकि कर पश्चात लाभ गत वर्ष के ` 6.75 बिलियन से बढ़कर ` 7.42 बिलियन रहा। जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात 15.28 प्रतिशत के अच्छे स्तर पर रहा, जबकि निवल ऋण आस्तियों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 0.47 प्रतिशत रहीं। वर्ष के दौरान भारत सरकार से बैंक को ` 2 बिलियन का पूँजी सहयोग प्राप्त हुआ। बैंक द्वारा वर्ष 2002 में भारत सरकार को जारी किए गए ` 5.59 बिलियन के टियर-I बाँड भारत सरकार द्वारा पूँजी के रूप में परिवर्तित किए गए जिससे बैंक की प्रदत्त पूँजी बढ़कर ` 30.59 बिलियन हो गई। यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक को मूडीज ने बी ए ए 3, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी बी बी- तथा फिच ने बी बी बी- रेटिंग दी है तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा बी बी बी+ रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग है।

संस्थागत संबद्धताएं

व्यापार तथा निवेश के संवर्धन में लगी एजेंसियों तथा संस्थाओं के साथ विकसित बैंक के विशिष्ट तथा अनौपचारिक संस्थागत संबंधों से बैंक के विभिन्न प्रयासों को सहायता मिली है। सी आई आई, फिक्की, एसोचेम, फिओ, ईईपीसी, पीएचडीसीसीआई भारतीय परियोजना निर्यात संवर्द्धन परिषद, अन्य निर्यात संवर्द्धन परिषदें, वाणिज्य मंडल और आर्थिक शोध संस्थाएं बैंक के कार्य में ज्ञान तथा सहायता का एक मूल्यवान स्रोत रही हैं। बैंक को उद्योगों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषकर मूल मंत्रालय-वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ परस्पर संवाद से भी शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुआ है। श्री सौरभ चंद्र, सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री एस.आर.राव, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; डॉ. राघुराम जी. राजन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री पिनाक रंजन चक्रवर्ती, सचिव (आर्थिक संबंध) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री राजीव टकरू, सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री एस.एस. मूंदड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं श्रीमती वी.आर.अय्यर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ़ इंडिया को बैंक के बोर्ड में निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री पी.के. चौधरी, सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; डॉ. राहुल खुल्लर, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; डॉ. कौशिक बसु, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री आलोक मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ़ इंडिया; श्री एम.डी.मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा; श्री सुधीर व्यास, सचिव (आर्थिक संबंध) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं श्री डी.के.मित्तल, सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर या कार्यालय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अपने-अपने निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिये हैं। निदेशकों के रूप में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक उनका आभार मानता है।

मैं बैंक के स्टाफ सदस्यों के प्रति भी बैंक के व्यवसाय में वृद्धि, नई पहलों तथा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु आभार व्यक्त करता हूँ।

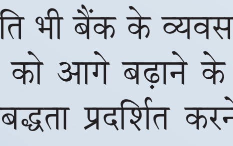

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
21 मई, 2013

आर्थिक परिवेश

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 2007 के अंत में शुरू हुए वित्तीय संकट का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। वर्ष 2010 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हुए सुधार को बढ़ते यूरोजोन संकट के चलते झटका लगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आई एम एफ) की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट अप्रैल 2013 के अनुसार आर्थिक गतिविधियाँ वर्ष 2011 के 4.0 प्रतिशत के मुकाबले 2012 में 3.2 प्रतिशत की दर से ही बढ़ीं। यूरो क्षेत्र अभी भी संकट से गुजर रहा है तथा अपने को बचाने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। यू एस ए में उपभोग कम हो रहा है तथा बेरोजगारी बढ़ी है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 2011 के 1.6 प्रतिशत से घटकर 1.2 प्रतिशत रह गई; जबकि उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि गत वर्ष के 6.4 प्रतिशत से घटकर 5.1 प्रतिशत रही।

इन सबके बावजूद 2013 का परिदृश्य सकारात्मक दिखता है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2013 में 3.3 प्रतिशत तथा 2014 में 4.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। यू एस, कनाडा, जापान तथा अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 2013 में 1.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। समुचित नीतिगत उपायों के बावजूद यूरो क्षेत्र में वृद्धि के 2013 में घटकर 0.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है क्योंकि ऋण संकट अर्थव्यवस्था को पुन: चपेट में ले सकता है। तमाम चुनौतियों के बावजूद उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा ही वृद्धि के संचालित होने की संभावना है। समुचित नीतिगत उपायों के सहयोग से उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2013 में 5.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

हालांकि यूरो क्षेत्र का संकट और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगातार बेरोजगारी तथा उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पाने की समस्या से भी निपटना आवश्यक होगा।

यूरो क्षेत्र के वित्तीय संकट ने पूरे यूरोप में वृद्धि को प्रभावित किया है। उन्नत यूरोप में वास्तविक जी डी पी वृद्धि मंद रही तथा वर्ष 2012 के 1.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013 में 0.3 प्रतिशत ही रही। जिसका प्रमुख कारण यूरो क्षेत्र के बाजारों में व्याप्त तनाव रहा। यूरो क्षेत्र में भी वास्तविक जी डी पी वृद्धि मंद रही तथा वर्ष 2012 के 1.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013 में 0.6 प्रतिशत ही रही। यूरो क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में रुकावट का प्रमुख कारण दूसरी तिमाही में व्याप्त वित्तीय तनाव रहा। उभरते यूरोप में वृद्धि यूरो क्षेत्र के संकट विशेषकर न्यून पूँजी आवक व व्यापार में कमी से प्रभावित रही तथा गत वर्ष के प्रभावी 5.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012 में 1.6 प्रतिशत ही रही। सर्वाधिक चिंता की बात क्षेत्र में विलंबित तथा समुचित नीतिगत उपायों का न होना है। यूरो क्षेत्र की वृद्धि के 2013 में घटकर 0.3 प्रतिशत रहने तथा उभरते यूरोप में वृद्धि के बढ़कर 2.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

कमज़ोर जॉब मार्केट तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2011 के 1.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012 में 2.2 प्रतिशत रही। वृद्धि में प्रमुख योगदान निजी उपभोग में थोड़े सुधार तथा गृह ऋण बाज़ार में स्थिरता का रहा। हालांकि 2013 के लिए परिदृश्य बढ़ते राजकोषीय संकट तथा जोखिमों के चलते बहुत ठीक नहीं दिखता है। 2013 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर के 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

जापान की अर्थव्यवस्था मार्च 2011 में जापान में आए भूकंप व सुनामी के कुप्रभावों से उबरकर वर्ष 2012 में मजबूत हुई। पुनर्निर्माण गतिविधियों तथा विशेषकर वर्ष की पहली छमाही में विनिर्माणों में -आई तेजी के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2011 में 0.6 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2012 में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर वृद्धि तथा अनिश्चितता ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार तथा वित्तीय

दोनों चैनलों के जरिए स्थितियों को प्रभावित किया। विकासशील एशिया में वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर आयात मांग के चलते 2011 के 8.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2012 में 6.6 प्रतिशत रही। चीन की विकास दर में कमी का मुख्य कारण कठोर नीतिगत उपाय रहा जबकि भारत में यह निवेशकों में घटते विश्वास से प्रभावित रही। चीन की अर्थव्यवस्था गत वर्ष के 9.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2012 में 7.8 प्रतिशत रही। बढ़ता चालू खाते का घाटा तथा हाल में रुपये के मूल्य में गिरावट सहित कई कारण रहे जिन्होंने भारत में कारोबारी विश्वास को नुकसान पहुंचाया। विकासशील एशिया में ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में 2012 के अंत में लाए गए नीतिगत परिवर्तनों के चलते 2012 में वृद्धि के 7.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियाई (लैक) क्षेत्र में वर्ष 2012 में वृद्धि 3.0 प्रतिशत रही जो वर्ष 2011 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में है। यूरो क्षेत्र में आर्थिक संकट व उभरते एशिया में कार्यकलापों में मंदी के चलते मांग कमजोर होने से यह गिरावट हुई। लैक क्षेत्र में व्यापार सबसे अधिक प्रभावित रहा। मंदी के चलते पण्यों के मूल्य में गिरावट हुई जिससे व्यापार में घाटा हुआ। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत कड़ाई के चलते घरेलू मांग में वृद्धि हुई। मौद्रिक नीतियों में ढील की धीमी गति तथा घटती बाह्य मांग के चलते क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राजील की सकल वृद्धि दर भी वर्ष 2012 में मात्र 0.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी। मेक्सिको की अर्थव्यवस्था गत वर्ष की वृद्धि दर बरकरार रखते हुए 2011 में 3.9 प्रतिशत की दर से ही बढ़ी। हालांकि यू एस ए में कमजोर वृद्धि दर संभावनाओं के चलते वृद्धि में और कमी आने का अनुमान है। लैक क्षेत्र में वृद्धि के 2013 में सुधरकर 3.4 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।

वर्ष 2009 की आर्थिक मंदी, कठिन बाह्य परिस्थितियों तथा वर्तमान यूरो जोन संकट के बावजूद उपसहारीय अफ्रीका क्षेत्र की विकास दर सर्वाधिक तेज रही। तेल निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं में औसतन 6 प्रतिशत की विकास दर के चलते उपसहारीय अफ्रीका की वास्तविक वृद्धि दर गत वर्ष के 5.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012 में 4.8 प्रतिशत रही। यूरोप के साथ घनिष्ठ संबंधों के चलते दक्षिण अफ्रीका की विकास दर वर्ष 2011 के 3.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012 में घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई। उपसहारीय अफ्रीकी क्षेत्र में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं तथा 2013 में इस क्षेत्र के 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

तेल निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं में अच्छी विकास दर के चलते मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र (मेना) में वास्तविक जी डी पी वृद्धि वर्ष 2011 के 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2012 में 4.8 प्रतिशत रही। वर्ष 2011 के अंत

एक्जिम बैंक ने डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) के अन्य सदस्य विकासात्मक बैंकों के साथ दो वित्तीय सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के राज्य प्रमुख उपस्थित थे।

से लीबिया में तेल खोज कार्यों में तेजी ने क्षेत्र से तेल के निर्यातों को बढ़ावा दिया। क्षेत्र की गैर-तेल जी डी पी वृद्धि दर भी सशक्त रही जिसे सरकारी खर्च का सहारा मिला। तथापि वर्ष 2013 में क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि के तेल क्षेत्र में गिरावट के अनुमानों के चलते घटकर 3.7 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल (सी आई एस) देशों में वृद्धि को 2012 के प्रारंभ में उच्च पण्य मूल्यों, 2011 में बेहतर फसल उत्पादन तथा सशक्त प्रेषण प्रवाहों का लाभ मिला। तथापि यूरो संकट के चलते क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं कज़ाकिस्तान, रूस व यूक्रेन में कठिन वित्तीय स्थितियों से नुकसान भी हुआ। क्षेत्र की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर वर्ष 2011 के 4.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012 में 3.4 प्रतिशत रह गई। सी आई एस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के 2013 में 3.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

मध्य एवं पूर्वी यूरोप में औसत वृद्धि दर 2012 में 1.6 प्रतिशत रही जो 2011 के 5.2 प्रतिशत की तुलना में है। इसे बढ़ते यूरो संकट ने प्रभावित किया।

विश्व व्यापार

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं का वैश्विक निर्यात वर्ष 2012 में 22.4 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहने का अनुमान है जो गत वर्ष के 22.3 ट्रिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। मात्रा की दृष्टि से वस्तुओं की वैश्विक व्यापार वृद्धि वर्ष 2012 में घटकर 2.4 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2011में यह 6.3 प्रतिशत थी। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में मात्रा की दृष्टि से जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2012 में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की वहीं उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2012 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। प्राथमिक गैर-ईंधन माल के यू एस डॉलर में विश्व व्यापार मूल्य में वर्ष 2012 में 9.8 प्रतिशत की कमी हुई जबकि 2011 में यह 17.8 प्रतिशत थी। तेल मूल्यों में वर्ष 2011 की 31.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2012 में वृद्धि 1.0 प्रतिशत रही।

बैंक ने अपने परिचालनों के तीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में व्यापार एवं विकास विषय पर सेमिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इस श्रेणी में पहला व्याख्यान डॉ. कौशिक बसु, तत्कालीन आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार द्वारा दिया गया।

वस्तुओं के वैश्विक पण्य मूल्यों में सकारात्मक वृद्धि के चलते वर्ष 2013 के दौरान वैश्विक निर्यातों के 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर 23.5 ट्रिलियन यू एस डॉलर पहुँचने का अनुमान है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूँजी प्रवाह, चालू खाते का अधिशेष तथा बाह्य ऋण

निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति के चलते उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूँजी प्रवाहों में 2012 में सुधार हुआ, हालांकि 2011 में इसमें गिरावट थी। विद्यमान आर्थिक संकेतों तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के जोखिमों को देखते हुए निवेशक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में रुचि ले रहे हैं तथापि निवेश की गति थोड़ी धीमी ही रही है। वर्ष 2012 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निवल निजी पूँजी प्रवाह थोड़ा घटकर 1.2 ट्रिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर रहा जो गत वर्ष के 1.1 ट्रिलियन यू एस डॉलर की तुलना में है।

उभरते एशिया को वर्ष 2012 में निवल निजी पूँजी प्रवाह सकारात्मक क्षेत्रीय परिदृश्य के चलते 583.0 बिलियन यू एस डॉलर रहने का अनुमान है जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को कुल प्रवाहक का आधे से अधिक है। वर्ष 2012 में उभरते यूरोप को निवल निजी पूँजी प्रवाह गत वर्ष के 198.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर 217.0 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर रहने का अनुमान है जो मुख्यत: वर्ष की दूसरी छमाही में पोर्टफोलियो ऋणों

तथा ईक्विटी प्रवाहों में वृद्धि के चलते है। वर्ष 2012 में अफ्रीका तथा मध्य पूर्व को निवल निजी पूँजी प्रवाह गत वर्ष के 68.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर 73.0 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर रहने का अनुमान है। गैर-बैंक निजी ऋणदाताओं से ऋण प्रवाहों में सुधार के चलते लैटिन अमेरिका को भी निवल निजी पूँजी प्रवाहों में सुधार हुआ है तथा इनके वर्ष 2011 के 274.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2012 में 308.0 बिलियन यू एस डॉलर रहने का अनुमान है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाते का अधिशेष गत वर्ष के 257.0 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012 में 288.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के चालू खाते के अधिशेष में मुख्य रूप से अफ्रीका, उभरते एशिया तथा मध्य पूर्व क्षेत्र का योगदान रहा। अफ्रीका तथा मध्य पूर्व क्षेत्र के चालू खाते का अधिशेष 2011 के 190.0 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012 में 220.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जिसे उच्च तेल मूल्यों का लाभ मिला। उभरते एशिया क्षेत्र का समग्र चालू खाते का अधिशेष 2011 के 130.0 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012 में 150.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जो मुख्यत: चीन के चालू खाते के अधिशेष को प्रदर्शित करता है।

पूँजी की उच्च मांग के चलते उभरते लैटिन अमेरिका का चालू खाते का घाटा बढ़ गया है तथा गत वर्ष के 53.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2012 में 82.0 बिलियन यू एस डॉलर रहा है। उभरते यूरोप का चालू खाता गत वर्ष के 10.0 बिलियन यू एस डॉलर के घाटे की तुलना में वर्ष 2012 में लगभग संतुलित रहा।

उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का माल तथा सेवाओं के निर्यात की तुलना में बाह्य ऋण का प्रतिशत वर्ष 2011 के 71.6 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2012 में बढ़कर 76.4 प्रतिशत हो गया। मध्य एवं पूर्वी यूरोप में यह सर्वाधिक था जो वर्ष 2011 के 152.8 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2012 में बढ़कर 162.4 प्रतिशत हो गया। इसके बाद लैक क्षेत्र का स्थान रहा जो वर्ष 2011 के 100 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2012 में बढ़कर 110.8 प्रतिशत हो गया। सी आई एस क्षेत्र तथा विकासशील एशिया का भी माल तथा सेवाओं के निर्यात की तुलना में बाह्य ऋण 2011 के क्रमश: 94.2 तथा 48.1 प्रतिशत से बढ़कर 2012में क्रमश: 98.1 तथा 53.4 प्रतिशत हो गया। उप सहारीय अफ्रीका के मामले में माल तथा सेवाओं के निर्यात की तुलना में बाह्य ऋण का प्रतिशत 2011 के 60.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012 में 63.6 प्रतिशत रहा। मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र में भी यह प्रतिशत गत वर्ष के 49.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2012 में 50.1 प्रतिशत हो गया।

समग्रत: उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का ऋण भुगतान अनुपात अर्थात माल तथा सेवाओं के निर्यात की तुलना में ऋण भुगतान का प्रतिशत 2011 के 24.3 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 26.0 प्रतिशत हो गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में जारी उच्च मुद्रा स्फीतिकारी प्रभावों, उच्च ब्याज दरों तथा नीतिगत अवरोधों के चलते निवेशों को झटका लगा है जिससे इनकी वृद्धि दर गत वर्ष के 6.2 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 5.0 प्रतिशत रह गयी। वृद्धि दर में कमी मुख्यत: उद्योग क्षेत्रों (खनन, उत्खनन, विनिर्माण, बिजली,

एक्ज़िम बैंक ने मेघा कैश्यू प्राइवेट लि.(एम सी पी एल) की बिरनी हाट, मेघालय में एक काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने में मदद की। एम सी पी एल गारो पहाड़ियों से काजू मंगाता है। कंपनी में 85 कर्मचारी हैं, जिनमें अधिकांशत: महिलाएं हैं। एक्ज़िम बैंक की सहायता ने क्षेत्र के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

एक्ज़िम बैंक ने सेबु, फिलीपीन्स में आयोजित एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 18वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

गैस व जल आपूर्ति सहित निर्माण क्षेत्रों) में मंदी के चलते रही। इसके साथ ही वैश्विक कारणों जैसे यूरो क्षेत्र का संकट, यू ए एस में राजकोषीय नीतियों के बारे में अनिश्चितता व कमजोर मानसून ने भी इसमें योगदान दिया।

कृषि

कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों का भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन में सदैव उल्लेखनीय योगदान रहा है। विशेषकर रोजगार, आय तथा खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विगत दो वर्षों में खराब मौसम तथा मूल्यों में तेजी के बावजूद भारतीय कृषि क्षेत्र औसतन 5.8 प्रतिशत की बेहतर दर से बढ़ रहा है। तथापि सामान्य से कम वर्षा के अनुमानों को देखते हुए विशेषकर दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रारंभिक चरण में यह उच्च वृद्धि दर बरकरार नहीं रखी जा सकती है तथा वर्ष 2012-13 में इसके 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2012-13 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्य अनाज का उत्पादन 255.4 मिलियन टन रहने का अनुमान है जो कि 2011-12 के 259.3 मिलियन टन के अंतिम अनुमानों की तुलना में कम है तथा मोटे अनाजों व चावल दोनों के न्यून उत्पादन को प्रदर्शित करता है। हालांकि वर्ष 2012-13 के लिए खाद्य उत्पादन वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 254.2 मिलियन टन की तुलना में अधिक रहा है। यथा 1 अप्रैल, 2013 को केंद्र सरकार के पास कुल अनाज भंडार 59.7 मिलियन टन था जिसमें 35.5 मिलियन टन चावल तथा 24.2 मिलियन टन गेहूं था। तदनुसार वर्ष 2012-13 में जी डी पी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा भी वर्ष 2011-12 के 14.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 13.7 प्रतिशत रह गया है। देश के जी डी पी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का घटता हिस्सा किसी भी तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे ब्राज़ील,चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि की विकास प्रवृत्तियों के अनुरूप है।

उद्योग

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के 3.5 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में तेजी से घटकर 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसका प्रमुख कारण पूँजीगत क्षेत्र में महत्वपूर्ण संकुचन रहा। प्रमुख पूँजीगत माल जैसे मशीनरी व उपकरण, बिजली मशीनरी तथा परिवहन खंडों में उत्पादन वृद्धि को निवेशों व नई परियोजनाओं की कमी तथा आयात प्रतिस्पर्द्धा ने प्रभावित किया। उप-क्षेत्रों के वर्गीकरण के आधार पर उप-क्षेत्र जैसे खनन तथा उत्खनन ने 2012-13 में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसके बावजूद शेष तीन क्षेत्रों ने सकारात्मक वृद्धि तो दर्ज की किन्तु इसकी गति गत वर्ष की तुलना में कम रही। निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर गत वर्ष के 5.6 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 4.3 प्रतिशत

रही जबकि विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति ने वर्ष 2011-12 के 6.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण उप क्षेत्र में वृद्धि दर गत वर्ष के 2.7 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में मात्र 1.0 प्रतिशत रही। तदनुसार जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2011-12 में 27.5 प्रतिशत की तुलना में मामूली घटकर 27.0 प्रतिशत के स्तर पर रहा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) की वृद्धि दर गत वर्ष के 2.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 के दौरान 1.0 प्रतिशत रही। औद्योगिक सूचकांक में कमी मुख्यत: खनन समूह क्षेत्र में आई कमी के कारण रही। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र ने जहां नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करना जारी रखा है (गत वर्ष के -1.9 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2012-13 के दौरान 2.4 प्रतिशत) वहीं विनिर्माण व बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर भी गत वर्ष के क्रमश: 3.0 प्रतिशत व 8.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 के दौरान 1.2 प्रतिशत व 4.0 प्रतिशत रही। उपभोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, आधारभूत माल क्षेत्र की वृद्धि भी गत वर्ष की 5.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 में घटकर 2.4 प्रतिशत रह गई। पूँजीगत माल क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) में भी वृद्धि दर गत वर्ष की 4.0 प्रतिशत संकुचन की तुलना में वर्ष 2012-13 में और संकुचित होकर 6.1 प्रतिशत रह गई। जबकि दूसरी ओर मध्यवर्ती माल क्षेत्र में विकास दर गत वर्ष के 0.6 प्रतिशत संकुचन की तुलना में बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1.6 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता माल क्षेत्र में भी वृद्धि में संकुचन आया तथा यह वर्ष 2011-12 की 4.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में घटकर 2012-13 में 2.4 प्रतिशत की रही। यह कमी मुख्यत: उपभोक्ता गैर-टिकाऊ खंड में तेज गिरावट के चलते रही । उपभोक्ता टिकाऊ खंड में वृद्धि 2011-12 के 2.6 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 2.1 प्रतिशत रह गई जबकि गैर-टिकाऊ उपभोक्ता खंड में यह वृद्धि वर्ष 2011-12 के 5.9 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 2.7 प्रतिशत रह गई।

विनिर्माण क्षेत्र के 22 औद्योगिक उप-समूहों में से वर्ष 2012-13 के दौरान 12 उप क्षेत्रों ने वर्ष दर वर्ष आधार पर सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की। इन 12 उप क्षेत्रों में-परिधान, फर की ड्रेसिंग और डाइंग (10.2 प्रतिशत); कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम तथा नाभिकीय ईंधन (8.4 प्रतिशत); लगेज, हैंडबैग, फुटवियर, सैडलरी हार्नेस तथा अन्य चमड़ा उत्पादों की ड्रेसिंग और टैनिंग (7.4 प्रतिशत);. टेक्सटाइल (5.8 प्रतिशत); रेडियो, टी वी व संचार उपकरण (5.6 प्रतिशत); रसायन एवं रसायन उत्पाद (3.7 प्रतिशत); खाद्य तथा पेय पदार्थ (2.6 प्रतिशत); मूल धातु (1.9 प्रतिशत); अन्य गैर-धात्विक उत्पाद (1.9 प्रतिशत); रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद (0.7 प्रतिशत); बिजली मशीनरी तथा उपकरण (0.5 प्रतिशत); कागज तथा कागज उत्पाद (0.4 प्रतिशत) हैं। शेष 10 औद्योगिक उप क्षेत्रों में कार्यालय लेखा एवं गणना मशीनरी; फर्नीचर छोड़कर लकड़ी उत्पाद, कॉर्क, स्ट्रॉ तथा प्लांटिंग सामग्री; मशीनरी तथा उपकरण; तम्बाकू उत्पाद; मोटर वाहन, ट्रेलर तथा सेमी ट्रेलर; फर्नीचर; चिकित्सा एवं आप्टिकल उपकरण घड़ियाँ; मशीनरी और उपकरण को छोड़कर अन्य फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद; प्रकाशन छपाई तथा रिकॉर्डेड मीडिया का पुनरूत्पादन; उप क्षेत्रों ने वर्ष के दौरान वृद्धि में गिरावट दर्ज की।

एक्ज़िम बैंक ने ''फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप'' विषय पर एक शोध प्रकाशित किया है। इस शोध अध्ययन का विमोचन डॉ. कौशिक बसु, तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार ने किया।

रवांडा सरकार को एक जल विद्युत परियोजना के लिए दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं।

सेवाएँ

सेवा क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हालांकि अर्थव्यवस्था की विकास दर में हुई गिरावट के अनुरूप इस क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा तथा सेवा क्षेत्र की विकास दर गत वर्ष के 8.2 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 7.1 प्रतिशत हो गई जो मुख्यत: 'वित्तपोषण, बीमा, संपदा तथा व्यवसाय' सेवा क्षेत्रों में हुई वृद्धि में गिरावट के चलते है। इस क्षेत्र की विकास दर 2011-12 के 11.7 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2012-13 में 8.6 प्रतिशत तथा व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार' क्षेत्र की विकास दर 2011-12 के 7.0 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2012-13 में 6.4 प्रतिशत रह गई। जबकि सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा खंड से उत्पन्न जी डी पी की वृद्धि दर 2011-12 के 6.0 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2012-13 में 6.6 प्रतिशत रही किंतु उक्त दोनों क्षेत्रों में हुई गिरावट ने इस क्षेत्र की वृद्धि दर को समंजित कर दिया। हालांकि सेवा खंड में जी डी पी का हिस्सा 2011-12 के 58.4 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2012-13 में 59.6 प्रतिशत हो गया।

बुनियादी क्षेत्र

ढांचागत क्षेत्र के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों-कोयला, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, मिश्र व गैर-मिश्र धातु, सीमेंट एवं बिजली ने गत वर्ष की 5.0 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर की तुलना में 2012-13 में 3.2 प्रतिशत की निम्न वृद्धि दर दर्ज की। दो क्षेत्रों, पेट्रोलियम रिफाइनरी तथा कोयला उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि काफी अच्छी रही। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन ने 2012-13 के दौरान 8.6 प्रतिशत की विकास दर हासिल की जो वर्ष 2011-12 की 3.1 प्रतिशत की तुलना में दुगुनी है। कोयला उत्पादन में 2012-13 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो वर्ष 2011-12 के 1.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में है। सीमेंट उत्पादन ने भी 2012-13 के दौरान 9.3 प्रतिशत की सशक्त विकास दर हासिल की, जो वर्ष 2011-12 की 6.7 प्रतिशत की तुलना में है। बिजली उत्पादन की विकास दर 2011-12 के 8.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2012-13 में 4.0 प्रतिशत ही रही है। स्टील उत्पादन में भी वर्ष 2011-12 के 10.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 में 2.5 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज की गई है। प्राकृतिक गैस, उर्वरक तथा कच्चे तेल में वर्ष 2011-12 में क्रमश: 8.9 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत तथा 1.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के मुकाबले में 2012-13 के दौरान क्रमश: 14.5 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है।

मुद्रास्फीति

मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित औसत वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर 2012-13 के दौरान 7.4 प्रतिशत रही जो गत वर्ष की 8.9 प्रतिशत के मुकाबले में थी। मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति की दर मार्च 2013 में 5.7 प्रतिशत रही जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के 7.7 प्रतिशत के मुकाबले में थी। यह कमी लगभग सभी प्रमुख उप समूहों (प्राथमिक, ईंधन तथा विनिर्मित उत्पाद) में देखने को मिली जिसका प्रमुख कारण प्रोटीन खाद्य पदार्थों (अंडा, मांस, मछली, दूध, दालें) चीनी, खाद्य तेल तथा धातु एवं टेक्सटाइल के मूल्यों में गिरावट रहा।

जनवरी 2012 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) द्वारा नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) जारी किया गया। जहां पुराने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की गणना औद्योगिक श्रमिकों, कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण मजदूरों के लिए की जाती थी, वहीं नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सभी मजदूरों को शामिल कर लिया गया है तथा इसका आधार वर्ष भी बदलकर 2010 कर दिया गया है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार खुदरा मूल्यों की गणना पांच प्रमुख

समूहों - खाद्य, पेय तथा तम्बाकू, ईंधन तथा बिजली, आवास, वस्त्र, बिस्तर तथा चप्पल, तथा विविध में की जाएगी जिन्हें आवधिक अंतराल पर 35 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से इकट्ठा किया जाएगा। दिसंबर 2012 के बाद से नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो अंक में ही बना हुआ है जबकि थोक मूल्य सूचकांक कम हुआ है इससे दोनों के बीच अंतर बढ़ गया है। यह अंतर नई गणना में खाद्य को ज्यादा वरीयता दिए जाने (डब्ल्यू पी आई 24.3 प्रतिशत की तुलना में नए सी पी आई में 47.6 प्रतिशत) के चलते है। नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च 2012 के 9.4 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2013 में 10.4 प्रतिशत हो गया। नए सी पी आई में यह बढ़त मुख्य रूप से खाद्य, पेय तथा तम्बाकू, ईंधन तथा बिजली खंड के चलते रही है। अखिल भारतीय स्तर पर नया सी पी आई 2012-13 में 10.2 प्रतिशत था।

पूँजी बाजार

भारत का विदेशी निवेश अंतर्वाह गत वर्ष के 39.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर वर्ष 2012-13 के दौरान 46.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो निवल पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि, जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट को समंजित कर दिया, के चलते रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2011-12 के 46.6 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में घटकर 2012-13 में 34.3 बिलियन यू एस डॉलर रहा। इसका प्रमुख कारण ईक्विटी निवेश में कमी रहा। हालांकि रिपैट्रिएशन तथा विनिवेश के चलते निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में मामूली ही रही। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं द्वारा ज्यादा निवेश करने के चलते निवल पोर्टफोलियो निवेश 2011-12 के 17.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2012-13 में बढ़कर 26.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा।

विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन

उभरते बाजारों में व्यापार गतिविधियों में तेजी आने से पहले कुछ महीनों में न्यून निष्पादन को छोड़कर दिसम्बर 2012 के बाद से भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई है। चौथी तिमाही में निर्यात वृद्धि के बावजूद 2012-13 में व्यापार घाटा काफी अधिक रहा।

वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय निर्यात 300.3 बिलियन यू एस डॉलर रहा, जबकि 2011-12 के दौरान यह 306.0 बिलियन यू एस डॉलर था। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत का आयात 491.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष के 489.3 बिलियन यू एस डॉलर से थोड़ा ज्यादा रहा। समग्र रूप में व्यापार घाटा गत वर्ष के 183.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2012-13 के दौरान 191.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। जहां तक 2012-13 के दौरान भारत की मुख्य निर्यात की पण्य संरचना का संबंध है परियोजना माल, कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, कॉर्पेट, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रसायन व पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी समूहों के अधिकांश पण्यों ने गत वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान कम वृद्धि दिखाई है। सशक्त वृद्धि दर्ज करने वाले मुख्य निर्यात पण्यों में परियोजना माल ने सर्वाधिक वृद्धि (75.1 प्रतिशत) दर्ज की तथा 2011-12 के 83.2 मिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2012-13 में 145.7 मिलियन यू एस डॉलर हो गए। इसके बाद क्रमश: कॉर्पेट (16.6) प्रतिशत); कृषि तथा संबद्ध उत्पाद (16.2 प्रतिशत), पेट्रोलियम उत्पादों (7.1 प्रतिशत) तथा रसायन व संबद्ध उत्पादों (7.9 प्रतिशत) ने वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों (तेल) का निर्यात 2012-13 में भारत के कुल निर्यात में 20.0 प्रतिशत हिस्से के साथ 60.0 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंच गया। गैर-तेल क्षेत्र के निर्यात में 2012-13 के दौरान 3.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की

एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन 'पश्चिम अफ्रीका : भारत के व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का अध्ययन' का विमोचन नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका परियोजना सहभागिता पर 9वें सी आई आई -एक्ज़िम बैंक कॉनक्लेव के अवसर पर श्री पी.एस.राघवन, विशेष सचिव, विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया।

भारत के पण्य व्यापार की प्रवृत्तियाँ (बिलियन `)

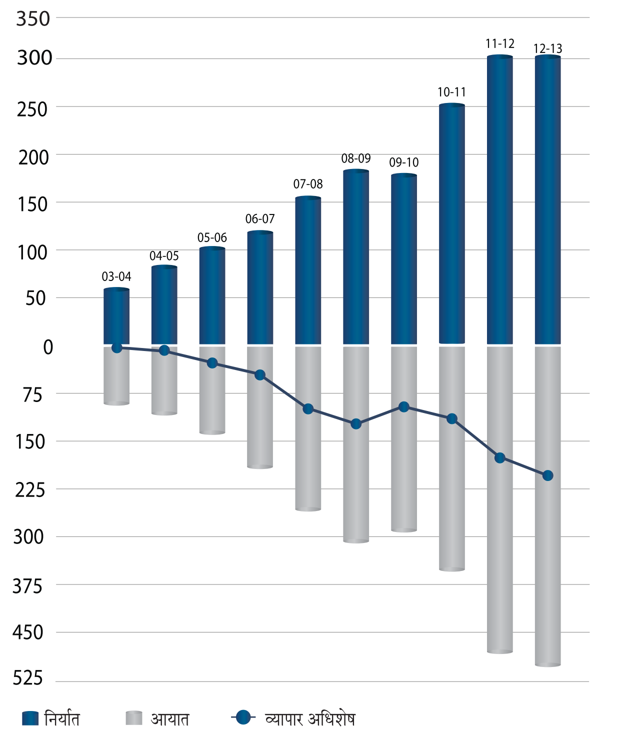

स्रोत: डी जी सी आई एस, एम ओ सी आई

भारत के सेवा व्यापार की प्रवृत्तियाँ (बिलियन `)

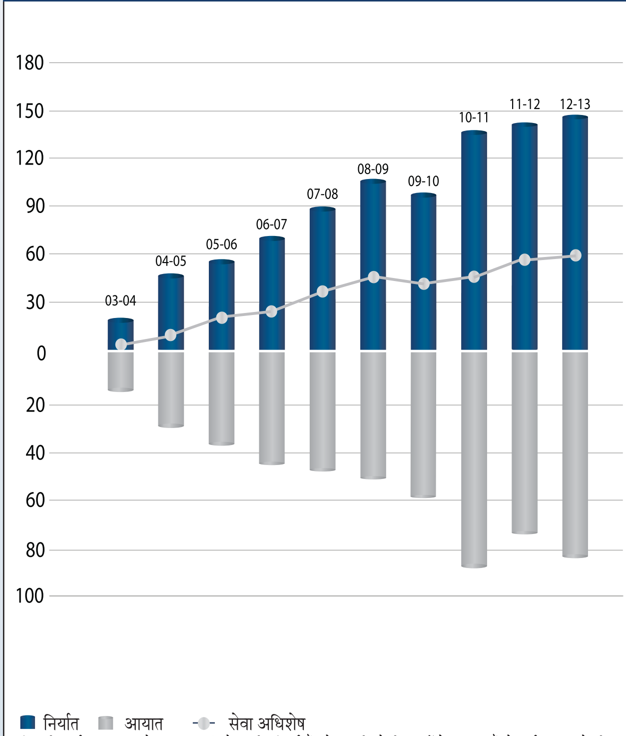

टिप्पणी : वर्ष 2009-10 सेवा व्यापार आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के नए बी ओ पी मानकों के अनुसार हैं जो आई एम एफ के बी पी एम 6 मानकों पर आधारित हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

गई जिसमें इंजीनियरी सामान, हीरे तथा जवाहरात तथा टेक्सटाइल का योगदान रहा। इंजीनियरी सामान के निर्यात का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा गत वर्ष के 18.9 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत घटकर 2012-13 में 56.7 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा। जहां तक आयात का संबंध है तेल आयात 2012-13 के दौरान 169.3 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि गत वर्ष यह 155.0 बिलियन यू एस डॉलर था। इस प्रकार इसमें 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि दूसरी तरफ वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-तेल आयात 322.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष के 334.3 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के आयात की तुलना में है। गैर-तेल आयात में कमी का मुख्य कारण गत वर्ष की तुलना में 2012-13 में मोती, बहुमूल्य रत्न, अर्द्ध बहुमूल्य रत्न (19.9 प्रतिशत), सोने तथा चांदी (9.5 प्रतिशत) गैर-इलेक्ट्रिकल मशीनरी (3.8 प्रतिशत) के आयात में कमी के चलते रहा। भारत का निवल अदृश्य अधिशेष 2011-12 में दर्ज किए गये 116.6 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर 2012-13 में 107.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गया, जिसका प्रमुख कारण निवल आय में कमी होना रहा। सेवाओं का निर्यात 2011-12 के 142.3 बिलियन यू एस डॉलर से 3.4 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में 145.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात का योगदान रहा।

व्यवसाय तथा सॉफ्टवेयर सेवाओं के अंतर्गत उच्च भुगतानों के चलते भारतीय सेवा आयात भी वर्ष 2011-12 के 76.9 बिलियन यू एस डॉलर से 3.3 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 के दौरान 80.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गए। वर्ष 2012-13 के दौरान समग्र सेवा अधिशेष 64.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि 2011-12 के दौरान यह 64.0 बिलियन यू एस डॉलर रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान निवल अंतरण 64.0 बिलियन यू एस डॉल के उच्च स्तर पर रहे। बढ़ते व्यापार घाटे तथा अदृश्य आय में कमी के चलते चालू खाते का घाटा 2012-13 के दौरान बढ़कर 87.8 बिलियन यू एस डॉलर (जी डी पी का 4.8 प्रतिशत) पर पहुँच गया जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान यह 78.2 बिलियन यू एस डॉलर (जी डी पी का 4.2 प्रतिशत) था।

भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह मार्च 2012 के 294.4 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में मार्च 2013 के अंत में घटकर 292.6 बिलियन यू एस डॉलर रह गया जो सात माह के आयात कवर को प्रदर्शित करता है।

भारत का बाह्य ऋण जो मार्च 2012 के अंत में 345.5 बिलियन यू एस डॉलर था से बढ़कर मार्च 2013 के अंत में 390.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि मुख्यत: एन आर आई जमा राशियों तथा वाणिज्यिक उधारियों के चलते जबकि अल्पावधि ऋणों में वृद्धि मुख्यत: व्यापार विषयक जमा राशियों के चलते रही।

चुनिंदा क्षेत्रों की संभाव्यता

ऑटोमोटिव्स

भारत में ऑटोमोटिव उद्योग पारम्परिक रूप से एक स्थापित तथा श्रेष्ठ निष्पादनकर्ता उद्योग रहा है। किन्तु वैश्विक वित्तीय संकट के चलते ऐसा प्रतीत होता है कि मंदी ने इस उद्योग को भी अपनी चपेट में ले लिया है।

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पादन में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि, बिक्री में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि व निर्यात में 1.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ क्षेत्र का समग्र निष्पादन बहुत सामान्य रहा है। संख्या की दृष्टि से 2012-13 के दौरान भारत में कुल वाहनों का उत्पादन 20.6 मिलियन, बिक्री 17.8 मिलियन व निर्यात 2.8 मिलियन का रहा।

मंदी से सबसे ज्यादा कार उद्योग की बिक्री प्रभावित रही। यात्री कारों की बिक्री 2012-13 के दौरान 6.7 प्रतिशत घटकर 18,95,471 इकाई रह गई जबकि 2011-12 के दौरान यह 20,31,306 इकाई थी। वर्ष 2002-03 के बाद से बिक्री में दर्ज की गई यह पहली तथा विगत 12 वर्षों में सबसे तेज गिरावट रही जब 2000-01 में इस क्षेत्र ने 7.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की थी। हालांकि ऑटोमोटिव उद्योग में यह एकमात्र क्षेत्र रहा जिसने निर्यातों में कुछ सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। यात्री कारों का निर्यात 8.6 प्रतिशत बढ़कर 5,44,656 इकाई हो गया।

मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन खंड जो आर्थिक गतिविधियों की प्रगति को मापने का सबसे उपयुक्त खंड है, में भी 2012-13 के दौरान 23.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई तथा बिक्री मात्र 2,68,263 इकाई रह गई जबकि हल्का वाणिज्यिक वाहन खंड में 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा बिक्री 5,24,887 इकाई तक पहुंच गई। समग्र रूप में कुल वाणिज्यिक वाहन खंड की बिक्री 2012-13 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 7,93,150 इकाई रही जबकि निर्यात गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 79,944 इकाई रहा।

दुपहिया वाहन खंड, जिस पर यह माना जाता है कि मंदी का कम प्रभाव पड़ता है, में भी वर्ष 2012-13 में गिरावट हुई तथा इनका निर्यात 0.7 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए 19,60,941 इकाई रहा ।

हालांकि ऑटोमोबाइल उद्योग का निष्पादन गत वर्ष की तुलना में संतोषजनक नहीं रहा तथापि इस उद्योग में मंदी के उपरांत पुनरुत्थान करने की क्षमता है। इसके अलावा इस उद्योग की निर्यात उन्मुखता 2004-05 के 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 16.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है जो इसका एक सकारात्मक पक्ष है तथा भारत में निर्मित वाहनों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। वर्तमान में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद विश्व में छठा स्थान है। हाल के वर्षों में भारतीय बाजार में आने के लिए उत्सुक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि देश में अच्छी संभाव्यता के साथ-साथ देश के विदेशी बाजारों के लिए विनिर्माण हब बनने की भी क्षमताएं हैं। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आमदनी तथा बढ़ता मध्य वर्ग भविष्य में ऑटोमोटिव उद्योग में मांग को गति प्रदान करेगा।

ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न खंडों में मंद निष्पादन ने ऑटोमोबाइल पुर्जा उद्योग के निष्पादन को भी प्रभावित किया है। परिणामत: वर्ष दर वर्ष आधार पर इस क्षेत्र की बिक्री में भी 2012-13 के दौरान मात्र 8-10 प्रतिशत की

भारत के पण्य वस्तुओं के निर्यात का गठन (प्रतिशत में)

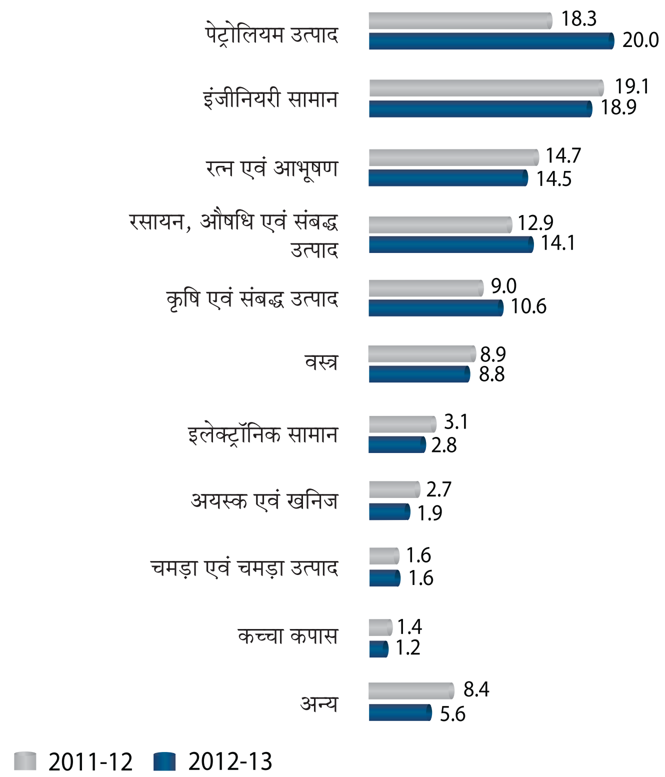

स्रोत : डी जी सी आई एस, एम ओ सी आई

ही वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है। इस क्षेत्र में कार्य कर रही एस एम ई इकाइयों के भी छोटे परिचालनों तथा सीमित वित्तीय क्षमता के चलते बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है। घरेलू बाजार में व्याप्त अनिश्चितता की बावजूद मध्य तथा दीर्घ अवधि में भारतीय ऑटोमोबाइल पुर्जा उद्योग के निष्पादन के सकारात्मक रहने का अनुमान है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ऑटोमोटिव मिशन योजना का टर्नओवर 2011-12 के 43.5 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़ाकर 2016-17 तक 54.6 बिलियन यू एस डॉलर कर दिया गया है।

इस क्षेत्र के बेहतर निष्पादन के पीछे इस उद्योग की निर्यात उन्मुखता है। वर्ष 2012-13 के दौरान ऑटो पुर्जों का निर्यात 9.3 बिलियन यू एस डॉलर रहा है जिसके वर्ष 2015-16 तक 12.0 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। भारतीय ऑटो पुर्जा क्षेत्र का निर्यात गत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान 32.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। निर्यात का एक बड़ा हिस्सा यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को जाता है ।

भारतीय ऑटो पुर्जा उद्योग के पास आज सभी प्रकार के पुर्जों जैसे इंजिन के हिस्से, ड्राइव, ट्रांसमिशन पुर्जे, सस्पेंशन तथा ब्रेक प्रणाली के पुर्जे, इलेक्ट्रिकल पुर्जे, बॉडी तथा चेसिस पुर्जे आदि बनाने की क्षमता है। इस क्षेत्र के कुल उत्पादन में इंजिन पुर्जों खंड का सर्वाधिक 31 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है; इसके बाद ड्राइव, ट्रांसमिशन तथा स्टियरिंग (19.0 प्रतिशत) तथा बॉडी, चेसिस, सस्पेंशन तथा ब्रेकिंग प्रणाली प्रत्येक का (12.0 प्रतिशत) हिस्सा है। भारत में पुर्जों की विनिर्माण लागत पश्चिमी देशों की तुलना में 25 से 30 प्रतिशत तक कम होने के साथ - साथ इसकी सभी क्षेत्रों में उपस्थिति इसे एक बेहतर सोर्सिंग स्थान बनाती है। भारत में गुणवत्ता मानक भी विश्वस्तरीय हैं जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ऑटोमोटिव क्षेत्र की 9 भारतीय कंपनियों ने प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार जीता

भारत में पण्य वस्तुओं के आयात का गठन (प्रतिशत में)

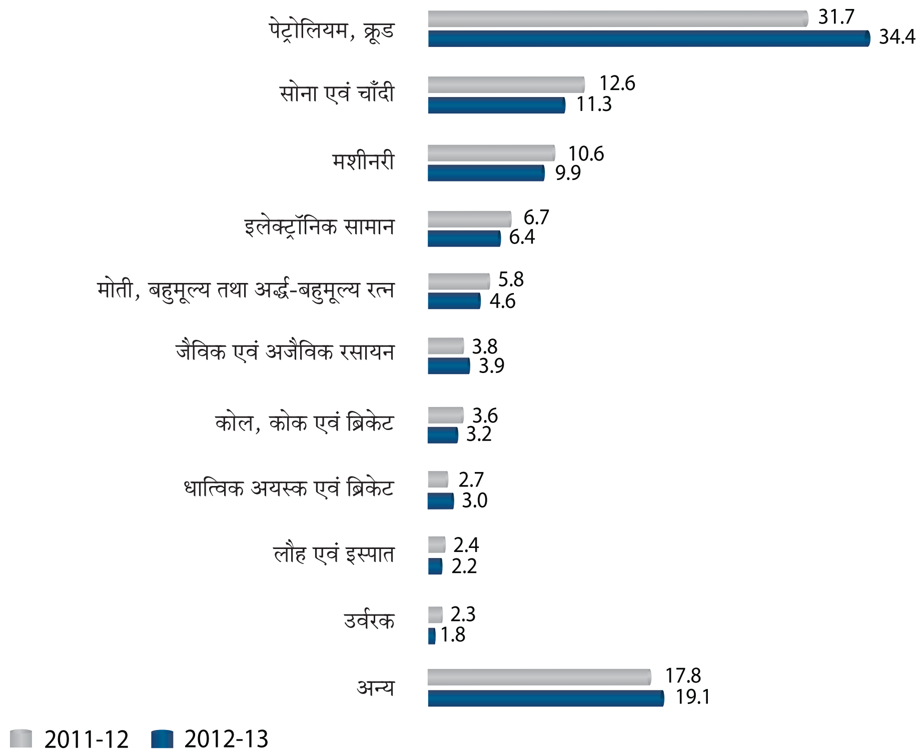

स्रोत : डी जी सी आई एस, एम ओ सी आई

है, जो जापान से बाहर सबसे बड़ी संख्या है। विकसित बाज़ारों में कम विनिर्माण लागत वाले देशों को दी जा रही वरीयता को देखते हुए ऑटोमोबाइल उद्योग के भविष्य में और प्रगति करने की संभावनाएं हैं।

रसायन

रसायन उद्योग भारत में औद्योगिक तथा कृषि विकास का आधार है तथा अन्य संबंधित (डाउनस्ट्रीम) उद्योगों के लिए नींव है। यह उद्योग भारत की राष्ट्रीय आय में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। भारतीय रसायन उद्योग का आकार (मूल रसायन, विशिष्ट रसायन तथा कृषि रसायन) लगभग 108.0 बिलियन यू एस डॉलर का अनुमानित है जो विश्व के रसायन उद्योग का 3.0 प्रतिशत है। मूल्य की दृष्टि से (2000 के स्थिर मूल्यों पर) भारतीय रसायन उद्योग का विश्व में 5वां तथा एशिया में चीन के बाद सबसे बड़ा स्थान है। रसायन उद्योग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 13.0 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 10.0 प्रतिशत, कुल निर्यात में 13.0 प्रतिशत तथा देश के कुल आयात में 9.0 प्रतिशत का योगदान करता है। खंड वर्गीकरण की दृष्टि से मूल रसायन खंड 31.0 बिलियन यू एस डॉलर का राजस्व अर्जित करने वाला सबसे बड़ा खंड रहा जो उद्योग के 2010 के समग्र राजस्व का एक तिहाई है ।

वर्ष 2011-12 में भारत में प्रमुख मूल रसायनों का उत्पादन 8.3 मिलियन मीट्रिक टन रहा जो समग्र रूप में ठीक तो दिखता है परंतु हाल के वर्षों में प्रगति बहुत प्रभावी नहीं रही है। भारतीय रसायन उद्योग का उत्पादन 1.8 प्रतिशत की सी ए जी आर वृद्धि दर्ज करते हुए 2006-07 के 7.6 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2011-12 में 8.3 मिलियन मीट्रिक टन ही रहा। इस अवधि के दौरान यह सपाट वृद्धि मुख्यत: क्षारीय रसायन (जैसे सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा तथा तरल क्लोरीन) में कम उत्पादकता के चलते रही जबकि अब तक यह इस खंड में मात्रा की दृष्टि

एक्ज़िम बैंक ने वेरॉक इंजीनियरिंग प्रा. लि. की अमेरिकी कंपनी विस्टॉन कॉर्पोरेशन, यू एस ए की लाइटिंग डिवीजन के अधिग्रहण में मदद की। वेस्टॉन कॉर्पोरेशन विश्व स्तरीय स्वचालित लाइटिंग उत्पादों की डिजाइनिंग तथा विनिर्माण करने वाली अग्रणी कंपनी है जिसकी चेक गणराज्य, मेक्सिको तथा चीन में विनिर्माण इकाइयाँ हैं। चित्र में दिखाई गई तस्वीर चेक विनिर्माण इकाई की है।

से सबसे बड़ा योगदान करता रहा है। कार्बनिक रसायनों की नकारात्मक वृद्धि ने इसे और प्रभावित किया तथा वृद्धि 2006-07 के स्तर से 2011-12 के दौरान प्रति वर्ष 1.0 प्रतिशत घट गई।

भारतीय रसायन उद्योग के विभिन्न खंडों की सबसे बड़ी विशेषता है इसके विशिष्ट रसायन खंड विशेषकर रंजक तथा रंजक सामग्री में सशक्त वृद्धि। रंजक तथा रंजक सामग्री का उत्पादन 17.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज करते हुए 2006-07 के 0.01 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2011-12 में 0.2 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है जो वर्ष दर वर्ष 4.0 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। हालांकि इनकी मात्रा तथा इनका आधार बहुत बड़ा नहीं है तथापि इन उत्पादों के बाजार तथा इनकी मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है।

अप्रैल-सितम्बर 2012-13 के छमाही आंकड़ों के अनुसार समग्र रसायनों का उत्पादन जहां 4.0 मिलियन मीट्रिक टन रहा है तथा 0.8 प्रतिशत की सपाट वृद्धि प्रदर्शित करता है वहीं रंजक, रंजक सामग्री तथा कीटनाशकों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 74.4 प्रतिशत व 62.2 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अकार्बनिक रसायन तथा कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में क्रमश: 13.0 प्रतिशत व 2.4 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि क्षारीय रसायनों के उत्पादन में सपाट वृद्धि हुई है।

जहां तक निर्यात का संबंध है रसायन तथा संबद्ध उत्पाद खंड की निर्यात वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2012-13 के दौरान 42.3 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच गई। मूल रसायनों (अकार्बनिक, कार्बनिक, रंजक, कीटनाशक, कृमिनाशक तथा फफूंदीनाशक सहित) का भारत से निर्यात 2007-08 के 9.0 बिलियन यू एस डॉलर से 14.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2012-13 में 17.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है। देश के समग्र निर्यात में मूल रसायनों का हिस्सा 2012-13 में 6.2 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 के दौरान अकार्बनिक रसायनों का निर्यात 19.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि उसी अवधि में कार्बनिक रसायनों का निर्यात, जिसका मूल्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा हिस्सा था, 14.0 प्रतिशत की दर से बढ़ा। कृमिनाशक जिनका मूल रसायनों के निर्यात में मूल्य की दृष्टि से सबसे कम (2012-13 के दौरान 1.7 बिलियन यू एस डॉलर) हिस्सा था, वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान 21.5 प्रतिशत की दर से बढ़े।

भारतीय रसायन उद्योग लगातार वैश्विक उद्योग बनता जा रहा है, रसायन उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा मूल फर्म तथा इसकी अनुषंगियों के साथ व्यापार इस क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। एफ डी आई ने भारतीय रसायन उद्योग की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा तथा विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को प्रौद्योगिकी अंतरण तथा उसके प्रयोग तथा एफ डी आई अंतर्वाह से संबद्ध लाभों से फायदा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के चलते एफ डी आई की आवक बढ़ी है। वर्तमान नीति में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत रसायन क्षेत्र में शत-प्रतिशत एफ डी आई की अनुमति है। भारतीय रसायन उद्योग सर्वाधिक एफ डी आई आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में 10वें स्थान पर है जिसने अप्रैल 2000 से मार्च 2013 की अवधि में 8.8 बिलियन यू एस डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश (एफ डी आई) आकर्षित किया जिसका भारत में आए कुल एफ डी आई (193.4 बिलियन यू एस डॉलर) में 4.5 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा है।

चूँकि रसायन उद्योग के उत्पादों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के विनिर्माण अनुप्रयोगों में किया जाता है अत: इस उद्योग की वृद्धि सामान्यत: पूरी अर्थव्यवस्था के रूझानों के साथ-साथ विश्व के साथ हमारे व्यापार एवं निवेश संबंधों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण आदि पर काफी कुछ निर्भर करती है। घरेलू स्तर पर प्रशुल्कों में कमी के चलते सुदृढ़ एवं व्यवस्थित परिचालन प्रणाली वाली भारतीय रसायन कंपनियों के और लाभान्वित होने की संभावना है। प्रतिस्पर्धी बढ़त वाली कंपनियाँ अर्थात् जिनकी उच्च मूल्य वाले रसायनों के क्षेत्र में सक्षमता है तथा जो अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करती हैं, अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं।

चूँकि भारत में अभी भी प्रति व्यक्ति रसायन उत्पादों की खपत विश्व औसत से बहुत कम है अत: घरेलू उद्योग के लिए इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए रंजक (डाई) उद्योग में प्रति व्यक्ति भारतीय खपत 50 ग्राम है जबकि विश्व में औसत 425 ग्राम है। पॉलीमरों के मामले में भारत में प्रति व्यक्ति खपत 5.2 किग्रा है जबकि विश्व औसत 25 किग्रा का है। घरेलू बाजार के आकार तथा उपभोक्ता खंड की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही उद्योग में जारी पहलों तथा हालिया सरकारी प्रयासों को देखते हुए भारतीय रसायन उद्योग के 11.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2017 तक 224.0 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

पेट्रोलियम उत्पाद

पेट्रोलियम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र जिसमें खनन, परिष्करण तथा पेट्रोलियम एवं गैस पदार्थों का विपणन शामिल हैं, का भारतीय जी डी पी को 15.0 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। पेट्रोलियम आयोजना तथा विश्लेषण कक्ष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 219.0 मिलियन मीट्रिक टन रहा जो गत वर्ष के 203.9 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में है।

भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र ने हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है तथा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात लगातार आकर्षक दर से बढ़ा है। वर्ष 2012-13 के दौरान देश से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की मात्रा गत वर्ष के 15.0 मिलियन मीट्रिक टन के आयात की तुलना में 63.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 14.9 मिलियन मीट्रिक टन तथा आयात 60.8 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत की बढ़ती रिफाइनिंग क्षमता को देखते हुए वर्ष 2014 में 70.0 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच जाने का अनुमान है जिससे भारत विश्व में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों में से एक बन जाएगा।

किंतु मूल्य के मामले में कमजोर वैश्विक मांग के चलते पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात का मूल्य 2012-13 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मात्र 7.6 प्रतिशत दर्ज करते हुए 60.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। कुल निर्यातों में

इंडोनेशिया में एक टर्मिनल पर कोयले की लदाई। एक्ज़िम बैंक ने जी एम आर समूह की पी टी गोल्डेन एनर्जी माइन्स के अधिग्रहण में मदद की। इससे भारत में जी एम आर समूह के विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति मिलेगी।

एक्ज़िम बैंक ने घाना में एक चीनी संयंत्र की स्थापना के लिए 35 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की। इस ऋण-व्यवस्था करार पर घाना सरकार की ओर से भारत में घाना के उच्चायुक्त महामहिम श्री रॉबर्ट टेकी मेंशन ने हस्ताक्षर किए।

पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात का हिस्सा 2005-06 में 11.2 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-जनवरी 2012-13 में 20.7 प्रतिशत तक पहुँच गया।

भारत में तेल तथा गैस की घरेलू मांग बढ़ रही है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार तेल तथा गैस की मांग 2015 तक 4 से 5 प्रतिशत बढ़कर 4.0 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाने की संभावना है। अधिकांश मांग वृद्धिशील आर्थिक गतिविधियों के चलते परिवहन वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि के कारण अनुमानित है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान दर्शाता है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग सीमांत वर्ष (2016-17 के) के 186.0 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के सीमांत वर्ष (2021-22) तक लगभग 244.0 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। रिफाइनिंग उद्योग के लिए मध्यावधि संभावना सकारात्मक दिखती है जिसका कारण घरेलू बाजार में क्षमता निर्माण तथा उपयोग में वृद्धि होना है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में तेजी, अनुकूल सरकारी नीतियों, मूल्य विनियंत्रण तथा विपणन से सरकारी नियंत्रण हटाने से इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए संभावनाएं और बढ़ेंगी।

वस्त्र एवं परिधान

कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता होने के चलते वस्त्र एवं परिधान उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रभाव डालने वाला दूसरा सबसे बड़ा खंड है। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन तथा निर्यात आय के योगदान के जरिए यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4.0 प्रतिशत तथा देश के कुल निर्यात में 9.0 प्रतिशत योगदान करने के साथ-साथ 35.0 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार टेक्सटाइल उद्योग के दोनों उप खंडों- वस्त्र एवं परिधान; तथा फर की ड्रेसिंग तथा डाईंग में 2012-13 के दौरान क्रमश: 5.8 प्रतिशत तथा 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय वस्त्र उद्योग काफी विशाखित है, जिसमें हथकरघा क्षेत्र के साथ-साथ पूँजी गहन आधुनिकतम मिल क्षेत्र भी शामिल है। विकेन्द्रित पॉवरलूम / होजरी तथा बुनाई खंड भारतीय वस्त्र उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है।

वर्ष 2011 के दौरान भारत का विश्व टेक्सटाइल निर्यात में 5.1 प्रतिशत तथा विश्व वस्त्र निर्यात में 3.5 प्रतिशत हिस्सा रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत से वस्त्र एवं कपड़ों का निर्यात (कॉर्पेट सहित) 27.3 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो वर्ष-दर-वर्ष 2.6 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित करता है। प्रमुख मदों में कॉटन यार्न एवं फैब्रिक के निर्यात में गत वर्ष की तुलना में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह 2012-13 के दौरान 7.5 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के रहे।

केन्द्रीय बजट 2013-14 में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को ` 24.0 बिलियन के निवेश के साथ जारी रखना; हैंडलूम उद्योग को 6.0 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण; कॅयर तथा जूट से बने कॉर्पेट तथा दूसरी सामग्रियों पर उत्पाद कर में छूट; ब्रांडेड परिधानों शून्य उत्पाद शुल्क; इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत परिधान इकाइयों को एक ही स्थान पर समायोजित करने की दृष्टि से परिधान पार्क योजना के लिए कपड़ा मंत्रालय को ` 0.5 बिलियन की सहायता;

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक नई एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना का प्रारंभ; बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 800 क्लस्टरों के लिए पारम्परिक उद्योग पुनरुत्थान निधि योजना को जारी रखना प्रमुख हैं।

हालांकि अल्पावधि परिदृश्य में टेक्सटाइल क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं किंतु दीर्घावधि में सही नीतियों तथा भारत के दो प्रमुख बाजारों- यू एस ए तथा यूरोपीय संघ से मांग में अल्पावधि में सुधार होने से इस क्षेत्र के अब तक की मंदी से उबरने के आसार हैं। आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग तथा निर्यात बाजारों के विशाखन जैसे नीतिगत सहयोग से इस क्षेत्र को मदद मिलेगी तथा यह विकास के नए प्रतिमान तय कर सकेगा। भारतीय निर्यातक घरेलू बाजारों सहित कुछ उभरते बाजारों यथा यू ए ई, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको तथा तुर्की आदि में अपने बाजार के विशाखन पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। भविष्य में बड़े विनिर्माण आधार, कच्चे माल तथा श्रम की आसान उपलब्धता सहित बड़े घरेलू बाजार तथा अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

औषध एवं औषधियाँ

वैश्विक औषधि बाजार भारी शोध एवं विकास खर्च तथा उत्पादों के लिए कड़े विनियमों के लिए जाना जाता है। शोध एवं विकास पर बढ़ते खर्च, कम होती मृत्यु दर तथा सशक्त अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक औषधि बाजार की संवाहक बनी हुई हैं। हालांकि इस बाज़ार में विकासशील देशों का दबदबा है किन्तु भारत, चीन, मैक्सिको जैसे विकासशील देशों का हिस्सा भी हाल के वर्षों में इस बाज़ार में बढ़ा है। वैश्विक औषधि बाजार की बिक्री गत वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2011 में 956.0 बिलियन यू एस डॉलर रही। वैश्विक औषधि बाजार की बिक्री 2003 में 565.0 बिलियन यू एस डॉलर से 8.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2011 में 956.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गई। हालांकि समग्र रूप में वैश्विक औषधि बाजार की बिक्री बढ़ी है किन्तु वृद्धि दर 2003 के 12.0 प्रतिशत से घटकर 2011 में 8.5 प्रतिशत पर पहुँच गई है। क्षेत्रीय स्तर पर उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा बाज़ार था जिसका वैश्विक औषधि बाजार की बिक्री में 36.0 प्रतिशत हिस्सा था इसके बाद यूरोप (27.8 प्रतिशत); एशिया (जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका को छोड़कर) (17.3 प्रतिशत); जापान (11.6 प्रतिशत) तथा लैटिन अमेरिका (7.0 प्रतिशत) का स्थान रहा।

औषधि उद्योग का वैश्विक निर्यात 2011 में 497.0 बिलियन यू एस डॉलर रहा। गत कई वर्षों में औषधि उत्पादों का वैश्विक निर्यात में हिस्सा बढ़ा है या कमोबेश स्थिर रहा है। 2005 में जहां यह 2.7 प्रतिशत था वहीं 2011 में भी यह 2.8 प्रतिशत के स्तर पर ही रहा है। वर्ष 2011 में यूरोपीय संघ का वैश्विक निर्यात में सबसे बड़ा 65.6 प्रतिशत हिस्सा रहा जिसके बाद स्विट्जरलैंड (11.6 प्रतिशत), यू एस ए (8.6 प्रतिशत) तथा चीन (2.4 प्रतिशत) प्रमुख निर्यातक रहे। वैश्विक औषधि बाजार में 9.0 बिलियन यू एस डॉलर हिस्से (1.9 प्रतिशत) के साथ भारतीय औषधि उद्योग का इसी अवधि में 5वां स्थान रहा है।

औषधि बाज़ार में अवसरों की दृष्टि से भारत एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप मे उभर रहा है। भारतीय औषधि

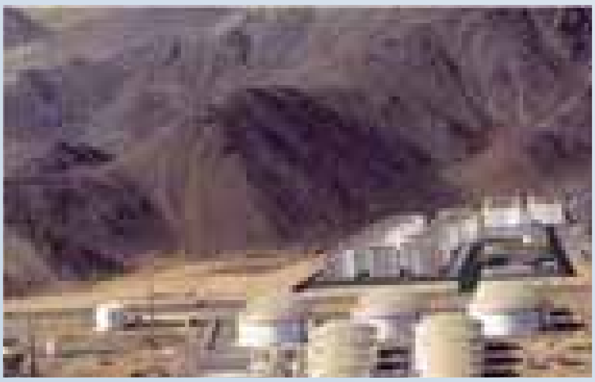

एक्ज़िम बैंक ने फुजायरा, यू ए ई में एक तेल भंडारण टैंक टर्मिनल की स्थापना हेतु आई एल एंड एफ एस मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लि. की अनुषंगी कंपनी आई एल एंड एफ एस प्राइम टर्मिनल्स एफ जेड सी, यू ए ई को सहायता प्रदान की।

एक्ज़िम बैंक ने लॉर्सन एंड टूब्रो लि. की म्यांमार में एक ऑफशोर वेलहेड प्लेटफॉर्म की स्थापना करने में मदद की, जिसमें इंजीनियरिंग, निर्माण, कमीशनिंग आदि कार्य शामिल हैं।

उद्योग के 2012 के 11.0 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2020 तक 74.0 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है। उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से देश का तीसरा (विश्व उत्पादन का 10.0 प्रतिशत हिस्सा) तथा मूल्य की दृष्टि से 14 वां (विश्व मूल्य का 1.5 प्रतिशत हिस्सा) स्थान है ।

भारतीय औषधि निर्माता कंपनियाँ इस विश्व व्यापी मंदी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई हैं क्योंकि वे कम लागत पर औषधियाँ बनाती हैं। इसकी पुष्टि इस क्षेत्र के वर्ष दर वर्ष आधार पर निष्पादन से की जा सकती है। औषधि उत्पादों का निर्यात (आई टी सी एच एस कोड 30) 2011-12 के दौरान 27.1 प्रतिशत की दर से बढ़कर 8.5 बिलियन यू एस डॉलर रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात गत वर्ष की तुलना में 18.4 प्रतिशत की दर से बढ़कर 10.1 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो देश की इसी अवधि में समग्र निर्यात की वृद्धि दर से ज्यादा है।

यू एस ए 30.0 प्रतिशत हिस्से के साथ भारतीय औषधि उत्पादों का प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल रहा इसके बाद रूस (4.7 प्रतिशत), यूके (4.2 प्रतिशत), दक्षिण अफ्रीका (3.6 प्रतिशत) तथा नाइजीरिया (3.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। यू एस ए तथा रूस ने भारतीय औषधि उत्पादों के प्रमुख गंतव्य स्थल के रूप में 2004-05 से 2011-12 तक अपना स्थान बरकरार रखा है। तथापि इटली व कई अन्य अफ्रीकी देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, कीनिया तथा घाना भी भारतीय औषधि उत्पादों की प्रमुख आयातकों के रूप में उभरे हैं। इन अफ्रीकी देशों ने आयरलैंड, वियतनाम, ब्राज़ील जैसे प्रमुख भारतीय औषधि बाजारों का स्थान ले रहे हैं।

भारतीय औषधि उद्योग कई प्रकार के नए औषधि उत्पादों को विश्व बाजार में उतारने की तैयारी में है। इनमें से कुछ जहाँ प्रारंभिक अवस्था में है वहीं कुछ वाणिज्यिक चरण तक पहुँच गए हैं। कई फार्मा कंपनियों ने अपने ड्रग पोर्टफोलियो को बदला है तथा अब वे प्राथमिक चिकित्सा औषधियों के निर्माण के बजाए विशिष्ट औषधि क्षेत्रों जैसे आंकोलोजी इम्यूनोलोजी तथा इन्फ्लेमेशन आदि के लिए दवाइयाँ निर्मित कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सा की गहन आवश्यकता होती है तथा विनियामकों द्वारा उच्च मूल्यों को आसानी से मान्यता दे दी जाती है।

इसके साथ ही औषधि विभाग ने 'विजन -2020' नामक एक योजना भी तैयार की है जिसके अंतर्गत भारत को औषधि खोज तथा नवोन्मेष के लिए विश्व का एक बेहतरीन स्थान बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का विकास, शोध एवं विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी श्रम शक्ति, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता से संयुक्त उद्यमों की स्थापना आदि के लिए आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी। भारत का घरेलू औषधि बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है तथा इसके पारम्परिक अनुमानों के अनुसार 2020 तक 55.0 बिलियन यू एस डॉलर तथा थोड़ी सहायता मिलने से 70.0 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

उच्च तथा मध्यम वर्ग की बढ़ती जनसंख्या, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों की स्थापना के साथ ही भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग का भविष्य उज्जवल है। फार्मास्युटिकल उद्योग में आज कंपनियाँ विशिष्ट खंडों और बाजारों में अधिक रुचि दिखा रही हैं इससे इस उद्योग में एक नई प्रवृत्ति का उदय हो रहा है। भारतीय फार्मा उद्योग उपलब्ध मानव तथा वित्तीय संसाधनों का समुचित और रणनीतिक उपयोग कर रणनीतिक सहभागिता के जरिए नैदानिक तथा संविदा खोज के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करनेकी ओर अग्रसर है।

पूँजीगत माल क्षेत्र

पूँजीगत माल उद्योग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का आधार है। भारत में विनिर्मित की जाने वाली प्रमुख मशीनरी में भारी विद्युत मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, मशीन

उपकरण, खुदाई तथा निर्माण उपकरण सहित खनन उपकरण, सड़क निर्माण उपकरण, छपाई की मशीनें, डेयरी मशीनें, औद्योगिक रेफ्रिजरेशन तथा औद्योगिक ताप भट्टी उपकरण आदि शामिल हैं। पूँजीगत माल उद्योग 2010-11 के दौरान 15.0 प्रतिशत की अच्छी वार्षिक औसत वृद्धि के साथ बढ़ा है जबकि 2009-10 के दौरान यह मात्र 1.0 प्रतिशत थी। तथापि यह प्रगति 2011-12 में भी जारी न रह सकी तथा उद्योग ने मात्र 4.1 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2012-13 के दौरान इसमें और गिरावट आई तथा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर यह गिरावट 6.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। जहां तक पूँजीगत माल उद्योग के विभिन्न उपखंडों का सवाल है वर्ष 2011-12 के दौरान देश में मशीनरी उपकरणों का उत्पादन लगभग ` 43.0 बिलियन तक पहुंच गया जो गत वर्ष के ` 36.2 बिलियन की तुलना में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2012-13 में मशीन उपकरणों का निर्यात 393.3 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा जो गत वर्ष की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। जबकि इसी अवधि के दौरान आयात 2.8 बिलियन यू एस डॉलर रहे जो गत वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

जहाँ तक टेक्सटाइल मशीनरी का सवाल है। वर्ष 2011-12 में भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी का कुल उत्पादन ` 52.8 बिलियन मूल्य से अधिक रहा जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 14.0 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है। जबकि भारत से टेक्सटाइल मशीनरी का निर्यात 297.0 मिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है। इसी अवधि के दौरान आयात 1.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष की तुलना में 14.1 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है।

भारत निर्माण तथा खनन क्षेत्र के लिए लगभग हर प्रकार की मशीनरी का उत्पादन करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान निर्माण तथा खनन मशीनरी का भारतीय उत्पादन ` 113.0 बिलियन मूल्य से अधिक रहा जो गत वर्ष की तुलना में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। किन्तु एक विकासशील देश होने के नाते उत्पादन घरेलू मांग को ही पूरा नहीं कर पाता है इसलिए इनका ज्यादातर हिस्सा आयात करना पड़ता है । वर्ष 2012-13 के दौरान निर्माण तथा खनन मशीनरी का भारतीय निर्यात 616.9 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 1.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान निर्यात में जहां गत वर्ष की तुलना में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं आयात में 27.2 प्रतिशत की कमी हुई। भारत में प्रसंस्करण संयंत्र एवं पुर्जा क्षेत्र पूँजीगत माल उद्योग क्षेत्र का अलग खंड है। वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन ` 198.6 बिलियन मूल्य से अधिक रहा जो गत वर्ष की तुलना में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत द्वारा 1.8 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की प्रसंस्करण मशीनरी का निर्यात तथा 3.8 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की मशीनरी का आयात किया गया जो गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 6.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा 4.3 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है।

विद्युत उपकरण तथा मशीनरी क्षेत्र में भी उत्पादों की व्यापक शृंखला है जिनमें ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, मोटर, जेनरेटर तथा कंट्रोल उपकरण आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान विद्युत उपकरण तथा मशीनरी का भारतीय उत्पादन ` 1263.1 बिलियन रहने का अनुमान

एक्ज़िम बैंक ने आई एल एंड एफ एस फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आई फिन) के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य यू एस डॉलर, यूरो तथा येन से इतर मुद्राओं वाले बाँड बाजार तथा सी एन एच बाँड बाजार में प्रवेश करने वाली भारतीय कंपनियों की मदद करना है। हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर आई फिन के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रमेश बावा और अध्यक्ष श्री रवि पार्थ सारथी उपस्थित थे।

भारत में पण्य वस्तुओं के व्यापार की दिशा (प्रतिशत में)

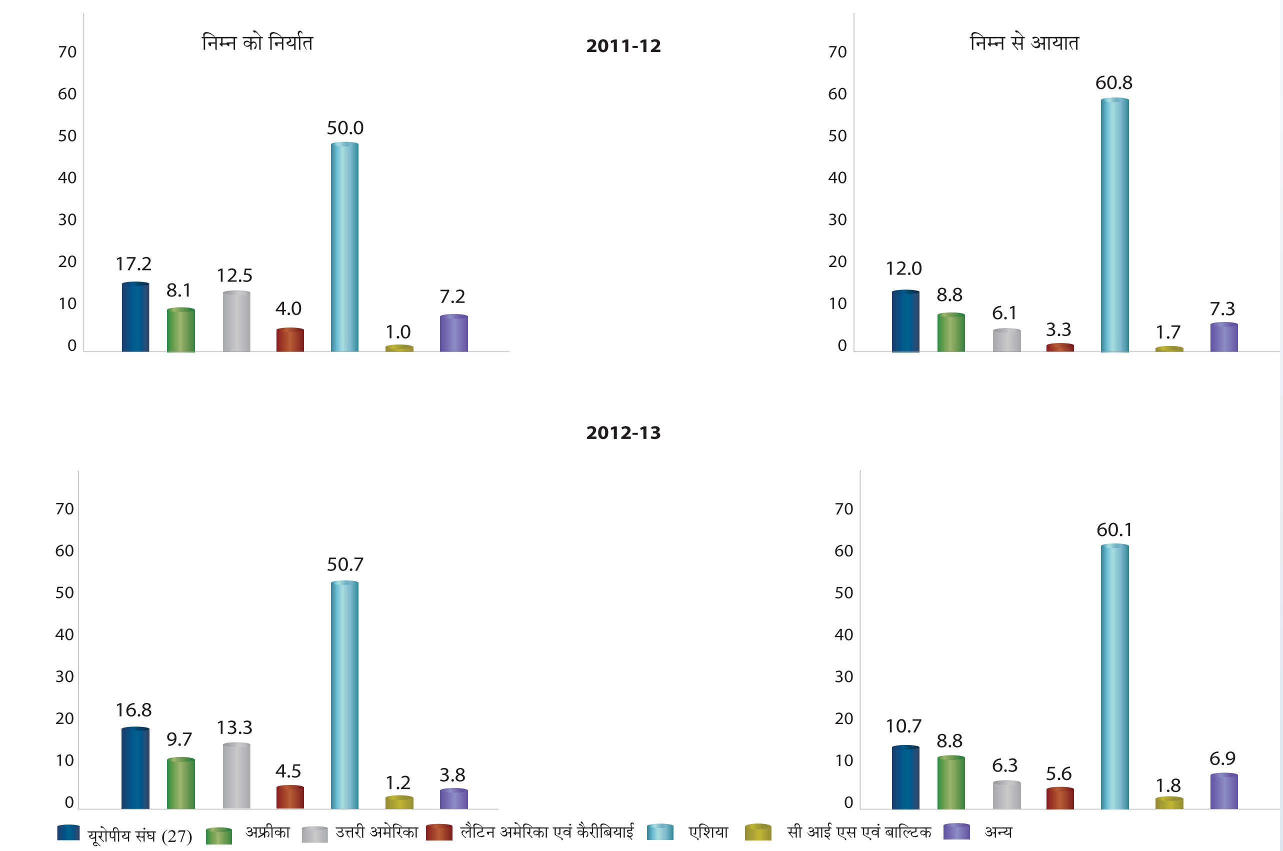

स्रोत : डी जी सी आई एस, एम ओ सी आई

है जो गत वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। भारत द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 2.3 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की मशीनरी का निर्यात तथा 3.8 बिलियन यू एस डॉलर मशीनरी का आयात किया गया। जो गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 0.5 प्रतिशत की वृद्धि तथा 6.7 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है।

हालिया खराब प्रदर्शन के बावजूद समग्र रूप में मध्यम तथा दीर्घावधि में भारत में पूँजीगत माल उद्योग का भविष्य अच्छा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाने, इस क्षेत्र के उप-क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के एक कार्यकारी दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं में बहुआयामी कार्यक्रमों के जरिए सहयोग योजनाएं तथा नीतिगत हस्तक्षेप जैसे- प्रौद्योगिकी विकास के अंतरण/अधिग्रहण/आधुनिकीकरण विनिर्माण इकाइयों के विस्तार आदि के लिए समुचित प्रणाली का सृजन; मानव संसाधन के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी संस्थानों को सहयोग, परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना तथा स्थानीय मूल्य संवर्धन व प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए आयात को कम करना आदि प्रमुख है।

इलेक्ट्रॉनिक्स

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्षेत्र हाल के वर्षों में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत के पास सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा मनोरंजन क्षेत्र में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वैश्विक बाजारों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के विकास तथा विनिर्माण की पर्याप्त क्षमता है। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन वर्ष 2007-08 के ` 844.1 बिलियन से बढ़कर 2012-13 में 16.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ` 1,775.0 बिलियन तक पहुँच गया है। कुल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन में संचार तथा प्रसारण उपकरण (31.0

प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इसके बाद उपकरणों (14.9 प्रतिशत), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक (23.2 प्रतिशत), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक (12.1 प्रतिशत), तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिक (5.1 प्रतिशत) तथा कम्प्यूटर (13.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। वृद्धि के मामले में भी वर्ष 2006-07 से 2012-13 के दौरान संचार तथा प्रसारण उपकरण क्षेत्र 24.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए अग्रणी रहा। इसके बाद उपकरणों (22.4 प्रतिशत), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक (12.8 प्रतिशत), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक (12.5 प्रतिशत) तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिक (9.6 प्रतिशत) तथा कम्प्यूटर (8.9 प्रतिशत) का स्थान रहा।

वर्ष 2011-12 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात गत वर्ष की तुलना में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 9.0 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो भारत के कुल निर्यात का 3.0 प्रतिशत हिस्सा था। 2012-13 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 9.8 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दर्ज करते हुए 8.5 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात संबंध है, 2011-12 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात 32.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो भारत के कुल आयात का 7.0 प्रतिशत हिस्सा था। 2012-13 के दौरान निर्यात के समान ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात भी वर्ष-दर-वर्ष 3.9 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दर्ज करते हुए 31.5 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के प्रमुख गंतव्य स्थलों में यू एस ए (13.4 प्रतिशत), यू ए ई (10.9 प्रतिशत), नीदरलैंड्स (6.1 प्रतिशत), जर्मनी (4.1 प्रतिशत), सिंगापुर (3.8 प्रतिशत) रहे। आयात के मामले में प्रमुख स्रोतों में चीन (46.6 प्रतिशत), यू एस ए (6.8 प्रतिशत), मलेशिया (5.4 प्रतिशत), सिंगापुर (5.1 प्रतिशत), जर्मनी (4.5 प्रतिशत) तथा दक्षिण कोरिया (3.9 प्रतिशत) रहे।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विश्व में सर्वाधिक वैश्वीकृत (ग्लोबलाइज्ड) उद्योग है और खासकर सूचना प्रौद्योगिकी करार (आई टी ए) के विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के साथ शामिल होने के बाद से यह उद्योग उत्पादकता तथा सर्जनात्मकता तथा उत्पादकता की दृष्टि से विनिर्माण उद्योग की काफी मदद करता है। यूरोप तथा एशियाई क्षेत्र में कई देशों ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को राष्ट्रीय विकास के लिए प्रमुख उद्योग के रूप में निर्धारित किया है। भारत ने भी आई टी ए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा विकासात्मक वृद्धि के लिए इस उद्योग को प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है।

कतिपय चुनौतियों के चलते भारत का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पिछड़ रहा है। इसलिए इस उद्योग के विकास तथा संवर्द्धन हेतु पृथक रणनीतियों की जरूरत है। इसी को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 की घोषणा की गई है। इस नीति में विभिन्न स्तर पर योजनाओं के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन व मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन व मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विकास करना है जिसका टर्नओवर 2020 तक 400.0 बिलियन यू एस डॉलर हो तथा जिसमें 100.0 बिलियन यू एस डॉलर के निवेश सहित विभिन्न स्तरों पर कम-से-कम 28.0 मिलियन लोगों को रोजगार मिल सके। इस नीति में आगामी दशक में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए दिशानिर्देश व रोड मैप दिए गए हैं। इस नीति के तहत कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कुछ योजनाएँ इस प्रकार हैं: देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को वरीयता (वरीय बाजार पहुंच योजना); इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना (ई एम सी); संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एम सिप्स) का प्रारंभ तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए चिन्हित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का अनिवार्य पंजीकरण आदि प्रमुख हैं। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त इस नीति में दो सेमी कंडक्टर वेफर इकाइयों की स्थापना, सशक्त शोध तथा आयोजना प्रणालियों की स्थापना व इसमें हर वर्ष लगभग 2500 शोधों का सृजन, इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों सहित क्षेत्र विशिष्ट कौशल विकास अकादमियों का

गठन, ई एस डी एम के लिए एक छवि निर्माण कैम्पेन का प्रारंभ भी शामिल है। इस नीति में प्रमुख रूप से देश में इलेक्ट्रॉनिक तथा हार्डवेयर उद्योग के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों का समाधान देते हुए मूल्य संवर्द्धन करना है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया जा रहा है जिसे देखते हुए मध्यावधि से दीर्घावधि में इस उद्योग का भविष्य सकारात्मक दिखाई दे रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में सशक्त वृद्धि दर हासिल की है। उदारीकरण के चलते समृद्ध होते मध्य वर्ग तथा बढ़ती खर्च योग्य आय से ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य पर खर्च बढ़ा है तथा इसने इस क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके साथ ही अन्य घटकों जैसे देश के जन सांख्यिकी प्रोफाइल, सशक्त आर्थिक आधार आदि ने भी देश में खाद्य तथा पेय पदार्थों पर खर्च को बढ़ाया है।

वर्तमान औसत वृद्धि को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफी संभाव्यता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भारत गेहूं तथा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ-साथ विश्व के कुल फल उत्पादन में भी 10.0 प्रतिशत हिस्सा रखता है। केला तथा आम के मामले में तो यह पहले स्थान पर है। इसके आलावा भारत दूध तथा दूध उत्पादों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है जो देश के कुल खाद्य खर्च में भी 17.0 प्रतिशत हिस्सा रखता है।

भौगोलिक स्थिति, उत्पादन, वृद्धि, उपभोग तथा निर्यात की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है तथा भारत सरकार द्वारा इसे प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2012 में भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मूल्य 135.0 बिलियन यू एस डॉलर है तथा इसके 10.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2015 तक 200.0 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल तथा सब्जियाँ, मसाले, मांस तथा मुर्गी, दूध एवं दूध उत्पाद, अल्कोहलिक तथा गैर-अल्कोहलिक पेय, फिशरी, प्लांटेशन, अनाज प्रसंस्करण तथा अन्य उत्पाद समूहों जैसे कन्फेक्शनरी, चॉकलेट तथा कोकोवा उत्पाद, सोया उत्पाद, मिनरल वाटर तथा उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं।

संगठित रिटेल क्षेत्र के बढ़ने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफ डी आई बढ़ने तथा नए मूल्य योजित उत्पादों को बाजार में उतारने के चलते न केवल माँग बल्कि आपूर्ति क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन आ रहे हैं। बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि व पशुधन तथा लागत प्रतिस्पर्धा के चलते, भारत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का एक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार 2015 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 22.0 बिलियन यू एस डॉलर व्यय किए जाने का प्रावधान है। इस क्षेत्र में माँग एवं आपूर्ति में मजबूती आने से निवेशों में भी बढ़ोत्तरी होगी। जनवरी 2000 से मार्च 2013 के बीच भारतीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एफ डी आई आवक 1.8 बिलियन यू एस डॉलर थी जिसका इस अवधि के दौरान कुल निवेश में 1.0 प्रतिशत हिस्सा रहा।

मूल्य योजन के पर्याप्त अवसरों, भारत में प्रसंस्कृत खाद्य

एक्ज़िम बैंक ने तंजानिया में दार एस सलाम तथा चालिंजी क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं में सुधार के लिए 178.125 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की। महामहिम श्री विलियम ए. जिम्वा, वित्त मंत्री, तंजानिया ने इस करार पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर तंजानिया में भारत के युच्चायुक्त श्री देबनाथ शॉ भी उपस्थित थे।

उत्पादों के बढ़ते उपभोग तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों के चलते इस उद्योग के मध्यावधि तथा दीर्घावधि में काफी बढ़ने के आसार हैं। इस उद्योग के प्रमुख संवाहकों में एकीकृत कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा विकास, फार्म में ही प्री-प्रोसेसिंग तथा प्री-कूलिंग सुविधा, कृषि बाजारों का आधुनिकीकरण, बड़ी संख्या में अनाज भंडारण केंद्र, मेगा फूड पार्क तथा खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन व केन्द्रीय बजट 2012-13 में भारत सरकार द्वारा परिकल्पित पहलों का कार्यान्वयन होगा ।

एक्ज़िम बैंक ने संजीव ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स प्रा. लि. की स्पेन में ऑटो पार्ट्स विनिर्माण कंपनी ब्रिमो ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के अधिग्रहण में मदद की।

नीतिगत परिवेश

भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति के वार्षिक अनुपूरक में विदेश व्यापार नीति के कई घोषणा की हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक व ऋण नीतियों में भी कई पहलों की घोषणा की गई है।

बदलते वैश्विक परिवेश में पिछले दो सालों से जारी किए जा रहे विदेश व्यापार नीति के वार्षिक अनुपूरक में किए गए उपायों ने निर्यातों को संबल प्रदान किया है। भारत के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए विदेश व्यापार नीति के जून 2012 में जारी वार्षिक अनुपूरक 2012-13 में शून्य शुल्क वाली ई पी सी जी योजना के स्कोप को बढ़ाकर इसे 31 मार्च, 2013 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। देश के उत्तरपूर्वी राज्यों में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा रोजगार अवसरों को सृजित करने के लिए ई पी सी जी योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व को सभी 8 राज्यों के लिए सामान्य निर्यात दायित्व का 25.0 प्रतिशत रखा गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के विनिर्दिष्ट स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों के जरिए निर्यात पर एक एफ ओ बी निर्यात मूल्य पर 1.0 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। हरित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत चिन्हित किए गए 16 उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए इन उत्पादों के विनिर्माण पर ई पी सी जी योजना के अंतर्गत लगने वाले निर्यात दायित्व कर को सामान्य निर्यात दायित्व कर का 75.0 प्रतिशत तक कर दिया गया है। आई टी सी कोड (एच-एस 1-24) के अंतर्गत निर्यात करने वाले स्टेटस होल्डर निर्यातकों के लिए कृषि उत्पादों के एफ ओ बी निर्यात मूल्य पर 10.0 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। निर्यातों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस) तथा विशेष फोकस मार्केट योजना (एस एफ एम एस) के अंतर्गत 7 नए बाजार जोड़े गए हैं। मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एम एल एफ पी एस) में 46 नए उत्पाद जोड़े गए तथा योजना को विस्तारित कर इसमें यू एस ए तथा यूरोपीय संघ देशों को निर्यात के लिए एच-एस 61 तथा 62 उत्पाद मदें जोड़ी गई। फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एम एफ पी एस) में 110 नए उत्पाद जोड़े गए तथा योजना के अंतर्गत दो नई मदें विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई) को जोड़ा गया। विदेश व्यापार नीति के जून 2012 में जारी वार्षिक अनुपूरक 2012-13 के अलावा दिसंबर 2012 में नए उपायों की घोषणा की गई जिसके तहत एफ एम एस योजना में 5 व विशेष फोकस मार्केट योजना में 1 नया बाजार जोड़ा गया। मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एम एल एफ पी एस) में 62 नए उत्पाद व 3 नए देश तथा फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफ पी एस) में 102 नए उत्पाद जोड़े गए। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई) में शेल वैक्स, आटा तथा खली या 51.0 प्रतिशत तक प्रोटीन वाले ओलियोजीनस फल तथा ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें कहीं और विनिर्धारित नहीं किया गया है, को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति के वार्षिक अनुपूरक में निर्यात प्रक्रिया के सरलीकरण, सिंथेटिक वस्त्रों के निर्यात हेतु सजावटी सामान का कर मुक्त आयात, विदेशी मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के

लिए ई - बी आर सी प्रणाली की शुरुआत; जनवरी-मार्च 2012 की अवधि को आधार मानकर जनवरी-मार्च 2013 तिमाही के दौरान अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा एशियाई देशों को निर्यात में हुई वृद्धि के लिए आई ई सी कोड धारक निर्यातकों को ड्यूटी में 2.0 प्रतिशत की छूट के लिए प्रावधान किए गए हैं।

विदेश व्यापार नीति के अप्रैल 2013 में जारी वार्षिक अनुपूरक 2013-14 में सरकार ने शून्य शुल्क वाली ई पी सी जी योजना तथा 3.0 प्रतिशत शुल्क वाली ई पी सी जी योजना को मिलाकर केवल शून्य शुल्क वाली ई पी सी जी योजना करने का निर्णय लिया। यह योजना सभी क्षेत्रों पर एक समान रूप से लागू होगी तथा इसे पूर्व निर्धारित 31 मार्च, 2013 से आगे बढ़ा दिया गया है। एस ई जेड योजना में निवेशकों का विश्वास बहाल करने तथा यहां से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई है। दो प्रतिशत ब्याज राहत की योजना, जो पहले केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के लिए ही उपलब्ध थी, में इंजीनियरिंग क्षेत्र के 134 उप क्षेत्रों को भी जोड़ लिया गया है। एफ एम एस, एफ पी एस तथा वी के जी यू वाई योजना के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट प्रोत्साहन का उपयोग सेवाओं के प्रोक्योरमेंट पर सेवा कर के भुगतान के लिए किया जा सकेगा। नार्वे को एफ एम एस योजना तथा वेनेजुएला को विशेष एफ एम एस योजना के तहत जोड़ा गया है इस प्रकार इनके तहत कुल देशों की संख्या क्रमश: 125 तथा 50 हो गई है। मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एम एल एफ पी एस) के तहत इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट तथा टेक्सटाइल क्षेत्र से 47 नए उत्पादों तथा दो नए देशों को जोड़ा गया है। दिसंबर 2012 में घोषित वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना को 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2012-13 में किए गए कुछ उपायों में निर्यात के लिए इनपुट सेवा पर कर वापसी प्रक्रिया का सरलीकरण; लौह इस्पात पिलेट संयंत्रों की स्थापना या लौह इस्पात बेनिफिकेशन संयंत्रों के विस्तार के लिए संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद के लिए आयात शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल स्टील के विनिर्माण के लिए कोटिंग सामग्री तथा निकिल अयस्क व सांद्रण निकिल ऑक्साइड या हायड्रॉक्साइड पर सीमा शुल्क में कमी; टेक्सटाइल उद्योग का आधुनिकीकरण; शटल रहित स्वचालित करघों तथा स्वचालित सिल्क रीलिंग व प्रोसेसिंग मशीनरी को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2013-14 में किए गए कुछ उपायों में फुटवियर सहित चमड़े व चमड़े के सामान पर शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत करना; बहुमूल्य तथा कम कीमती जवाहरातों पर शुल्क को घटाकर 10.0 प्रतिशत से 2.0 प्रतिशत करना; तेल रहित राइस ब्रैन खली पर निर्यात शुल्क समाप्त करना; धागा, कपड़ा तथा वस्त्र चरण में सूती तथा सिंथेटिक वस्त्रों पर सेन वैट रूट के अलावा शून्य उत्पाद कर शुल्क रूट को पुन: चालू करना; कपास के मामले में फाइबर चरण पर शून्य उत्पाद शुल्क व सिंथेटिक के मामले में फाइबर चरण पर 12.0 प्रतिशत उत्पाद शुल्क प्रस्तावित है। हस्त निर्मित कॉर्पेट तथा कॅयर, जूट की बनी फर्श कवरिंग व पोत तथा वेसेल को उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है।

इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक तथा ऋण नीति में भी कई उपाय किए गए हैं। मई 2012 से बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋणों पर खुद ब्याज दर तय करने की छूट दी गई है। इससे निर्यातकों को ज्यादा निधियां प्राप्त हो सकेंगी। बैंकों को लगभग ` 300.0 बिलियन से अधिक की तरलता प्रदान करने के उद्देश्य से जून 2012 से निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त की सीमा को अधिसूचित बैंकों (ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए उनके बकाया निवल पात्र ऋण की 15.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 50.0 प्रतिशत कर दिया गया है। दो प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना जो पहले केवल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉर्पेट तथा एस एम ई क्षेत्र के लिए उपलब्ध थी, को मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया है तथा इसमें श्रम गहन क्षेत्रों जैसे खिलौने, स्पोर्ट्स सामान, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद व रेडीमेड वस्त्रों को भी शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2013 में इस योजना को 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है तथा इसमें इंजीनियरिंग माल की 134 नई मदों को भी जोड़ दिया गया। मई 2013 में योजना को पुन: विस्तारित किया गया तथा इसमें टेक्सटाइल सामान की 6 नई मदों व इंजीनियरिंग माल की 134 मदों के साथ 101 नई मदों को जोड़ा गया। 2012-13 के दौरान रिज़र्व बैंक की नीतियों में बदलाव देखने को मिला तथा नीतियां विकास व मुद्रास्फीति के बीच संतुलन पर केन्द्रित थीं। मार्च 2012 से मार्च 2013 के दौरान रिज़र्व बैंक ने रेपो दरों में कई

चरणों में कमी कर इसे 8.5 प्रतिशत से घटाकर तथा 7.5 प्रतिशत कर दिया। मई 2013 में बैंक ने रेपो दर में 25 आधार बिंदु की कमी कर इसे 7.25 प्रतिशत कर दिया जो कि जून 2011 से सबसे कम है। मार्च 2012 से मार्च 2013 के दौरान रिज़र्व बैंक ने रिवर्स रेपो दरों में भी कमी कर इसे मार्च 2012 के 7.5 प्रतिशत से घटाकर मार्च 2013 में 6.5 प्रतिशत कर दिया। मई 2013 में इसे फिर घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया। नकद आरक्षी अनुपात में भी कई बार बदलाव किए गए इसे मार्च 2012 के 4.75 प्रतिशत से घटाकर फरवरी 2013 में 4 प्रतिशत कर दिया गया। सांविधिक तरलता अनुपात में भी 100 आधार बिंदु की कमी कर इसे अगस्त 2012 में 24.0 प्रतिशत से घटाकर 23.0 प्रतिशत कर दिया गया। इन उपायों का उद्देश्य आर्थिक प्रणाली में तरलता लाना था।

इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए 2012-13 में कई उपाय किए गए। गेहूं, प्याज, दालों, पामोलिन तेल आदि पर आयात शुल्क शून्य कर दिया गया जबकि रिफाइंड, हाइड्रोजनित तथा वनस्पति तेल पर इसे घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। कम मूल्य पर आयातित खाद्य तेल के वितरण की योजना को 30 सितम्बर, 2013 तक बढ़ा दिया गया। चुनिंदा जरूरी खाद्य पदार्थों जैसे दालें, खाद्य तेल, खाद्य तिलहन के मामले में समय-समय पर तथा धान व चावल के मामले में चुनिंदा 7 राज्यों में नवंबर 2012 तक स्टॉक सीमाएं निर्धारित की गईं। रियायती आयातित खाद्य तेल व योजना को अप्रैल 2012 से सितंबर 2013 तक के लिए बढ़ा दिया गया तथा इस दौरान आयातित 10.0 लाख टन तक के खाद्य तेल पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट प्रदान की गई।

बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ई सी बी) के लिए नीति को विगत वर्षों के समान इस वर्ष के दौरान भी उदार बनाना जारी रखा गया। ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ई सी बी) के जरिए रुपया ऋण जुटाने की सीमा को 25.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 40.0 प्रतिशत कर दिया गया। बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ई सी बी) पर ब्याज के भुगतान के लिए विदहोल्डिंग कर तीन वर्षों के लिए (जुलाई 2012 से जून 2015 तक) 20.0 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया। विनिर्माण तथा बुनियादी सुविधा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए 10.0 बिलियन यू एस डॉलर की एक नई ई सी बी योजना का प्रारंभ किया गया। पूँजीगत व्यय हेतु ई सी बी सुविधा को सड़क व पुलों के लिए टोल प्रणाली के परिचालन व रख-रखाव, जब तक वे मूल परियोजना का हिस्सा हैं तथा सस्ती हाउसिंग योजना के लिए भी विस्तारित किया गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) संबंधी नीति में वर्ष 2012-13 के दौरान कई परिवर्तन किए गए। खुदरा ब्रांड रिटेल में 100.0 प्रतिशत की एफ डी आई की मंजूरी दी गई। सरकार ने खुदरा ब्रांड रिटेल की ट्रेडिंग के बारे में परिवर्तन किए इनमें (i) विदेशी निवेशक के पास ब्रांड का स्वामित्व होने पर: यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि आगे से खुदरा एकल ब्रांड रिटेल की ट्रेडिंग के लिए विधिक रूप से मान्य करार के जरिए ब्रांड के मालिक के साथ केवल एक ही अनिवासी एंटिटी (ब्रांड के मालिक के रूप में या अन्यथा) को अनुमति होगी। (ii) उत्पाद के मूल्य का कम से कम 30.0 प्रतिशत हिस्सा भारतीय लघु इकाइयों, गांवों तथा कुटीर उद्योगों, ग्रामीण कारीगरों, शिल्पियों से सोर्स करना होगा। यह उन्हीं प्रस्तावों पर लागू होगा जिनमें 51.0 प्रतिशत से ज्यादा की एफ डी आई की मंजूरी दी जाएगी। नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी एयरलाइन कंपनियों को अधिसूचित (शेड्यूल्ड) तथा गैर अधिसूचित (नॉन शेड्यूल्ड) हवाई परिवहन क्षेत्र में परिचालन करने वाली भारतीय एयरलाइन कंपनियों में 49.0 प्रतिशत तक की एफडी आई की मंजूरी स्वत: सरकारी रूट के जरिए दी जाएगी। खुदरा बहु ब्रांड रिटेल की ट्रेडिंग के लिए एफ आई पी बी के अनुमोदन से कतिपय शर्तों के तहत 51.0 प्रतिशत तक की एफ डी आई की मंजूरी स्वत: सरकारी रूट के जरिए दी गई है। इसके साथ ही सरकार द्‌वारा विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2010 के तहत पंजीकृत पॉवर एक्सचेंजेज में 49.0 प्रतिशत तक की एफ डी आई की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सरकार द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (i) 75.0 प्रतिशत से ज्यादा तथा 100.0 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश वाली तथा (ii) जिनका न्यूनतम पूँजीकरण 50.0 मिलियन यू एस डॉलर है, को अनुषंगी इकाइयों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। इन अनुषंगी इकाइयों की संख्या तथा इनमें अतिरिक्त पूँजी डालने जैसी कोई शर्त नहीं है।

2012-13 के दौरान प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

ऋण नीति

- नकद आरक्षी अनुपात मार्च 2012 के 4.75 प्रतिशत से घटाकर फरवरी 2013 में 4.0 प्रतिशत कर दिया गया।
- रेपो दर मार्च 2012 के 8.5 प्रतिशत से घटाकार मार्च 2013 में 7.5 प्रतिशत कर दिया गया।
- रिवर्स रिपो दर जो बैंक दर तथा रेपो दर से 100 आधार बिंदु नीचे रहती हैं, को भी तदनुसार समायोजित किया गया।

व्यापार नीति

- जनवरी-मार्च 2013 तिमाही के दौरान अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा एशियाई देशों को निर्यात में हुई वृद्धि के लिए आई ई सी कोड धारक निर्यातकों को ड्यूटी में 2.0 प्रतिशत की छूट के लिए प्रावधान किए गए हैं ।
- हरित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत चिन्हित किए गए 16 उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए इन उत्पादों के विनिर्माण पर ई पी सी जी योजना के अंतर्गत लगनेवाले निर्यात दायित्व कर को सामान्य निर्यात दायित्व कर का 75.0 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
- फोकस मार्केट योजना के अधीन 12 नए बाजारों तथा विशेष फोकस मार्केट योजन के अधीन 8 नए बाजारों को जोड़ा गया।
- मार्केट लिंक्ड फ़ोकस प्रोग्राम स्कीम (एम एल एफ पी एस) के अंतर्गत 108 नई मदों तथा तीन नए देशों को जोड़ा गया। मार्केट लिंक्ड फ़ोकस प्रोग्राम स्कीम (एम एल एफ पी एस) को 31 मार्च, 2013 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया तथा इसमें यू एस तथा यूरोपीय संघ देशों को निर्यात के लिए अध्याय 61 तथा 62 उत्पाद मदें जोड़ी गई।
- फोकस प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत 212 नई मदों की सूची को जोड़ा गया।
- ई पी सी जी योजना योजना को मार्च 2013 तक बढ़ाया गया तथा इसे विस्तारित किया गया।

निवेश नीति

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- खुदरा ब्रांड रिटेल में 100.0 प्रतिशत की एफडी आई की मंजूरी दी गई। खुदरा एकल ब्रांड रिटेल की ट्रेडिंग के लिए 51.0 प्रतिशत से ज्यादा की एफ डी आई की मंजूरी दी जाएगी।
- नागर विमानन क्षेत्र में पॉवर एक्सचेंजेज में 49.0 प्रतिशत तक की एफडी आई की मंजूरी दी गई है।

विदेशी संस्थागत निवेश

- सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) तथा कार्पोरेट बाँडों (बुनियादी क्षेत्र से इतर) में विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा को बढ़ाकर क्रमश: 25.0 बिलियन यू एस डॉलर तथा 51.0 बिलियन यू एस डॉलर कर दिया गया।
- दीर्घ अवधि के बाँडों (बुनियादी क्षेत्र) में विदेशी संस्थागत निवेश की लॉकइन अवधि तथा अवशिष्ट परिपक्वता अवधि मानदंड को घटाकर आकर्षक बनाया गया।

ई सी बी मानदंड

- ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के जरिए रुपया ऋण के पुनर्वित्त की सीमा बढ़ाकर 40.0 प्रतिशत कर दी गई।
- पूँजीगत व्यय हेतु ई सी बी सुविधा को सड़क व पुलों के लिए टोल प्रणाली के परिचालन व रख-रखाव, जब तक वे मूल परियोजना का हिस्सा हैं तथा सस्ती हाउसिंग योजना के लिए भी विस्तारित किया गया।
- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ई सी बी) पर ब्याज के भुगतान के लिए विदहोल्डिंग कर तीन वर्षों के लिए घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया।
- विनिर्माण, बुनियादी सुविधा क्षेत्र तथा होटल क्षेत्र के लिए 10.0 मिलियन यू एस डॉलर की एक नई ई सी बी योजना का प्रारंभ किया गया।
- लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यम क्षेत्र के पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए कुछ शर्तों के तहत ई सी बी जुटाने की मंजूरी प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास वित्त कंपनियों को सस्ते घरों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए ई सी बी जुटाने की मंजूरी प्रदान की गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त आंकड़े

संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
जी डी पी (वर्तमान मूल्य पर, बिलियन यू एस डॉलर)	**1224.1**	**1365.4**	**1710.9**	**1873.0**	**1843.0**
वास्तविक जी डी पी वृद्धि	**6.7**	**8.6**	**9.3**	**6.2**	**5.0e**
मुद्रास्फीति दर (डब्ल्यू पी आई, वार्षिक औसत %)	**8.1**	**3.8**	**9.6**	**8.9**	**7.4**
सकल राजकोषीय घाटा (जी डी पी का %)	**6.0**	**6.5**	**4.9**	**5.9**	**5.2**
विनिमय दर (रुपये/ यू एस डॉलर औसत)	45.9	47.4	45.6	47.9	54.5
विनिमय दर (रुपये/ यूरो औसत)	65.1	67.1	60.2	65.9	70.1
पण्य निर्यात (यू एस डॉलर बिलियन)	**185.3**	**178.8**	**251.1**	**306.0**	**300.3**
तेल निर्यात (यू एस डॉलर बिलियन)	27.5	28.2	41.5	56.0	60.0
गैर-तेल निर्यात (यू एस डॉलर बिलियन)	157.7	150.6	209.6	250.0	240.3
पण्य आयात (यू एस डॉलर बिलियन)	**303.7**	**288.4**	**369.8**	**489.3**	**491.9**
तेल आयात (यू एस डॉलर बिलियन)	93.7	87.1	106.0	155.0	169.4
गैर-तेल आयात (यू एस डॉलर बिलियन)	210.0	201.2	263.8	334.3	322.5
पण्य व्यापार अधिशेष (यू एस डॉलर बिलियन)	**-118.4**	**-109.6**	**-118.7**	**-183.3**	**-191.6**
सेवाएँ निर्यात (यू एस डॉलर बिलियन)*	**106.0**	**96.0**	**132.9**	**142.3**	**145.7**
सॉफ्टवेयर निर्यात (यू एस डॉलर बिलियन)*	46.3	49.7	55.5	62.2	65.9
सेवाएँ आयात (यू एस डॉलर बिलियन)*	**52.0**	**60.0**	**84.1**	**78.2**	**80.8**
चालू खाता अधिशेष (यू एस डॉलर बिलियन)*	**-28.7**	**-38.4**	**-46.0**	**-78.2**	**-87.8**
विदेशी मुद्रा भंडार (यू एस डॉलर बिलियन)	**252.0**	**279.1**	**304.8**	**294.4**	**292.6**
बाह्य ऋण (यू एस डॉलर बिलियन)	**224.5**	**260.9**	**305.9**	**345.5**	**390.0**
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (यू एस डॉलर बिलियन)	**41.9**	**37.7**	**34.8**	**46.6**	**34.3**

e- अनुमान;

* वर्ष 2009-10 के बाद के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बी ओ पी सांख्यिकी के नए प्रारूप के अनुसार दिए गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के भुगतान शेष मैन्युअल (बी पी एम 6 मानक) में दिए गए दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न मुद्दे, केन्द्रीय बजट, भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट एवं सप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक; वित्त मंत्रालय; सी एस ओ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (आई आई एफ)

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचालनों की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों के अंतर्गत ` 419.19 बिलियन की राशि मंजूर की, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में मंजूर की गई ` 444.12 बिलियन के मुकाबले में है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने वर्ष 2011-12 के ` 370.45 बिलियन की तुलना में ` 406.35 बिलियन के ऋण का संवितरण किया जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान गत वर्ष के ` 314.22 बिलियन की तुलना में ` 326.07 बिलियन रहे। 31 मार्च, 2013 को कुल ऋण-आस्तियाँ ` 655.63 बिलियन की रहीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं।

यथा 31मार्च, 2013 को कुल ऋण आस्तियों में रुपया ऋणों तथा अग्रिमों का 40 प्रतिशत हिस्सा रहा जबकि शेष 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा ऋण थे। यथा 31 मार्च, 2013 को कुल ऋणों तथा अग्रिमों में अल्पावधि-ऋण का हिस्सा 19 प्रतिशत रहा।

बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 की ` 27.55 बिलियन की तुलना में वर्ष के दौरान ` 58.07 बिलियन की गारंटियाँ मंजूर की गईं। जारी की गई गारंटियां वर्ष 2011-12 के ` 13.61 बिलियन की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान ` 29.38 बिलियन की रहीं। यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक की बहियों में बकाया गारंटियाँ 31 मार्च, 2012 के ` 32.41 बिलियन की तुलना में ` 47.44 बिलियन की थीं तथा साख-पत्र यथा 31मार्च, 2012 के ` 18.29 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2013 को ` 29.82 बिलियन के थे।

यथा 31 मार्च, 2012 के ` 546.55 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2013 को कुल उधार राशियाँ ` 644.85 बिलियन की रहीं जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं।

बैंक ने वर्ष 2011-12 के लिए ` 10.13 बिलियन के लाभ की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान सामान्य निधि लेखे में ` 10.89 बिलियन का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। ` 3.47 बिलियन का आयकर का प्रावधान करने के बाद 2012-13 के दौरान कर पश्चात लाभ की राशि ` 7.42 बिलियन रही जबकि 2011-12 में यह ` 6.75 बिलियन थी। इस लाभ में से ` 3.22 बिलियन की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने ऋण शोधन निधि में ` 0.12 बिलियन अंतरित किये हैं और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में ` 1.45 बिलियन अंतरित किये हैं। शेष ` 2.63 बिलियन की राशि एक्ज़िम बैंक अधिनियम में दिए गए अनुसार भारत सरकार को अंतरित की जाएगी। वर्ष 2011-12 के दौरान पूँजी पर प्रतिफल के रूप में भारत सरकार को ` 2.05 बिलियन अन्तरित किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ ` 46.60 मिलियन है जबकि 2011-12 में यह ` 43.01 मिलियन था। ` 15.12 मिलियन का कर प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ की राशि वर्ष 2012-13 में ` 31.48 मिलियन होती है जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान यह राशि ` 29.06 मिलियन थी। ` 31.48 मिलियन का लाभ अगले वर्ष के लिए ले जाया गया है।

एक्ज़िम बैंक ने म्यांमार में विशिष्ट परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु म्यांमा फॉरेन ट्रेड बैंक के साथ 500 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन करार पर, ने पी तॉ, म्यांमार में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा म्यामांर के राष्ट्रपति यू. थिन सिन उपस्थित थे।

निदेशक मंडल की बैठक

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन प्रस्तुत की गई है:

I परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात
II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन एवं विदेशी निवेश का वित्तपोषण
III. नई पहलें
IV. वित्तीय निष्पादन
V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ
VI. संस्थागत संबद्धताएँ
VII. सूचना प्रौद्योगिकी
VIII. शोध एवं विश्लेषण
IX. मानव संसाधन प्रबंधन
X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति
XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व
XII. संयुक्त उद्यम (जी पी सी एल)

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात

परियोजना संविदाएं

वर्ष 2012-13 के दौरान 47 भारतीय निर्यातकों द्वारा 38 देशों में कुल ` 242.55 बिलियन की 85 परियोजना निर्यात संविदाएं प्राप्त की गईं जो वर्ष 2011-12 के दौरान 28 भारतीय निर्यातकों द्वारा 23 देशों में कुल ` 229.75 बिलियन की 53 परियोजना निर्यात संविदाओं की तुलना में हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी संविदाओं में ` 160.71 बिलियन मूल्य की 52 टर्नकी संविदाएं, ` 72.14 बिलियन मूल्य की 15 निर्माण संविदाएं, ` 8.81 बिलियन मूल्य की 12 आपूर्ति संविदाएं तथा ` 0.89 बिलियन मूल्य की छह तकनीकी परामर्शी तथा सेवा संविदा शामिल थी।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख संविदाओं में कतर में पुँज लॉयड लि. द्वारा कतर सोलर टेक्नोलॉजी के आधुनिक पॉलिसिलिकॉन प्रोडक्शन प्लांट के लिए इंजीनियरिंग, खरीद तथा निर्माण के लिए संविदा; लॉर्सन एंड टूब्रो लि. द्वारा फ्रांस में 500 मेगावाट की एक न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के लिए मुख्य क्रायोस्टैट की आपूर्ति संविदा; कल्पतरु पॉवर ट्रांसमिशन लि. द्वारा डी.आर. कांगो में निष्पादित की जा रही ट्रान्समिशन लाइन का पुनर्वास; भारत हैवी इलेक्ट्रिक लि. द्वारा भूटान में निष्पादित 1020 मेगावाट की पुनात्संग्चु-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 6 पॉवर जेनरेटिंग इकाइयों तथा अनुषंगियों जिनमें बटरफ्लाई वाल्व एवं इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग शामिल हैं, के लिए डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, आपूर्ति, निर्माण, जाँच एवं कमिशनिंग कार्य; इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा श्री लंका में पल्लई-कंकेसंतुराई रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण आदि शामिल हैं।

निर्यात ऋण

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने निर्यात ऋण के अंतर्गत कुल ` 184.77 बिलियन की राशि मंजूर की जबकि

वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता प्राप्त परियोजना निर्यात संविदाएँ (` बिलियन)

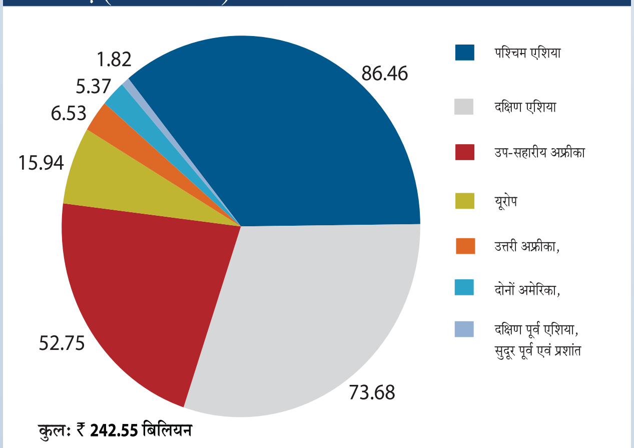

यथा 31 मार्च, 2013 को सक्रिय ऋण-व्यवस्थाएँ
(मिलियन यू एस डॉलर)

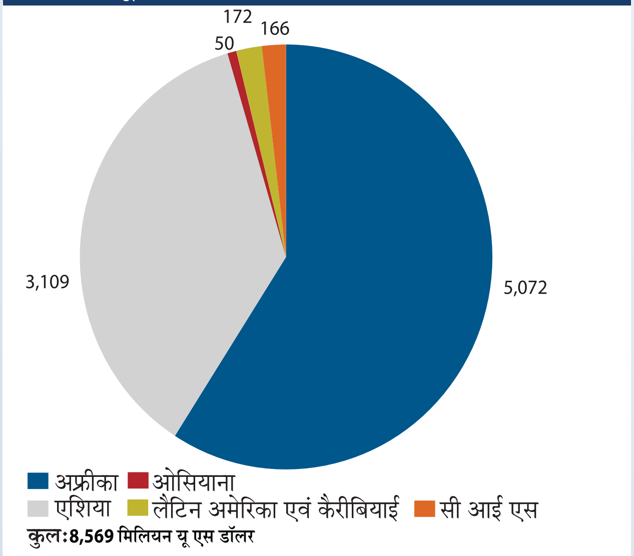

पिछले वर्ष में ये मंजूरियाँ ` 160.36 बिलियन की थीं। वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों की राशि गत वर्ष के ` 180.25 बिलियन की तुलना में ` 205.26 बिलियन रही।

गारंटियाँ

वर्ष के दौरान अनुमोदित तथा जारी की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष के क्रमशः ` 27.55 बिलियन तथा ` 13.61 बिलियन की तुलना में क्रमशः ` 58.07 बिलियन तथा ` 29.38 बिलियन रही। ये गारंटियां बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, आधारभूत संरचना विकास और निर्यात दायित्व गारंटियों जैसे क्षेत्रों में समुद्रपारीय परियोजनाओं से संबंधित थीं।

क्रेता-ऋण

क्रेता-ऋण एक्ज़िम बैंक का एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बैंक भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी क्रेताओं को भारत से उनके आयातों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ऋण देता है। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को पात्र मूल्य का भुगतान उनकी बिना किसी जिम्मेदारी के करता है। क्रेता-ऋण भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक सुरक्षित तथा दायित्व रहित वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराता है और उन्हें विदेशी बाज़ारों में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, क्रेता-ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा 28 विदेशी कंपनियों को 270 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 412 मिलियन यू एस डॉलर के संवितरण किए गए जिनमें भूटान, फ्रांस, घाना, इटली, केन्या, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, नीदरलैण्ड्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, तुर्की, तंजानिया, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त गणराज्य, स्विट्ज़रलैंड, यूगांडा, यू एस तथा जाम्बिया के लिए निर्यात शामिल हैं। क्रेता-ऋण के अंतर्गत निर्यात किए गए सामानों में परिवहन वाहन एवं ऑटो स्पेअर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, फल तथा सब्ज़ियाँ, चावल, अन्य कृषि आधारित उत्पाद एवं सामग्री, सादे तथा जड़ाऊ स्वर्ण/हीरे का आभूषण, स्टील तार तथा तार निर्मित राड, पाइप मशीनरी, सिंचाई उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद, अगरबत्ती, सीमेंट क्लिंकर, पेट्रो-रसायन, औषधियां तथा तैयार वस्त्र आदि शामिल हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के कई निर्यातकों ने क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत भुगतान सुविधा का लाभ उठाया।

भारत सरकार राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत क्रेता-ऋण (बी सी-एन ई आई ए)

बैंक ने भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (बी सी- एन ई आई ए) कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेता-ऋण परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। बी सी-एन ई आई ए एक विशिष्ट वित्तपोषण प्रणाली है जो भारतीय निर्यातकों को दायित्व रहित सुरक्षित वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराता है तथा विकासशील देशों को आस्थगित भुगतान शर्तों पर पारंपरिक तथा नए बाजारों में प्रवेश हेतु मध्यम या दीर्घावधि ऋण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम को मिला प्रतिसाद उत्साहवर्द्धक रहा है। बैंक ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 291 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य की 3 परियोजनाओं के लिए 248 मिलियन यू एस डॉलर की राशि मंजूर की है जिनमें श्री लंका के डाम्बुला क्षेत्र में 9 रिजर्वायर के लिए 30 एम एल डी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं वितरण, जाम्बिया में लुसाका से लुआंग्वा तक 187 किमी. (132 केवी) पॉवर ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के साथ नेटवर्क वितरण तथा 132 के वी की तीन उपस्टेशनों की स्थापना आदि शामिल हैं। बैंक ने बी सी- एन ई आई ए के अंतर्गत 5.14 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की 51 परियोजनाओं को मदद करने

हेतु सिद्धांतत: सहमति भी दी है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री श्री आनंद शर्मा ने सार्क क्षेत्र, अफ्रीका तथा म्यांमार के लिए एक्ज़िम बैंक के जरिए परियोजना निर्यातों पर 2.0 प्रतिशत ब्याज की छूट संबंधी एक पायलट योजना की घोषणा की।

ऋण-व्यवस्थाएं

एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य समुद्रपारीय संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से उन्नतशील तथा आधारभूत परियोजनाओं, उपकरणों एवं माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें। भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेज़ों के परक्रामण पर एक्ज़िम बैंक से दायित्व रहित पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऋण-व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को एक सुरक्षित वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराती है और नए बाज़ारों में उनके प्रवेश के प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करती है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश में होने के कारण एक्ज़िम बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम की भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा में तत्परतापूर्वक विस्तार करना चाहता है। समुद्रपारीय सत्ताओं को अपनी स्वयं की ऋण-व्यवस्थाओं के अलावा, एक्ज़िम बैंक वर्ष 2003-04 से भारत सरकार के निर्देश पर तथा भारत सरकार की सहायता से विकासशील विश्व में देशों को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को सहायता देने के लिए कुल 833.59 मिलियन यू एस डॉलर की 16 नई ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। एक्ज़िम बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं में बेनिन सरकार, बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, कॉमरोस, इथियोपिया, घाना, गाम्बिया, मालावी, मोजाम्बिक, सेनेगल, सेशेल्स, स्वाजीलैण्ड, तंजानिया, क्युबा एवं गुयाना को ऋण-

एक्ज़िम बैंक ने यास द्वीप, यू ए ई में एक वाटर पार्क के लिए मशीनों की आपूर्ति, स्थापन, जाँच, कमिशनिंग तथा इलेक्ट्रिक एवं प्लम्बिंग कार्य हेतु वोल्टास लिमिटेड को सहायता प्रदान की।

एक्ज़िम बैंक ने सेनेगल में मत्स्य विकास परियोजना के वित्तपोषण हेतु 19 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की। इस करार पर सेनेगल सरकार की ओर से भारत में सेनेगल के राजदूत श्री अमाडो मुस्तफा डिऑफ़ द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

व्यवस्थाएं शामिल हैं। यह ऋण-व्यवस्थाएं कम लागत के घर तथा भवन परियोजना, पावर ट्रांसमिशन परियोजना, औषधि निर्माण संयंत्र, चीनी उद्योग के विकास, कसावा पौधरोपण परियोजना, ट्रैक्टर असेम्बली संयंत्र तथा कृषि उपकरण मैन्युफैक्चरिंग इकाई, सिंचाई नेटवर्क तथा चीनी प्रसंस्करण उपकरण एवं ईंधन भंडारण सुविधा, विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता सुधार, मत्स्य विकास परियोजना, कृषि विकास तथा कृषि का मशीनीकरण, जल आपूर्ति योजना, दूध पाउडर प्रसंस्करण तथा मल्टी-स्पेशिलिटी हॉस्पीटल के लिए वित्तपोषण प्रदान करेंगी। वर्तमान में कुल 8.57 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण-वचनबद्धताओं के साथ अफ्रीका, एशिया, सी आई एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में 75 देशों को शामिल करते हुए 167 ऋण-व्यवस्थाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कई ऋण-व्यवस्थाएं बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन तथा विदेशी निवेश वित्तपोषण

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तपोषण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला परिचालित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल ` 189.62 बिलियन के ऋण मंजूर किये। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संवितरण ` 153.52 बिलियन के थे।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 51 निर्यात उन्मुख इकाइयों को ` 54.39 बिलियन के दीर्घावधि ऋण मंजूर किये हैं। संवितरणों की राशि ` 32.33 बिलियन हैं। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन 12 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की प्राप्ति के वित्तपोषण के लिए ` 2.83 बिलियन मंजूर किये गये। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि ` 3.39 बिलियन है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस)

कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक्ज़िम बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को स्थापित करने एवं पात्रता हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सहायता राशि प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक ने 192 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी कुल लागत ` 137.05 बिलियन है। अनुमोदित और संवितरित ऋणों की समग्र राशि क्रमश: ` 42.97 बिलियन तथा ` 29.67 बिलियन है। कपड़ा उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता वस्त्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों तथा भारत के कई राज्यों में फैली हुई है।

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम

भारतीय बाह्य निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए ईक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं

एक्ज़िम बैंक ने क्लासिक स्ट्राइप्स प्रा. लि. को स्क्रीन प्रिंटिंग तथा डिजिटल ग्राफिक्स क्षेत्र की एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी, मोडाग्राफिक्स आई एन सी, यू एस ए, के अधिग्रहण में सहायता प्रदान की।

प्रदान करने की दृष्टि से बैंक के पास एक विस्तृत कार्यक्रम है। वर्ष के दौरान 49 कंपनियों को 20 देशों में उनके समुद्रपारीय निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ` 42.28 बिलियन की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। एक्ज़िम बैंक ने अब तक 71 देशों में 352 से अधिक कंपनियों द्वारा स्थापित 436 उद्यमों का वित्तपोषण किया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी निवेश के लिए प्रदान की गई कुल राशि ` 292.80 बिलियन की है जिसमें विभिन्न क्षेत्र यथा फार्मास्यूटिकल्स, घर सज्जा, रेडीमेड कपड़े, निर्माण, कागज एवं कागज उत्पाद, कपड़ा एवं वस्त्र, रसायन तथा रंजक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी सामान, प्राकृतिक संसाधन (कोयला तथा वन), धातु तथा धातु प्रसंस्करण और कृषि तथा कृषि आधारित उत्पाद आदि शामिल हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त समुद्रपारीय निवेश परियोजनाओं में: इंडोनेशिया में कोयला खदानों का अर्जन, यू एस ए में लॉजिस्टिक कंपनी का अर्जन; मिस्र, फिनलैण्ड तथा यू एस ए में औषधि कंपनी का अर्जन; जाम्बिया में फेरो-मैगनीज संयंत्र की स्थापना तथा यू ए ई में ऑयल टैंक टर्मिनल की स्थापना आदि प्रमुख हैं।

आयात के लिए वित्त

थोक आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर तथा संवितरित की गई राशि क्रमश: ` 21.50 बिलियन तथा ` 17.61 बिलियन रही है। आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियों को मंजूर आवधिक ऋण ` 13.83 बिलियन रहे तथा संवितरण ` 7.43 बिलियन के थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सोलर ऊर्जा परियोजनाओं को भी वित्तपोषित किया गया था।

III. नई पहलें

प्रौद्योगिकी नवोन्मेष संवर्द्धन व ढांचागत सुविधा विकास (टाइड) निधि

एम एस एम ई क्षेत्र का भारतीय उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा यह क्षेत्र हाल के वर्षों में प्रतिस्पर्धी बन गया है। वित्तपोषण स्त्रोतों की कमी के चलते इस क्षेत्र की वृद्धि मंद रही। आमतौर पर पूरी वित्तीय प्रणाली इस क्षेत्र को निवेश के लिए जोखिम भरा मानती रही है। बिना समुचित वित्तीय सहायता के एम एस एम ई न तो नई प्रौद्योगिकी को अपना सकती हैं, नही वैश्विक बाजार

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान क्षेत्र वार अनुमोदन (प्रतिशत में)

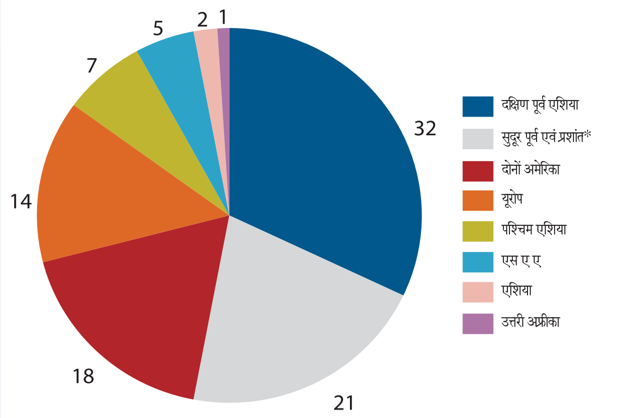

* दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एवं प्रशांत

में प्रतिस्पर्धी बनकर अपनी पैठ बना सकती हैं और न ही बड़ी फर्मों के साथ व्यवसाय संबंद्धता स्थापित कर सकती हैं। यहाँ तक कि एम एस एम ई इकाइयों को कैपेक्स तथा कार्यशील पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संस्थागत तथा वित्तीय संसाधन नहीं प्राप्त होते हैं।

एक्ज़िम बैंक भारतीय एम एस एम ई इकाइयों की निर्यात क्षमताओं तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु विभिन्न ऋणदात्री कार्यक्रमों का परिचालन करता है। एक्ज़िम बैंक मात्र ऋण प्रदाता होने के बजाए एम एस एम ई क्षेत्र की इकाइयों को अपने अधिदेश के अंतर्गत पूर्ण समाधान प्रदान करने में विश्वास रखता है।

एम एस एम ई क्षेत्रों के विकास में बाधा पहुँचाने वाले दो गैर-ऋण मुद्दे हैं-पुरानी प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष की कमी (जो अंतर्जात है) तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी (जो बहिर्जात है)। समुचित उपकरणों की कमी अथवा उनकी न्यून गुणवत्ता के चलते भारतीय एम एस एम ई इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी हो जाती है तथा उत्पाद का मानकीकरण नहीं हो पाता है। इस वजह से उनके उत्पाद राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाते हैं। इसके साथ-साथ अपर्याप्त तथा खराब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं एम एस एम ई इकाइयों की परिचालन क्षमता को कम कर देती हैं। एम एस एम ई इकाइयों की ओर से आमतौर पर यह शिकायत की जाती है कि उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश तथा अन्वेषण हेतु प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान नहीं किया जाता है। यदि एम एस एम ई इकाइयों की उक्त आवश्यकताओं तथा सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को पूरा किया जाए तो एम एस एम ई इकाइयाँ निर्यात बाजारों में अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।

एक्ज़िम बैंक ने उत्तरी श्री लंका में रेलवे लाइनों के पुनर्वास हेतु ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। इस तस्वीर में 252 किमी. लम्बी एक रेलवे लाईन दिखाई गई है जिसका कार्य मई 2013 में पूरा हुआ।

एम एस एस ई इकाइयों को प्रतिस्पर्धी बनाने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक्ज़िम बैंक ने प्रौद्योगिकी नवोन्मेष तथा बुनियादी सुविधा विकास हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता से 500 मिलियन यू एस डॉलर की प्रारंभिक राशि से टाइड निधि की स्थापना की है। एक्ज़िम बैंक टाइड निधि से एम एस एम ई क्षेत्र की भारतीय निर्यातक कंपनियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पूँजीगत व्यय को पूरा करने सहित प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता सृजन, सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास जैसे कैपटिव पॉवर संयंत्र, साझा जल उपचार संयंत्र, हानिकारक कचरा निपटान सुविधा, परीक्षण सुविधाओं के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋणों का पुनर्वित्तीयन करेगा। टाइड निधि के अंतर्गत दीर्घावधि पुनर्वित्त के अलावा एक्ज़िम बैंक प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपये एवं विदेशी मुद्राओं में अल्पावधि पुनर्वित्त भी प्रदान करता है। एम एस एम ई इकाइयों को अन्य वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए निर्यात ऋण/ सावधि ऋण का एक्ज़िम बैंक द्वारा पुनर्वित्तीयन लागत सहित मार्जिन आधार पर किया जाता है। इस मामले में भी निर्यातक एम एस एम ई इकाइयाँ प्रतिस्पर्धी दरों पर इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा सकती हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने एम एस एम ई क्षेत्र को पुनर्वित्त सुविधाओं के अंतर्गत विभिन्न बैंकों को ` 6.85 बिलियन का अनुमोदन एवं संवितरण किया है।

लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एशियाई विकास बैंक का कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु, एवं मझोले उद्यमों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से एक्ज़िम बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ 100 मिलियन यू एस डॉलर के विदेशी मुद्रा ऋण के लिए एक करार किया है। इस विदेशी मुद्रा ऋण का उपयोग पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को जो वरीयतन पिछड़े राज्यों जैसे असम, मध्य प्रदेश, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड, राजस्थान तथा उत्तराखंड में स्थित हैं, को वित्तपोषित करने हेतु किया जाएगा। इन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को सहायता प्रदान करने से पिछड़े राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा उन्हें निर्यात मूल्य शृंखला के साथ एकीकृत करने में मदद मिलेगी। इस ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी मुद्रा सावधि ऋण सहित उधारकर्ताओं की घरेलू पूँजी व्यय जरूरतों को भारतीय रुपये में भी वित्तपोषित किया जा सकेगा। इस ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात उन्मुख सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की पूँजीगत व्यय, नई सुविधाओं की स्थापना, उपकरण, संयंत्र तथा मशीनरी का अधिग्रहण, जाँच, शोध एवं विकास सुविधाओं की स्थापना, कैप्टिव पॉवर प्लांट, को-जेनरेशन संयंत्र की स्थापना, मूलभूत सुविधाओं जैसे मदजल उपचार संयंत्र, भंडारण, वेयरहाउस आदि की स्थापना के लिए वित्तपोषण प्राप्त किया जा सकेगा। एशियाई विकास बैंक की इस ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत निजी एम एस एम ई इकाइयों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के अलावा एम एस एम ई क्लस्टर के लिए स्पेशल परपज व्हीकल्स (एस पी वी) के रूप में निकटवर्ती इकाइयों के लिए भौगोलिक क्लस्टर/औद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान किया जा सकता है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कॉमन रख-रखाव सुविधाओं के साथ-साथ भवन निर्माण एवं सिविल कार्य, आस्ति/प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण, क्लस्टर/ औद्योगिक पार्क के तहत औद्योगिक उपयोगकर्ता, औद्योगिक संघों तथा/अथवा सरकारी निकायों द्वारा औद्योगिक संपत्ति (एस्टेट) का विकास; विद्यमान औद्योगिक क्लस्टर या औद्योगिक एस्टेट का उन्नयन, विशिष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जिनमें साझा मदजल उपचार संयंत्र, कैप्टिव पॉवर संयंत्र की स्थापना, परिवहन संबद्धता, विषाक्त कचरे का

प्रबंधन तथा औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक एस्टेट के लिए सार्वजनिक मूलभूत सुविधा केन्द्रों जैसे जाँच केन्द्र एवं कोल्ड स्टोरेज का विकास आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने एशियाई विकास बैंक की इस ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 7.65 मिलियन यू एस डॉलर के ऋणों को मंजूरी प्रदान की तथा 8.74 मिलियन यू एस डॉलर की राशि संवितरित की। इस तरह ए डी बी की इस ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत बैंक द्वारा कुल मंजूर एवं संवितरित राशि क्रमश: 42.70 मिलियन यू एस डॉलर तथा 24.21 मिलियन यू एस डॉलर रही।

आई डी बी आई बैंक के साथ सहयोग ज्ञापन

वर्ष 2012-13 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने आई डी बी आई बैंक के साथ एक सहयोग ज्ञापन करार किया जिसमें दोनों संस्थाओं द्वारा सह-वित्तपोषण, सह- प्रबंधन, रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणों के सिंडिकेशन, भारत से निर्यात उन्मुख परियोजनाओं का संयुक्त वित्तपोषण, पात्र भारतीय निर्यात उन्मुख कंपनियों विशेषकर सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यम क्षेत्र की कंपनियों को अल्पावधि निर्यात तथा दीर्घावधि पूँजी व्यय ऋण के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना आदि शामिल हैं। एक्ज़िम बैंक तथा आई डी बी आई बैंक लि. के इस करार के अंतर्गत संवर्द्धनात्मक गतिविधियों में परस्पर सहयोग, सलाहकारी सेवाओं में एक-दूसरे के ग्राहकों का सहयोग व एक-दूसरे के स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करना शामिल है।

ग्रामीण ग्रासरूट व्यावसायिक पहलें (ग्रिड)

बैंक अपनी ग्रामीण ग्रासरूट पहलों के जरिए ग्रामीण भारत में स्थित उद्यमों के ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण) में मदद करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में पिछड़े पारंपरिक शिल्पकारों, बुनकरों तथा ग्रामीण उद्यमों को मदद कर रोजगार सृजन करना है। बैंक अपनी संस्थागत संबद्धताओं के जरिए इन लोगों तक पहुँचकर क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार पहुँच, प्रशिक्षण आदि में मदद करता है। इस संदर्भ में, बैंक ने आई आई टी, मद्रास की एक इनक्यूबेटर इकाई रूरल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इनक्यूबेटर (आर टी बी आई) के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार हेतु शुरू किए गए उद्यमों/संस्थाओं की प्रारंभिक स्तर पर मदद करना है। आर टी बी आई भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय को सहज बनाने हेतु कार्य करती है तथा एक गैर-लाभकारी सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक द्वारा उन कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें निर्यात संभाव्यता होने के साथ-साथ ग्रामीण जीविकोपार्जन में सुधार करने पर फोकस होगा। आर टी बी आई के साथ एक्ज़िम बैंक के इस सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर से ग्रामीण क्षेत्रों में नवोन्मेषी कार्य करने वाली कंपनियों को एक्ज़िम बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। वित्तीय सहायता हेतु पात्र कंपनियों का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा।

वर्ष के दौरान बैंक ने पश्चिम बंगाल की एक बुनकर सहकारी संस्था की मदद की है जो हैंडलूम उत्पादों जैसे साड़ी, निर्यात योग्य कपड़े (फैब्रिक) आदि बनाती है तथा उनका निर्यात करती है। गुजरात के भुज क्षेत्र में स्थित एक ट्रस्ट को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जो अप्लीक गार्मेंट्स तथा हाथ की कढ़ाई वाले सामान तैयार करता है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम के कपड़े तैयार करने वाली बैंग्लोर की एक संस्था चेन्न पटना क्राफ्ट पार्क, बैंग्लोर में एक साझा सुविधा केन्द्र (सी एफ सी) की स्थापना हेतु भी सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा बैंक ने अपने ग्रामीण पहल के अंतर्गत कारीगरों के क्षमता तथा कौशल उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान किया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने नारियल के खोखे से आधुनिक 'डिजाइनों के उत्पाद तैयार करने के लिए 30 महिला कारीगरों के लिए एक 'डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यशाला' का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन 'दि ऑन्ट्स क्राफ्ट ट्रस्ट',

बांग्लादेश सरकार को प्रदत्त 800 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत ढाका तथा चट्गाँव में जन परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु 290 डबल-डेकर बसों की आपूर्ति की गई।

एक्ज़िम बैंक ने (इंसेट में नमूना दिखाया गया है) गोवा में नारियल के खोखे से उपयोगी सामग्री बनाने वाली ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए एक दस दिवसीय डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन इन कारीगरों के उत्पादों की निर्यात संभाव्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया।

बैंग्लोर तथा 'ओमकार आर्ट्स एंड क्राफ्ट असोसिएशन', गोवा के साथ मिलकर आयोजित किया गया। यह संगठन नारियल के खोखे तथा समुद्री शेल पर अपनी कारीगरी करने वाली लगभग 1000 महिला कारीगरों के साथ काम करता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य नए डिजाइनों के प्रारूप को तैयार करना, तैयार माल की अच्छी तरह से पैकेजिंग करना तथा उनकी कीमत तय करने के बारे में जानकारी प्रदान करना था। कार्यशाला के दौरान 20 नए डिजाइन तैयार किए गए।

अपनी ग्रामीण पहल के अंतर्गत बैंक एक सक्षम एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रकार, ग्रासरूट स्तर पर परिचालन करने वाले उद्यमियों की वास्तविकता को समझने तथा उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से पूरे देश में दौरे किए गए। बैंक देशभर के ग्रासरूट तक पहुँचने के पूरे प्रयास कर रहा है ताकि न केवल इनकी निर्यात क्षमता बढ़ाई जा सके बल्कि उनके उत्पादों को निर्यात योग्य बनाया जा सके।

ऋण निगरानी समूह

बैंक में ऋण वसूली व ऋण निगरानी के लिए दो विशिष्ट समूह- ऋण प्रशासन समूह व स्ट्रेस्ड आस्ति समूह कार्यरत हैं जो निदेशक मंडल द्वारा ऋण निगरानी तथा वसूली नीति के अनुसार मानक आस्तियों को अवमानक आस्तियों की श्रेणी में जाने से रोकते हैं तथा अनर्जक आस्तियों की शीघ्रातिशीघ्र वसूली संबंधी कार्य देखते हैं। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर ऋणों के ए बी सी वर्गीकरण (क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन प्रणाली की मॉनीटरिंग सहित) की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ ही गैर-निष्पादक आस्तियों की समीक्षा मासिक आधार पर अलग से गठित समिति द्वारा की जाती है। सभी एकबारीय निपटान प्रस्तावों की जाँच करने तथा इन्हें आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अंतरित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में गहन अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र जाँच समिति गठित है। यह समिति निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

IV. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से ` 2 बिलियन की पूँजी प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा ` 5.59 बिलियन के टीयर I बाँडों को पूँजी में परिवर्तित किया गया। यथा 31 मार्च, 2013 को ` 31 बिलियन की चुकता पूँजी तथा ` 42 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ` 717 बिलियन रहे। एक्ज़िम बैंक के संसाधन आधार में बाँड, जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक-पत्र, सावधि जमा राशियाँ, आवधिक ऋण और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ/उधार राशियाँ तथा दीर्घावधि स्वैप आदि शामिल हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों यथा क्रिसिल तथा इक्रा द्वारा 'ए ए ए' की उच्च रेटिंग प्रदान की जाती रही है। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ` 385.71 बिलियन की विभिन्न परिपक्वता अवधियों की उधार राशियाँ जुटायीं, जिनमें ` 170.12 बिलियन के रुपया संसाधन और ` 215.59 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में द्विपक्षीय / क्लब सामूहिक ऋणों के जरिए ` 0.86 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ थीं। यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा संसाधन राशियाँ ` 7.83 बिलियन यू एस डॉलर की थीं तथा बाँडों / वाणिज्यिक-पत्रों सहित बकाया रुपया उधार राशियाँ ` 313.12 बिलियन की रहीं। यथा 31 मार्च, 2013 को बाज़ार से जुटाई गई उधारियां बैंक की कुल उधार राशियों का 100.0 प्रतिशत तथा कुल संसाधनों का 90.0 प्रतिशत थीं।

विदेशी मुद्रा संसाधन

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने 3.97 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए। एक्ज़िम

बैंक उभरते बाजारों से बाँड जुटानेवाली पहली भारतीय संस्था बन गया है। बैंक ने इन बाजारों में जुलाई 2013 में 500 मिलियन यू एस डॉलर के 5 वर्षीय रेग-एस यूरो डॉलर बाँड तथा जनवरी 2013 में 750 मिलियन के 10 वर्षीय रेग-एस यूरो डॉलर बाँड जारी किए।

एक्ज़िम बैंक ऑस्ट्रेलियाई बाँड बाजार से भी 200 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के 5 वर्षीय बाँड जारी करने वाली पहली और एकमात्र भारतीय संस्था बन गयी है। बैंक सिंगापुर बाँड बाजार में भी 250 मिलियन सिंगापुर डॉलर की 5 वर्षीय बाँड जारी करने वाला पहला भारतीय संस्था बन गयी है। वर्ष के दौरान, बैंक ने यूरोपीय निवेश बैंक के साथ बीस वर्ष के लिए 150 मिलियन यूरो के एक दीर्घावधि ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा प्रदान किए गए इए ऋण का उद्देश्य जलवायु परिवर्तनों को रोकने वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। वर्ष के दौरान बैंक ने एशियाई विकास बैंक से भी 100 मिलियन यू एस डॉलर का एक दीर्घावधि ऋण प्राप्त किया है जिसका उपयोग भारत के अल्पविकसित राज्यों में लघु एवं मध्यम इकाइयों तथा उनके क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए किया जाएगा।

एक्ज़िम बैंक ने अलग-अलग तीन विदेशी मुद्राओं जैसे जापानी येन, मैक्सिकन पेसो तथा तुर्किश लीरा में 170 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य उरीदाशी बाँड (विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित एक बाँड जो सीधे जापानी निवेशकर्ताओं को बेचा जाता है) भी जारी किए हैं और इस प्रकार बैंक उरीदाशी बाजार में पैठ बनाने वाली एक मात्र भारतीय संस्था बन गया है।

बैंक ने अपने यूरो मीडियम टर्म नोट (ई एम टी एन) कार्यक्रम को 2.5 बिलियन से बढ़ाकर 6.0 बिलियन यू एस डॉलर (लंदन शाखा द्वारा 2.5 बिलियन यू एस डॉलर) कर दिया है। अब तक बैंक ने विभिन्न विदेशी मुद्राओं जैसे यू एस डॉलर, जापानी येन, स्वीस फ्रैंक, यूरो, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, सिंगापुर डॉलर, तुर्किश लीरा तथा मैक्सिकन पेसो आदि में संसाधन जुटाए हैं।

आय / व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: ` 10.89 बिलियन और ` 7.42 बिलियन रहा, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: ` 10.13 बिलियन और ` 6.75 बिलियन थे। कारोबारी आय में ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, दलाली और शुल्क से युक्त कारोबार आय वर्ष 2011-12 के ` 35.29 बिलियन की तुलना में वर्ष 2012-13 में ` 42.47 बिलियन रही। निवेश आय, बैंक जमा राशियों आदि

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बैंक के निवल लाभ संबंधी ` 2.05 बिलियन की आर टी जी एस रसीद वित्त राज्यमंत्री, श्री नमो नरायण मीणा को सौंपते हुए। इस अवसर पर श्री अनुराग जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय उपस्थित थे।

अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों में नए बेंचमार्क (2012-13)

पहली भारतीय संस्था :

- 500 मिलियन यू एस डॉलर के 5 वर्षीय बॉंड तथा 750 मिलियन यू एस डॉलर के 10 वर्षीय यूरोडॉलर बॉंड जारी कर उभरते बॉंड बाजारों में प्रवेश पाना
- ऑस्ट्रेलियाई बॉंड बाजार में भी 200 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के 5 वर्षीय बॉंड जारी करना
- सिंगापुर बॉंड बाजार में भी 250 मिलियन सिंगापुर डॉलर की 5 वर्षीय बॉंड जारी करना
- जापानी येन, मैक्सिकन पेसो तथा तुर्किश लीरा में 170 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य उरीदाशी बॉंड जारी कर उरीदाशी बाजार में पैठ बनाना

यूरोपीय निवेश बैंक के साथ बीस वर्ष के लिए 150 मिलियन यूरो के समतुल्य के दीर्घावधि ऋण करार पर हस्ताक्षर

पर ब्याज आय 2011-12 के ` 10.23 बिलियन की तुलना में वर्ष 2012-13 में ` 17.33 बिलियन रही। वर्ष 2012-13 में ब्याज व्यय, उधारियों के बढ़ने के कारण ` 11.91 बिलियन से बढ़कर ` 41.68 बिलियन रहा। प्रशासनिक खर्च (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधानों को छोड़कर) 2011-12 के 2.26 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 के दौरान कुल व्यय का 2.17 प्रतिशत रहा।

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग

यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक को मूडीज ने बी ए ए 3 (स्थिर) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी बी बी- तथा फिच ने बी बी बी- (स्थिर) रेटिंग तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बी बी बी+(स्थिर) रेटिंग प्रदान की है। उपरोक्त सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग है।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सी आर - ए आर) 31 मार्च, 2012 के 16.44 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2013 को 15.28 प्रतिशत रहा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9.0 प्रतिशत की तुलना में है। यथा 31 मार्च, 2013 को ऋण-ईक्विटी अनुपात 8.91:1 रहा जबकि 31 मार्च, 2012 को यह 9.02:1 था।

ऋण (एक्सपोजर) मानदंड

यथा 31मार्च, 2013 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत सीमा के भीतर थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए अपनी आंतरिक सीमाएं अपनाएं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का समान रूप से फैलाव हो। बैंक ने प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सहायता सीमा कुल ऋण संविभाग का 15.0 प्रतिशत निर्धारित किया है। यथा 31 मार्च, 2013 को किसी भी एकल उद्योग को बैंक की कुल ऋण सहायता 15.0 प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

राजकोष

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी निधियों के निवेश, मुद्रा बाजार तथा फॉरेक्स परिचालनों तथा प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री सहित निधि प्रबंधन कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट / मिडल/बैक ऑफिस कार्यों को अलग किया है और एक आधुनिकतम डीलिंग रूम स्थापित किया है। बैंक की ट्रेजरी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों में विदेशी मुद्रा सौदे, निर्यात दस्तावेज़ों की वसूली/परक्रामण, अंतरदेशीय/विदेशी साख-पत्र/ गारंटियाँ जारी करना तथा संरचित ऋण आदि शामिल हैं। बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने तथा न्यून लागत पर निधियाँ जुटाने के लिए वित्तीय व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संव्यवहारों का भी उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है। बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक की तयशुदा लेन-देन प्रणाली-आदेश मिलान खंड (एन डी एस-ओ एम) के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त है, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूतियाँ तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यत: भारतीय समाशोधन

निगम लिमिटेड (सी सी आई एल) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं। बैंक संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधित दायित्व खंड (सी बी एल ओ) का भी एक सक्रिय सदस्य है। बैंक क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस), जो सी सी आई एल का रेपो डीलिंग सिस्टम है, का भी सदस्य है। बैंक ने इन्फिनेट तथा बैंक के नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी कार्यान्वित की है जिससे ट्रेजरी अप्लीकेशनों की सीधी प्रोसेसिंग की जा सकेगी। बैंक के स्विफ्ट अलाएंस एक्सेस पर केन्द्रीयकृत स्विफ्ट सुविधा जो 'मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स' को संभालने में सक्षम है।

आस्ति-देयता प्रबंधन (ए एल एम)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस के सहयोग से बाजार जोखिमों की निगरानी तथा प्रबंधन करती है तथा बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आस्ति देयता प्रबंधन/नकदी नीतियों के अनुसार नकदी/ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक/बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक नकदी तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ड्यूरेशन गैप एनालिसिस का प्रयोग करते हुए ब्याज दर, घट-बढ़ की तुलना में (क) निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता और (ख) आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता के आंकलन के माध्यम से आंकी गई ब्याज दर जोखिम की मात्रा के आधार पर कार्रवाई करना शामिल है। जोखिम पर मूल्य की गणना भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए रोकी गई पोर्टफोलियो के लिए की गई है। निधि प्रबंध समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमोदित संसाधन योजना के अनुसार निवेशों/विनिवेशों और उधार राशियाँ/संसाधन जुटाने से संबंधित निर्णय लेती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति तथा प्रबंधन समिति द्वारा निधि प्रबंधन समिति (एफ एम सी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) के कार्यों की समीक्षा की जाती है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक में एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आई आर एम सी) गठित है जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और यह सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (संविभाग, नकदी, ब्याज दर, तुलन- पत्र से इतर और परिचालन जोखिम), निवेश नीतियों तथा उनसे संबंधित विनियामक एवं अनुपालन मुद्दों के बारे में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को), निधि प्रबंधन समिति (एफ एम सी) तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी) के परिचालनों की देख-रेख करती है, जिनमें से सभी में परस्पर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व होते हैं। जहाँ आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक में आस्ति-देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाज़ार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है वहीं ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी), ऋण-नीति और प्रक्रियाओं की देख-रेख और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है। सभी ऋण-प्रस्ताव स्वतंत्र रूप से बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के पास जाते हैं जो उनके जोखिमों का विश्लेषण कर अनुमोदनकर्ता अधिकारियों को अपनी राय देता है। बैंक के पास आस्ति गुणवत्ता और ऋण समीक्षा में सुधार के लिए उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सी आर एम) है जिससे (गुणवत्ता तथा मात्रात्मक पैरामीटरा/उपायों की

लाभ एवं सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष की प्रवृत्तियाँ (रुपये मिलियन)

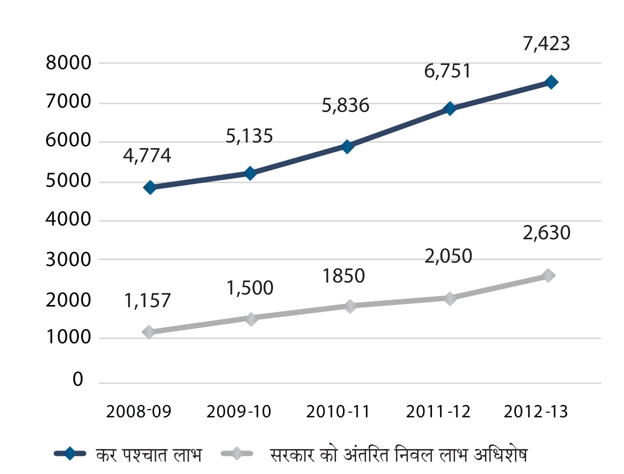

एक्ज़िम बैंक ने मिस्र में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की आपूर्ति, स्थापना तथा कमिशनिंग हेतु के ई सी इंटरनेशनल लि. को सहायता प्रदान की। यह ट्रांसमिशन लाइन 196 किमी. लम्बी तथा नील नदी के ऊपर से गुज़रेगी।

व्यापक श्रेणी के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन निर्णय लेने तथा उत्कृष्ट पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमता में मदद मिलती है। व्यवसाय निरंतरता तथा आकस्मिकता प्रबंधन के लिए बैंक अपने प्रत्येक कार्यालय की समेकित वार्षिक समीक्षा करता है। प्रत्येक कार्यक्रम व्यवसाय निरंतरता तथा जोखिमों के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से उसकी पूर्णता के लिए समीक्षा की जाती है।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण/कर्ज़ सुविधा को गैर-निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और/या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ ` 15.15 बिलियन रही हैं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 2.31 प्रतिशत है। यथा 31मार्च, 2013 को बैंक की निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ ` 3.05 बिलियन (प्रावधान घटाकर) रहीं जो इसके ऋण तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 0.47 प्रतिशत हैं। यथा 31 मार्च, 2013 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर) 82.67 प्रतिशत था।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और /अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जहाँ अवमानक आस्तियाँ 12 माह से अधिक अवधि तक गैर-निष्पादक संपत्ति के रूप में बनी रहती हैं, ऐसी आस्तियों को 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियाँ' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं। यथा 31 मार्च, 2013 को 2.31 प्रतिशत की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 1.30 प्रतिशत, संदिग्ध आस्तियाँ 1.00 प्रतिशत, जबकि हानि आस्तियाँ 0.01 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च, 2013 को निवल ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के स्तर पर निवल गैर-निष्पादित आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.47 प्रतिशत रहीं जबकि संदिग्ध आस्तियों तथा हानि आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

कार्पोरेट अभिशासन

एक्ज़िम बैंक संप्रेषण के संबंध में पूरी पारदर्शिता तथा ईमानदारी बरतता है और सभी संबंधितों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना प्रदान करना सुनिश्चित करता है। बैंक कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित उत्कृष्ट व्यवहारों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सदैव तत्पर रहता है। इस हेतु रणनीतिक नियंत्रण के लिए बैंक ने एक व्यवस्था विकसित की है तथा इसकी उपादेयता की निरंतर समीक्षा करता रहता है। व्यवसाय/वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामले, विश्लेषण आंकड़े/सूचना आदि को निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति को समीक्षा के लिए आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। बैंक द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को सभी संविधियों, विनियमों तथा अन्य प्रक्रियाओं, भारत सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों के अनुपालन के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में उत्तरदायी बनाया गया है जो किसी भी प्रकार के विचलन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। बैंक के निदेशक मंडल की वर्ष 2012-13 के दौरान पाँच बैठकें तथा प्रबंधन समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों की देख-रेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और वह सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे। इस लेखा परीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं। लेखा परीक्षा समिति निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच करती है। इसके साथ ही लेखा परीक्षा समिति आवधिक आधार पर बैंक की निधि प्रबंधन समिति तथा आस्ति-देयता समिति की भी समीक्षा करती है। वर्ष 2012-13 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें हुईं।

बैंक में के वाई सी, ए एम एल एवं पी एम एल उपाय

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपने ग्राहक को जानिए (के वाई सी), धनशोधन निरोधी (ए एम एल) तथा धनशोधन निषेध (पी एम एल) नीतियाँ अपनाई हैं। केवाईसी, एएमएल तथा पी एम एल नीतियों में (क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति (ख) ग्राहक पहचान प्रक्रिया (ग) संव्यवहारों की निगरानी (घ) जोखिम प्रबंधन (ङ) विद्यमान ग्राहकों के लिए के वाई सी मानदंड आदि शामिल हैं। इस संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन चेतावनी सूची को अनुपालन हेतु संदर्भित करता है।

बैंक बैंकर्स एक्युटी डेटाबेस को भी एक्सेस करता है जो एक ऑनलाइन डेटाबेस सेवा है तथा यह विश्व के प्रमुख बिजनेस पब्लिशर, रीड बिजनेस इंफोर्मेशन, रीड एल्सीवियर समूह की इकाई है। यह बैंकरों के पत्री (आल्मनैक) के लिए अनुपालन डेटाबेस है। बैंक के सभी ग्राहकों को न्यूनतम के वाई सी मानकों की अपेक्षाओं के अधीन लाया जाता है जो स्वाभाविक/अधिकृत कंपनियों तथा उनसे जुड़ी कंपनियों, व्यक्ति तथा लाभकर्ता/स्वामित्व की पहचान स्थापित करते हैं। के वाई सी नीतियां तथा प्रक्रियाएं सावधि जमा खाता धारकों, प्रतिनिधि बैंकों, नए स्टाफ की भर्ती तथा ट्रेजरी संव्यवहारों से संबंधित प्रतिपक्षी पार्टियों पर भी लागू की जाती हैं। के वाई सी मानदंडों के अनुपालन के संबंध में बैंक एक प्रश्नावली के माध्यम से अन्य बैंकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है।

एक्ज़िम बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार कतिपय संव्यवहारों के बारे में रिकार्ड / सूचना भी रखता है तथा यह रिकार्ड, संव्यवहार की तारीख से दस वर्षों तक सुरक्षित रखे जाते हैं।

बैंक ने के वाई सी, ए एम एल तथा पी एम एल के उपायों के अनुपालन के लिए एक मुख्य अधिकारी भी नियुक्त किया है। के वाई सी तथा ए एम एल नीति को बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

ऋणदाताओं के लिए उचित प्रचलन संहिता

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋणदाताओं के लिए उचित प्रचलन संहिता विद्यमान है जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। इस नीति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाती है।

V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

बैंक सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषण कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती हैं। ये सेवाएं भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय संस्थाओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं के दायरे में बाज़ारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल हैं।

समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएँ (एम एफ पी ओ)

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए बैंक भारतीय कंपनियों को सूचना एवं सहायता सेवाएं प्रदान करता है। इन बहुपक्षीय निधिक एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाएं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों व सलाहकारों के लिए आकर्षक व्यवसाय अवसर प्रदान करती हैं।

एक्ज़िम बैंक ने झारखंड में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया।

सलाहकारों, संविदाकारों एवं आपूर्तिकर्ताओं की व्यवसाय अवसर में रुचि को देखते हुए बहुपक्षीय निधिक एजेंसियों द्वारा इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों को इन व्यवसाय अवसरों को प्राप्त करने के लिए सूचना, सलाहकारी एवं सहायता सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। भारतीय कंपनियों ने बहुपक्षीय निधिक परियोजनाओं में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एक्ज़िम बैंक इन बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ मिलकर सेमिनारों का भी आयोजन करता है। इस संदर्भ में, भारतीय सलाहकारों, संविदाकारों एवं आपूर्तिकर्ताओं में कई विकासशील देशों विशेषकर एशिया क्षेत्र में बढ़ती रुचि को देखते हुए बैंक ने एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई में अप्रैल 2012 के दौरान सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन सेमिनारों की श्रृंखला से बहुपक्षीय निधिक परियोजनाओं के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों तथा सलाहकारों के लिए व्यवसाय अवसरों की जानकारी सहित इस तरह की परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों यथा निर्माण, दूरसंचार, ऊर्जा, परिवहन, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर भारतीय निर्यातक कंपनियों को समुद्रपारीय व्यवसाय अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है।

एक्ज़िम बैंक एक परामर्शदाता के रूप में

विकासशील देश के संदर्भ में एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सहायता देने वाली एक संस्था के रूप में बैंक का अनुभव अन्य विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। बैंक परामर्शी सेवाओं के जरिए अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करता रहा है। बैंक अपने संस्थागत सहभागियों के कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ऑन-साईट एक्सचेंज ऑफ़ पसोनल कार्यक्रमों के जरिए अपने अनुभव तथा कौशल का आदान-प्रदान करता है।

बैंक ने एशिया क्षेत्र में अंतरक्षेत्रीय परियोजनाओं को पुन: प्रवर्तित तथा संवर्द्धित करने के लिए दक्षेस विकास निधि (एस डी एफ) के लिए एक अध्ययन कार्य संपन्न किया है। यह 1996 में स्थापित दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का वित्तपोषण संबंधी एक समूह कार्यक्रम है। बैंक ने एस डी एफ के परिचालन, दिशा, उत्पाद पोर्टफोलियो के संदर्भ में सुझावों सहित दीर्घावधि में एस डी एफ को बहुपक्षीय संस्था का दर्जा प्राप्त करने तथा अपने संसाधन के आधार बढ़ाने के लिए सुझाव दिए हैं।

नाइजीरियाई एक्ज़िम बैंक (नेक्ज़िम बैंक) ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक को फिल्म फाइनेंसिंग के एक कार्यक्रम की डिजाइन, विकास एवं कार्यान्वयन करने के लिए नियुक्त किया। यह कार्यक्रम विदेशी मुद्रा अर्जन की संभाव्यता वाली फिल्मों का वित्तपोषण करेगा। वर्ष के दौरान बैंक ने अपने असाइनमेंट के एक हिस्से के रूप में नेक्ज़िम बैंक के कुछ अधिकारियों को क्षमता निर्माण की दृष्टि से प्रशिक्षण प्रदान किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में एक्ज़िम बैंक द्वारा फिल्मों के वित्तपोषण संबंधी अनुभव को बाँटने के लिए भारत में प्रमुख प्रोडक्शन घरानों/ सुविधाओं तथा स्टूडियो आदि की शैक्षिक भ्रमण भी शामिल था। नेक्ज़िम बैंक ने अपने

बैंक ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने योग्य उत्पादों के विकास हेतु बीदर बिदरी युवा मंडल, एक स्वयं सहायता समूह के लिए एक डिजाइन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के दौरान कई कलाकृतियों तथा आधुनिक डिजाइनों को तैयार किया गया।

एक्ज़िम बैंक ने अमेरिकी पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ संबंधी सेवाएँ प्रदान करने हेतु केरल स्थित आयुर्वेदिक कंपनी फ्लोएटल्स की यू एस ए की एक कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने में सहयोग प्रदान किया है।

फिल्म फायनेंसिंग कार्यक्रम की शुरूआत एक्ज़िम बैंक के परामर्श से ही की है।

कॉमनवेल्थ सचिवालय के लिए कॉमनवेल्थ व्यापार एवं निवेश बैंक की स्थापना संबंधी संभावनाओं पर बैंक के शोध अध्ययन को वर्ष के दौरान गति मिली है तथा कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा इस अध्ययन को कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के बीच परिचालित किया गया है।

विपणन सलाहकारी सेवाएँ

बैंक अपने विपणन सलाहकारी कार्यक्रम के जरिए भारतीय कंपनियों में क्षमता निर्माण तथा उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैंक भारतीय निर्यातकों के उत्पादों एवं सेवाओं हेतु विदेशी वितरकों/क्रेताओं/सहभागियों की तलाश करने में मदद करता है। विपणन सलाहकारी कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अच्छी जानकारी, अपनी उपस्थिति तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाकर सफलता शुल्क के आधार पर भारतीय कंपनियों की उनके विदेशी विपणन प्रयासों में मदद करता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने इस अनूठे कार्यक्रम के जरिए विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट उत्पादों को चिन्हित करने व उनके लिए आदेश प्राप्त करने में मदद की है। इन उत्पादों में चिकित्सा, हस्तशिल्प तथा हैंडलूम, कृषि तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, कॉस्मेटिक्स तथा पुष्पकृषि जैसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन कंपनियों में छोटी कंपनियों से लेकर बड़ी कंपनियाँ हैं। इन क्षेत्रों में कई उत्पादों के लिए जानकारी का आदान-प्रदान किया गया है तथा विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के लिए घरेलू तथा विदेशी बाजारों में 60 से अधिक उत्पादों के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं।

बैंक ने केरल आधारित एक आयुर्वेदिक थेरेपी कंपनी फ्लोएटल्स, यू एस ए की एक कंपनी के साथ गठबंधन कराने में मदद की है। इससे आयुर्वेद के जरिए अमेरिकी पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ संबंधी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

बैंक ने नेत्र-विज्ञान (ऑप्थमॉलॉजिक) डायग्नॉस्टिक उत्पाद तैयार करने वाली कंपनी के उत्पादों को अफ्रीकी बाजार में लांच करने में सहायता प्रदान की है।

वर्ष के दौरान बैंक ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन आई डी) के साथ एक सहयोग ज्ञापन किया। इस सहयोग ज्ञापन के अंतर्गत कारीगरों/ शिल्पियों के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में एन आई डी अपनी फैकल्टी (संकाय) प्रदान करेगा तथा उत्पाद विकास, डिजाइन आदि के संबंध में प्रशिक्षण सहित दस्तावेजीकरण, उद्यमिता, विपणेयता और ब्रांडिंग आदि के संबंध में सलाहकारी सेवाएं प्रदान करेगा।

उत्पादन नियोजन तथा सेवा निर्यात के अलावा बैंक ने मूल्य संवर्धन, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, फॉरवार्डिंग तथा वित्त व गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग, निर्यात संबंधी दस्तावेजीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया है। बैंक ने कई गैर-

यथा 31 मार्च, 2013 को ऋणों का क्षेत्रवार वितरण

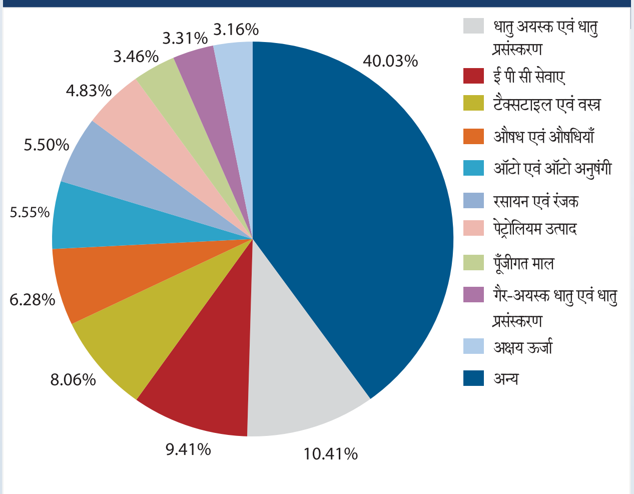

सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा कारीगरों का भी सहयोग किया है ताकि इन संस्थाओं से बड़ी संख्या में जुड़े कारीगरों को नए अवसर प्राप्त हो सकें तथा उनकी आजीविका बढ़ाने में मदद की जा सके। इन संस्थाओं के साथ सहयोग के जरिए एक्ज़िम बैंक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन तथा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है।

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र

वर्ष के दौरान एक्ज़िमिअस केन्द्र ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक्ज़िमिअस शिक्षण केन्द्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आई टी सी), जिनेवा के साथ मिलकर कपड़ा तथा चमड़ा के लिए बाजार विकास तथा मसालों के लिए बाजार विकास विषय पर क्रमश: बैंग्लोर एवं कोचीन में दो प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एन आई एम एस एम ई), हैदराबाद के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए बैंग्लोर में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया।

एक्ज़िमिअस केन्द्र द्वारा फियो (एफ आई ई ओ) के सहयोग से भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो मुख्यत: वैश्विक स्तर पर उभरते आर्थिक परिदृश्य तथा भारत के निर्यात पर इसका प्रभाव; निर्यात उन्मुख इकाइयों तथा विशेष निर्यात क्षेत्रों के कुशल प्रबंध पर कार्यशाला; डब्ल्यू टी ओ ढांचे के अंतर्गत डंपिंगरोधी करारों तथा अन्य उपायों सहित डंपिंगरोधी महानिदेशक की भूमिका विषय पर कार्यशाला-चर्चा सत्र; ड्यूटी ड्रा बैक पर चर्चा सत्र; ई-बी आर सी पर चर्चा सत्र; अंतरराष्ट्रीय भुगतान शर्तों के कुशल प्रबंधन पर कार्यशाला आदि का आयोजन किया गया।

एक्ज़िमिअस केन्द्र, बैंग्लोर में यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज, कर्नाटक के विद्यार्थियों के लिए एक निर्यात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

VI. संस्थागत संबद्धताएँ

बैंक ने अपनी सुविचारित नीति के अनुसार बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्द्धन निकायों तथा निवेश संवर्द्धन बोर्डों के साथ अपने संस्थागत संबंधों को विकसित किया है। इसी श्रृंखला में बैंक ने मई 2012 में अफ्रीकी विकास बैंक समूह की वार्षिक बैठक के अवसर पर इको बैंक समूह, टोगो के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौता ज्ञापन करार पर एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा इको बैंक ट्रांसइंटरनेशनल इनकार्पोरेटेड (ई टी आई) समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एर्नाल्ड एपको द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस करार का उद्देश्य दोनों देशों के साथ साझा हितों वाले सीमापार संव्यवहारों व परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करना, दोनों देशों सहित अन्य देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना, महत्वपूर्ण व्यवसाय अवसरों को प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे की सहायता करना तथा अफ्रीकी क्षेत्र के देशों और भारत के

प्रभावी तथा पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रबंधन के लिए एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत घाना को कचरा प्रबंधन उपकरण की आपूर्ति हेतु 21.72 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई।

एक्ज़िम बैंक ने बैंक के शोध एवं विकास वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत हिकल लि. (एक औषधि कंपनी) को शोध एवं विकास कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की।

बीच कारोबारी व निवेश संबंधों को बढ़ावा देने में सहायता करना है।

भारत तथा चेक गणराज्य के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने तथा इन दोनों देशों से अन्य देशों को व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के लिए एक्ज़िम बैंक तथा चेक गणराज्य पी एल सी ने सितम्बर 2012 में एक सहयोग ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा एवं चेक गणराज्य के उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री मार्टिन कोबा उपस्थित थे। इस एम ओ यू का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देने; आवश्यकतानुसार तीसरे देशों में चल रही एक-दूसरे की परियोजनाओं के लिए माल तथा सेवाओं की आपूर्ति करना तथा निर्यात ऋण गारंटियों के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय मजबूत करना है।

ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग प्रक्रिया

भारतीय एक्ज़िम बैंक ब्रिक्स अंतर बैंक सहयोग प्रक्रिया के अंतर्गत नामित सदस्य विकास बैंक है। ब्रिक्स राष्ट्रों के अन्य नामित सदस्य बैंकों में बॉको नेशनल डी डिसेन्वोल्विमेंटो इकोनॉमिको ई सोशल-बी एन डी एस, ब्राजील; स्टेट कार्पोरेशन बैंक फॉर डेवेलपमेंट एंड फॉरेन इकोनॉमिक अफेयर्स- वेनेश्कोनाम बैंक, रूस; चाइना डेवेलपमेंट बैंक कार्पोरेशन तथा डेवेलपमेंट बैंक ऑफ़ दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

बैंक ने ब्रिक्स सम्मेलन 2013 के अवसर पर ब्रिक्स देशों के अन्य विकास बैंकों के साथ दो बहुपक्षीय वित्तीय करारों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर ब्रिक्स राष्ट्रों के प्रमुख/सरकार प्रमुख उपस्थित थे। इस अवसर पर दो करारों i) अफ्रीका के लिए ब्रिक्स बहुपक्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर सह-वित्तपोषण करार; तथा ii) टिकाऊ विकास हेतु ब्रिक्स बहुपक्षीय सहयोग तथा सह-वित्तपोषण करार पर हस्ताक्षर किए गए। इन दोनों करारों का उद्देश्य उल्लिखित क्षेत्रों में बृहद स्तर पर सहयोग के लिए एजेंडा तैयार करना है। इन दोनों करारों से ब्रिक्स विकास बैंकों के बीच सहयोग बढ़ेगा तथा अंतर ब्रिक्स व्यापार में वृद्धि होगी।

ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग प्रक्रिया के अंतर्गत डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स वित्तीय फोरम की वार्षिक बैठक में भी बैंक ने भाग लिया।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम

एशियाई एक्ज़िम बैंकों के फोरम की स्थापना 1996 में भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पहल पर की गई थी। फोरम के सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड (स्थापना के समय से सदस्य) इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा वियतनाम की निर्यात ऋण एजेंसियाँ शामिल हैं। प्राय: निर्यात ऋण एजेंसियों को आपस में प्रतिस्पर्धी माना जाता है क्योंकि वे अपने-अपने देशों से निर्यातों का संवर्द्धन करने का प्रयास करती हैं। किंतु इस फोरम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आपसी सहयोग बढ़ाना भी है। यह फोरम

एक्ज़िम बैंक ने चीन में चाँगकिंग सिटी केन्द्र से हेचुअन तक एक्सप्रेस वे बनाने हेतु आई एल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड को स्टाक अधिग्रहण के लिए सहायता प्रदान की।

रसायन क्षेत्र पर ''भारतीय रसायन उद्योग: वैश्विक माँग का अन्वेषण'' नामक एक्ज़िम बैंक के शोध प्रकाशन का विमोचन ।

एशियाई एक्ज़िम बैंकों के बीच आर्थिक सहयोग तथा दीर्घावधि मजबूत संबंधों को विकसित करने पर बल देता है। एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 18वीं वार्षिक बैठक नवम्बर, 2012 में सेबू, फिलीपिन्स में संपन्न हुई।

वर्ष 2012 की बैठक का मुख्य विषय था- 'पर्यावरण अनुकल एवं ऊर्जाक्षम परियोजनाओं का वित्तपोषण' (फायनेंसिंग इको-फ्रैंडली एंड एनर्जी एफिसिएंट प्रोजेक्ट्स)। इस बैठक में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण तथा संयुक्त रूप से संसाधन जुटाने तथा प्रशिक्षण हेतु सहयोग को मजबूत करने आदि के लिए सदस्यों के बीच विचारों/सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एवं मेजबानी फिलीपिन्स निर्यात-आयात ऋण एजेंसी द्वारा की गई। वार्षिक बैठक में, चर्चा तथा कार्यशील सत्र के दौरान वृहद स्तर पर विषयों को शामिल किया गया जिनमें पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में एक्ज़िम बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयास, अनुभव और रणनीति शामिल हैं। सभी सदस्य देशों ने नए क्षेत्रों में सहयोग करने तथा पारस्परिक जोखिम सहभागिता करार के अंतर्गत सह-वित्तपोषण विकल्पों की तलाश पर जोर दिया।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) की स्थापना अंकटाड के तत्वावधान में जिनेवा में मार्च 2006 में एक्ज़िम बैंक की पहल पर की गई थी। विभिन्न विकासशील देशों के एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सहयोग से दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा निवेश को बढ़ाने में अच्छा कार्य किया है। इनमें जी-नेक्ज़िड की वेबसाइट (www.gnexid.org) का शुभारंभ तथा वार्षिक बैठकों का आयोजन प्रमुख उपलब्धियां हैं। अंकटाड द्वारा जी-नेक्ज़िड को प्रदान किया गया 'प्रेक्षक' का दर्जा फोरम को इसके सहयोग को दर्शाता है। विकासशील देशों द्वारा फोरम के महत्त्व तथा इसकी लाभप्रदता को स्वीकार किया गया है जो फोरम में सदस्यों की सक्रिय हिस्सेदारी से प्रदर्शित होता है।

उत्कृष्टता का पुरस्कार

बैंक द्वारा 'सी आई आई-एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार'की स्थापना 1994 में भारतीय कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रदान करने हेतु की गई थी। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड (ई एफ क्यू एम) मॉडल, जिसे अभी हाल ही में संशोधित किया गया है तथा ई एफ क्यू एम एक्सीलेंस मॉडल 2010 के रूप में प्रकाशित किया गया है, पर आधारित है। यह वार्षिक पुरस्कार काफी प्रतिष्ठित है तथा उद्योग जगत में इसकी मान्यता है। यह योग्य कंपनी को पारदर्शी एवं कड़ी परीक्षण प्रक्रिया के पश्चात एफ ई क्यू एम मॉडल पर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2012 में पुरस्कार के लिए 43 कंपनियों ने हिस्सा लिया। गोदरेज लॉकिंग सॉल्यूशंस एंड सिस्टम्स (गोदरेज एवं बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कं. लि. का एक अनुभाग), रैलिस इंडिया लि. तथा बॉस्च के डीजल सिस्टम्स बिजनेस को व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए सी आई आई-एक्ज़िम बैंक पुरस्कार प्राप्त हुए, जबकि लघु एवं मझोले व्यवसाय उद्यम श्रेणी में निक्को पार्क एंड रिसॉर्ट विजेता रहे। समग्र रूप में वर्ष 2012 में लघु एवं मझोले व्यवसाय उद्यम श्रेणी सहित विभिन्न श्रेणियों में कुल 37 कंपनियाँ विजेता रहीं। भारतीय उद्योग जगत तथा अर्थव्यवस्था में लघु तथा मध्यम उद्यमों की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि यह उद्यम भी उत्कृष्टता के मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। दो लघु एवं मझोले

व्यवसाय उद्यमों (मूनलाइट इंजीनियरिंग कंपनी तथा वेंड्ट (इंडिया) लि.) को विशिष्ट उपलब्धि के लिए तथा 4 लघु एवं मझोले व्यवसाय उद्यमों (इंटेलिमेंट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लि., पुष्पक प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लि. सतीश इंजेक्टो-प्लास्ट प्रा.लि., एस एस ए बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लि. को उनकी दृढ़ बचनबद्धता के लिए प्रशंसा की गई है।

एडफिएएप द्वारा एक्ज़िम बैंक को विशेष 'प्लाक ऑफ़ मेरिट' पुरस्कार से नवाजा गया

एशिया एवं प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा बैंक के वित्तीय सृजनशील उद्योगों के लिए कार्यक्रम हेतु एक्ज़िम बैंक को विशेष पुरस्कार 'प्लाक ऑफ़ मेरिट' से नवाजा गया।

एक्ज़िम बैंक को एशिया एवं प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा सृजनशील उद्योगों के वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए विशेष पुरस्कार 'प्लाक ऑफ़ मेरिट' से नवाजा गया है। एक्ज़िम बैंक को वर्ष 2013 का प्लाक ऑफ़ मेरिट पुरस्कार निर्यात उन्मुख भारतीय सृजनशील उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने संबंधी इसके अनूठे वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए प्रदान किया गया है। सृजनशील उद्यमों के वित्तपोषण के अलावा एक्ज़िम बैंक इस उद्योग के संवर्द्धन के लिए सामूहिक मूलभूत सुविधाओं के निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उनमें क्षमता निर्माण के भी प्रयास कर रहा है। सृजनशील उद्योग क्षेत्र के लिए इस नए वित्तपोषण कार्यक्रम से इस क्षेत्र पर फोकस बढ़ेगा तथा सृजनशील अर्थव्यवस्था में एक्ज़िम बैंक की सहभागिता बढ़ेगी, जो सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों का एक प्रमुख क्षेत्र है। इससे भारतीय सृजनशील उद्योगों का न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि उनकी निर्यात क्षमता एवं निर्यात उन्मुखता में भी वृद्धि होगी।

VII. सूचना प्रौद्योगिकी

विभिन्न घटकों के बीच सूचना के बेहतर प्रसार और प्रयोक्ता तथा प्रणाली इटेंलिजेन्स क्षमताओं के सशक्तीकरण के लिए बैंक ने ज्ञान प्रबंधन, संचार उपकरणों को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बैंक इन्फिनेट (इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क) तथा विनियामक एवं औद्योगिकी संस्थाओं जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि. तथा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन (स्विफ्ट) द्वारा लागू प्रणालियों एवं पद्धतियों में उद्योगवार प्रणाली के जरिए डिजिटल सहभागिता सुनिश्चित करता है।

परिचालन व्यवसाय आसूचना, बैंक व्यापी सिस्टम; प्रलेखन प्रबंधन एवं कार्य प्रवाह; नेटवर्क; ढांचागत सुविधा तथा सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालियों को सक्षम बनाया गया है तथा उनका उन्नयन किया गया है। बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अपने परिचालन एवं प्रक्रियाओं को मजबूत किया है।

बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट (www.eximbankindia.in) बैंक में किए गए विभिन्न शोध कार्य-कलापों, व्यावसायिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अग्रताओं पर सूचना का व्यवस्थित ढंग से प्रचार-प्रसार करती है। इसके अलावा, इस पर बैंक के विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों तथा सूचना एवं सलाहकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

बैंक के कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.in) ने संबंधित गतिविधियों पर उत्पाद-वार जानकारी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। बैंक एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम तथा जी-नेक्ज़िड का सदस्य है तथा इन दोनों संगठनों की वेबसाइट का प्रबंधन करता है। बैंक ने अपने विभिन्न परिचालनों के लिए एकीकृत फिनैकल सिस्टम कार्यान्वित किया है तथा इसमें माइग्रेट कर लिया

कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं विधि के प्रोफेसर, प्रो. जगदीश भगवती ने मुम्बई में एक्ज़िम बैंक का स्थापना दिवस 2012 का वार्षिक व्याख्यान दिया। उन्होंने 'विश्व व्यापार प्रणाली में परिवर्तन : भारत के विकल्प' विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

है इससे दक्षता में सुधार के साथ-साथ सूचना के बेहतर प्रबंधन तथा बैंक की व्यवसाय वृद्धि को मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से संभालने में मदद मिलेगी।

VIII. शोध एवं विश्लेषण

बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार (ईडरा) 1989 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत दो लाख पचास हजार रुपये की नकद राशि तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2012 के लिए डॉ. हरेन्द्र कुमार बेहरा को उनके थेसिस 'वित्तीय खुलापन का प्रभाव: भारतीय अनुभवों का निर्धारण' के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉ. बेहरा को डॉक्टरेट की उपाधि हैदराबाद विश्वविद्यालय से 2012 में प्राप्त हुआ है। डॉ. बृजेश पज़यातोड़ी को 2011 का ईडरा पुरस्कार प्रदान किया गया था।

बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान प्रासंगिक आलेखों तथा कार्यकारी आलेखों के रूप में 9 आलेख प्रकाशित किए हैं। नामत: भारतीय रसायन उद्योग: वैश्विक मांग का अन्वेषण; भारतीय कृषि में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप तथा सेवाओं का निर्यात एवं ऑफशोर आउटसोर्सिंग: भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक आनुभविक अध्ययन; क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत ओसियन रीम असोसिएशन: भारत के व्यापार एवं निवेश संभाव्यता पर एक अध्ययन; पश्चिम अफ्रीका: भारत की व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का अध्ययन; म्यांमार के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने की संभाव्यता: एक संक्षिप्त विश्लेषण; ईरान के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने की संभाव्यता: एक संक्षिप्त विश्लेषण; पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने की संभाव्यता: एक संक्षिप्त विश्लेषण; तथा चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने की संभाव्यता: एक संक्षिप्त विश्लेषण हैं।

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान शृंखला, जिसकी शुरूआत 1986 में बैंक के परिचालन प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में की गई थी, को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले सम-सामयिक व्यापार और विकास मुद्दों पर बहस तथा चर्चा के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ख्याति मिली है। कोलम्बिया विश्व विद्यालय के अर्थशास्त्र एवं विधि के प्रोफेसर, प्रो. जगदीश भगवती ने 2012 में 27 वाँ वार्षिक व्याख्यान दिया। प्रोफेसर भगवती ने 'विश्व व्यापार प्रणाली में परिवर्तन: भारत के विकल्प' विषय पर अपना व्याख्यान दिया। डॉ. सुबीर गोकर्ण, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

बैंक ने वर्ष 2012 में भारतीय निर्यातकों को अपनी सेवाओं के 30 वर्ष पूरे कर लिए। इस उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए स्मारक व्याख्यान शृंखलाओं का आयोजन किया गया। डॉ. कौशिक बसु, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, प्रो. पद्मा देसाई, प्रोफेसर ऑफ़ काम्परेटिव इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड डायरेक्टर ऑफ़ दि सेन्टर फॉर ट्रांजिशन इकोनॉमिज, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, यू एस ए तथा डॉ. लार्स थनेल, पूर्व सी ई ओ इंटरनेशनल फायनेंस कार्पोरेशन (आई एफ सी), विश्व बैंक समूह ने इन कार्यक्रमों में अपना व्याख्यान दिया।

IX. मानव संसाधन प्रबंधन

यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 275 थी। जिसमें सनदी लेखाकार, प्रबंधन स्नातक,

अर्थशास्त्री, बैंकर, विधि, पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर, भाषा विशेषज्ञ, जनसंचार विशेषज्ञ, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ आते हैं।

बैंक एक लर्निंग संस्था है तथा अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करने के लिए उन्हें प्रेरित व प्रशिक्षित करती रहती है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही अधिकारियों को विशिष्ट कार्यों को संभालने के लिए उनके विशेषज्ञता क्षेत्र में कौशल उन्नयन हेतु कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के 235 अधिकारियों ने परिचालनों से संबद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में कार्यशील पूँजी प्रबंधन तथा वित्तीय विवरण का स्पष्टीकरण, परियोजना वित्त, ऋण जोखिम, डेरीवेटिव तथा जोखिम प्रबंधन, संप्रेषण कौशल तथा सांगठनिक प्रभाविता, कार्पोरेट उत्कृष्टता के लिए नेतृत्व विकास, व्यवसायिक संप्रेषण तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने में अपने प्रयासों को जारी रखा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र, प्रेस-विज्ञप्तियाँ, सूचनाएँ एवं रिपोर्टें द्विभाषिक रूप में जारी की गई हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुपालन में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया तथा विभिन्न मानदंडों पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना तैयार की गई। प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों के जरिए इसकी प्रगति की तिमाही आधार पर समीक्षा एवं मॉनीटरिंग की गई।

बैंक के अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने के लिए लक्ष्य के अनुसार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

यूनीकोड फॉन्ट सुविधा को प्रोत्साहित किया गया तथा इसके प्रयोग हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक)/ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/वित्तीय सेवाएँ विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सक्रियता से भाग लिया तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया गया।

डॉ. बृजेश पज़यतोड़ी को एक्ज़िम बैंक ईडरा पुरस्कार 2011 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कौशिक बसु, तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

बैंक के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना बैंक में लागू है। बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में एक हिन्दी खंड भी शामिल है। अधिकारियों को हिन्दी में अपने लेख देने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा सर्वोत्तम लेखों को पुरस्कृत किया गया। बैंक अपने अधिकारियों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित अंतरबैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करता है। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने के लिए प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 1 सितम्बर, 2012 से बैंक में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर बैंक द्वारा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में स्टाफ सदस्यों के लिए हिन्दी प्रतियोगिताएं; कवि सम्मेलन; हिन्दी कार्यशालाएं; गृहपत्रिका एक्ज़िमिअस का 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित करना आदि शामिल हैं।

पखवाड़े के समापन समारोह अवसर पर प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया तथा हिन्दी प्रकाशनों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा हिन्दी की आवश्यकता एवं महत्ता पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। बैंक की वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध है। बैंक के व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी सूचना को बैंक की हिन्दी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया/अद्यतित किया गया। स्टाफ सदस्यों के लिए उपयोगी सहायक एवं संदर्भ साहित्य बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध कराया गया।

बैंक के परिचालनों एवं प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के अलावा शोध सार एवं चुनिंदा प्रासंगिक आलेख एवं कार्यकारी आलेख हिन्दी में अनुदित किए गए। बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअस: एक्सपोर्ट एडवांटेज़' का हिन्दी रूपांतरण 'एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक के एक द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के सभी अंकों को भी हिन्दी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्तपोषण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर नई पुस्तकों से समृद्ध बनाया गया।

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की गति में तेज़ी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), मुम्बई ने वर्ष 2011-12 के लिए समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी-ओ एल), पुणे ने वर्ष 2011-12 के लिए समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय रिज़र्व द्वारा बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' को 32 प्रतिभागी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में वर्ष 2011-12 के लिए सर्वश्रेष्ठ द्विभाषिक गृहपत्रिका के रूप में चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है।

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक की सेवा में कुल 275 कर्मचारियों में 27 अनुसूचित जाति, 17 अनुसूचित जन-जाति और 29 अन्य पिछड़े वर्गों से हैं। बैंक ने इन स्टाफ़ सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक संप्रेषण का प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति और जन-जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थिंयों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना जारी रखा है। बैंक ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (के आई आई टी) यूनिवर्सिटी, उड़ीसा तथा नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एन ई आर आई एस टी), अरूणांचल प्रदेश के आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां देना भी प्रारंभ किया है।

XII. संयुक्त उद्यम

बैंक के संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) ने लाभप्रद परिचालनों का एक और वर्ष पूरा कर लिया है। कंपनी ने ` 38.91 मिलियन के कर पूर्व लाभ के साथ 2012-13 में ` 9.11 मिलियन की आय दर्ज की है। जी पी सी एल, एक्ज़िम बैंक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली 11 अन्य प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए प्रापण संबंध सलाहकारी तथा लेखा-परीक्षा सेवाएं प्रदान करता है।

तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (बैंक) की सामान्य निधि के संलग्न 31 मार्च, 2013 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण तथा लेखा नीतियों एवं अन्य विवरणात्मक आँकड़ों की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेवारी में उसकी डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणों में को तैयार करने में आवश्यक आंतरिक नियंत्रण शामिल हैं ताकि इन विवरणों में धोखाधड़ी अथवा भूलवश भी कोई मिथ्या सूचना न आने पाए।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेवारी

3. हमारी जिम्मेवारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर रिपोर्ट देना है। हमने यह लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार निष्पादित और नियोजित करें ताकि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है।

4. लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्णतया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है जिसमें महत्त्वपूर्ण वित्तीय विवरणों के संबंध में भूल अथवा धोखाधड़ी के चलते भ्रामक/मिथ्याकथन जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में लेखा परीक्षकों के विचार से इन विवरणों को त्रुटिरहित ढंग से तैयार करने में बैंक के आंतरिक नियंत्रणों को महत्त्वपूर्ण मानते हैं और इसमें शामिल करते हैं। इसके साथ ही लेखा परीक्षा में बैंक द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंध द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानों के ऑकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा हमारे के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा अभिमत के लिए एक तर्क संगत आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

6. हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखा विवरण तथा उन पर लेखा टिप्पणियाँ भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तथा भारत में सामान्यत: मान्य लेखा मानकों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति प्रदर्शित करते हैं:

   (i) यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक की सामान्य निधि के तुलन पत्र के मामले में

(ii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ के लिए लाभ-हानि लेखे के मामले में

(iii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के मामले में नकदी प्रवाह विवरण

अन्य विधिक तथा विनियामक मामलों पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम,1981 के तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

8. **हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:**

(i) लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतर जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।

(ii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।

(iii) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

9. **हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:**

(i) तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंक की लेखा बहियों और विवरणों के अनुरूप हैं।

(ii) हमारे विचार में और हमारे परीक्षण के आधार पर बैंक द्वारा विधि निर्धारित अनुसार इन बहियों का उचित अभिलेख रखा गया है।

कृते एम जेड एस के एंड असोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 105047 डब्ल्यू

अबुअली दारूखानावाला

साझेदार (एम.नं. 108053)

नई दिल्ली

21 मई, 2013

देयताएँ	अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को) `	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को) `
1. पूँजी	I	30,593,663,881	22,999,918,881
2. आरक्षित निधियाँ	II	41,795,912,670	37,002,681,596
3. लाभ और हानि	III	2,630,000,000	2,050,000,000
4. नोट, बाँड एवं डिबेंचर		451,020,235,742	331,211,593,806
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियाँ	IV	30,833,633,817	31,566,106,796
7. उधार राशियाँ	V	162,993,757,004	183,768,137,343
8. चालू देयताएँ एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		30,788,467,247	24,435,979,771
9. अन्य देयताएँ		10,526,061,976	3,695,454,801
	योग	**761,181,732,337**	**636,729,872,994**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	47,439,835,800	32,406,987,000
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	3,351,809,300	4,338,169,300
(iii)	हामीदारी एवं वचनबद्धताओं पर	-	-
(iv)	अंशत: प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	72,283,500	69,450,000
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2,249,300,000	3,124,700,000
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	-	-
(vii)	सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	-	-
(viii)	भुनाये गये/पुन:भुनाये गये बिल	-	-
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	30,127,878,700	18,329,300,900
	योग	**83,241,107,300**	**58,268,607,200**

आस्तियाँ	अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को) `	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को) `
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	68,869,000,977	38,296,746,521
2. निवेश	VII	24,981,627,680	32,117,235,480
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	643,529,812,314	535,897,823,856
4. भुनाये गये/पुन: भुनाये गये विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	-	3,000,000,000
5. अचल आस्तियाँ	X	875,915,639	909,845,977
6. अन्य आस्तियाँ	XI	22,925,375,727	26,508,221,160
	योग	**761,181,732,337**	**636,729,872,994**

'लेखों पर टिप्पणियाँ' संलग्न हैं।

डेविड रस्कीना
कार्यपालक निदेशक

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव टकरू
श्री जी. पद्मनाभन
प्रो. ए.एम.भट्टाचार्जी

श्री पिनाक आर. चक्रवर्ती
श्री आर. एम. मल्ला
डॉ. बिस्वजीत धर
निदेशक गण

डॉ. रघुराम जी. राजन

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम जेड एस के एंड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 105047 डब्ल्यू

नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2013

(अबुअली दारूखानावाला)
साझेदार (एम. सं. 108053)

लाभ और हानि लेखा यथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

	व्यय	अनुसूचियाँ	इस वर्ष	गत वर्ष
			`	`
1.	ब्याज		41,156,470,438	29,370,791,897
2.	ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		523,082,832	400,648,703
3.	स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		351,565,795	237,406,048
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		42,500	-
5.	लेखा परीक्षा की फीस		2,114,000	455,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम		112,777,123	95,762,215
7.	संचार विषयक व्यय		23,971,207	18,734,997
8.	विधि विषयक व्यय		25,873,325	8,445,130
9.	अन्य व्यय	XII	414,704,482	332,095,510
10.	मूल्य ह्रास		146,637,378	127,516,560
11.	ऋण हानियों आकस्मिकताओं/ निवेशों पर ह्रास के लिए प्रावधान		6,150,689,976	4,799,552,585
12.	आगे ले जाया गया लाभ		10,887,606,464	10,126,347,415
	योग		**59,795,535,520**	**45,517,756,060**
	आयकर के लिए प्रावधान [आस्थगित कर जमा राशि ` 1,317,811,613 (गत वर्ष आस्थगित राशि ` 887,859,120)]		3,464,375,389	3,375,340,880
	तुलन-पत्र में आंतरित शेष लाभ		7,423,231,075	6,751,006,535
			10,887,606,464	**10,126,347,415**

सामान्य निधि

आय		इस वर्ष	गत वर्ष
		`	`
1. ब्याज और बट्टा	XIII	56,071,056,229	42,018,962,657
2. विनिमय, कमीशन,दलाली और फीस		2,145,168,726	2,030,912,507
3. अन्य आय	XIV	1,579,310,565	1,467,880,896
4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि		-	-
	योग	**59,795,535,520**	**45,517,756,060**
घटाया गया लाभ		10,887,606,464	10,126,347,415
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		10,887,606,464	**10,126,347,415**

'लेखों पर टिप्पणियाँ' संलग्न हैं।

डेविड रस्कीना
कार्यपालक निदेशक

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव टकरू **श्री पिनाक आर. चक्रवर्ती** **डॉ. रघुराम जी. राजन**
श्री जी. पद्मनाभन **श्री आर. एम. मल्ला**
प्रो. ए.एम.भट्टाचार्जी **डॉ. बिस्वजीत धर**
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम जेड एस के एंड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 105047 डब्ल्यू

नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2013

(अबुअली दारूखानावाला)
साझेदार (एम. सं. 108053)

	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को) `	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को) `
अनुसूचियाँ I : पूँजी		
1. प्राधिकृत	100,000,000,000	100,000,000,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्त:	30,593,663,881	22,999,918,881
(केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: अभिदत्त)		
अनुसूचियाँ II :आरक्षित निधियाँ		
1. आरक्षित निधि	32,525,593,606	28,188,186,787
2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	-	-
3. अन्य आरक्षित राशियाँ	-	1,114,175,745
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएं)	1,550,319,064	1,430,319,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	7,720,000,000	6,270,000,000
	41,795,912,670	**37,002,681,596**
अनुसूचियाँ III : लाभ और हानि लेखा		
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	7,423,231,075	6,751,006,535
2. घटाएं : विनियोजन:		
-आरक्षित निधि को अंतरित	3,223,231,075	3,491,006,535
-निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
-ऋण शोधन निधि को अंतरित	120,000,000	110,000,000
-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	1,450,000,000	1,100,000,000
3. निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केन्द्र सरकार को अंतरणीय)		
	2,630,000,000	**2,050,000,000**
अनुसूचियाँ IV: जमा राशियाँ		
(क) भारत में	30,833,633,817	31,566,106,796
(ख) भारत के बाहर	-	-
	30,833,633,817	**31,566,106,796**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को) `	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को) `
अनुसूचियाँ V: उधार राशियाँ:		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ख) विनिमय बिलों पर	-	12,750,000,000
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-	-
2. भारत सरकार से	-	-
3. अन्य स्रोतों से:		
(क) भारत में	12,278,093,456	26,788,596,831
(ख) भारत के बाहर	150,715,663,548	144,229,540,512
	162,993,757,004	**183,768,137,343**
अनुसूचियाँ VI: नकदी एवं बैंक में शेष:		
1. हाथ में नकदी	109,123	122,165
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	1,127,712	1,238,011
3. अन्य बैंकों में शेष :		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	1,848,905,588	780,987,632
ii) अन्य जमा खातों में	50,857,170,000	34,294,280,500
(ख) भारत के बाहर	16,105,780,458	3,220,118,213
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ सी बी एल ओ के अंतर्गत ऋण	55,908,096	-
	68,869,000,977	**38,296,746,521**
अनुसूचियाँ VII: निवेश:		
(मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	17,139,447,680	18,136,921,752
2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,541,216,096	1,575,201,612
3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	137,710,300	137,710,300
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉंड	3,810,753,604	4,454,785,513
5. अन्य	2,352,500,000	7,812,616,303
	24,981,627,680	**32,117,235,480**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को)	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को)
अनुसूचियाँ VIII: ऋण एवं अग्रिम		
1.विदेशी सरकारें	182,209,358,616	133,614,599,511
2.बैंक :		
(क) भारत में	89,128,250,000	94,556,250,000
(ख) भारत के बाहर	1,453,031,676	1,635,747,121
3.वित्तीय संस्थाएं		
(क) भारत में	--	-
(ख) भारत के बाहर	17,895,730,184	12,601,520,283
4.अन्य	352,843,441,838	293,489,706,941
	643,529,812,314	**535,897,823,856**
अनुसूचियाँ IX: भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय : बिल और वचन-पत्र		
(क) भारत में	-	3,000,000,000
(ख) भारत के बाहर	-	-
	-	**3,000,000,000**
अनुसूचियाँ X: अचल आस्तियाँ (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
1. परिसर		
सकल खंड (आगे लाया गया)	1,358,476,715	1,336,073,135
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	15,416,727	22,403,580
वर्ष के दौरान निपटान	11,244,522	-
वर्ष के अंत में सकल खंड	1,362,648,920	1,358,476,715
संचित ह्रास	654,976,148	602,849,960
निवल खंड	707,672,772	755,626,755
2. अन्य		
सकल खंड (आगे लाया गया)	644,112,230	501,615,411
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	112,117,641	157,275,304
वर्ष के दौरान निपटान	13,387,323	14,778,485
वर्ष के अंत में सकल खंड	742,842,548	644,112,230
संचित ह्रास	574,599,681	489,893,008
निवल खंड	168,242,867	154,219,222
	875,915,639	**909,845,977**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को) `	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को) `
अनुसूचियाँ XI: अन्य आस्तियाँ :		
1.निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
(क) निवेशों/बैंक राशियों पर	4,817,100,772	2,357,716,066
(ख) ऋणों और अग्रिम राशियों पर	6,761,193,485	4,827,075,123
2.विविध पक्षों के पास जमा राशियाँ	28,237,848	27,452,435
3.प्रदत्त अग्रिम आयकर	5,570,480,123	4,739,652,741
4.अन्य [आस्थगित कर आस्तियों सहित ` 2,776,580,504 (गत वर्ष ` 1,458,768,891)]	5,748,363,499	14,556,324,795
	22,925,375,727	**26,508,221,160**
अनुसूचियाँ XII: अन्य व्यय :		
1.निर्यात संवर्द्धन व्यय	23,566,822	6,094,303
2.डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	6,862,979	9,441,659
3.मरम्मत और रख-रखाव	97,877,921	93,167,333
4.मुद्रण और लेखन सामग्री	14,161,314	10,220,623
5.अन्य	272,235,446	213,171,592
	414,704,482	**332,095,510**
अनुसूचियाँ XIII:ब्याज एवं छूट:		
1.ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	40,559,451,972	33,460,568,228
2.निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	15,511,604,257	8,558,394,429
	56,071,056,229	**42,018,962,657**
अनुसूचियाँ XIV: अन्य आय :		
1.निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	1,573,274,270	1,455,120,984
2.भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	(1,275,059)	820,662
3.अन्य	7,311,354	11,939,250
	1,579,310,565	**1,467,880,896**

टिप्पणी: 'देयताओं' [अनुसूची IV (क) देखिए] के अंतर्गत 455.93 मिलियन यू एस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ (गत वर्ष 459.42 मिलियन यू एस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बाँडों के पेटे रखी गई हैं। आस्तियों [अनुसूची सं. VI 3. (क) (ii) देखिए] के अंतर्गत नकदी तथा बैंक जमाओं में ` 21.63 बिलियन (गत वर्ष ` 19.93 बिलियन) की रुपया जमा शामिल है जो कि स्वैप्स संव्यवहारों के कारण है। आस्तियों के अंतर्गत [अनुसूची सं. VII 4 देखिए] कुल ` 2.51 बिलियन (गत वर्ष ` 2.67 बिलियन) की बाँड राशि शामिल है जो स्वैप्स के कारण है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (बैंक) की **निर्यात विकास निधि** के संलग्न यथा 31 मार्च, 2013 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात विकास निधि के लाभ और हानि लेखे तथा लेखा नीतियों एवं अन्य विवरणात्मक आँकड़ों की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेवारी में उसकी डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक आंतरिक नियंत्रण शामिल है ताकि इन विवरणों में धोखाधड़ी अथवा भूलवश भी कोई मिथ्या सूचना न आने पाए।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेवारी

3. हमारी जिम्मेवारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर रिपोर्ट देना है। हमने यह लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार निष्पादित और नियोजित करें ताकि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है।

4. लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्णतया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है जिसमें महत्त्वपूर्ण विवरणों के संबंध में भूल अथवा धोखाधड़ी के चलते भ्रामक जानकारी के जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में लेखा परीक्षक इन विवरणों को त्रुटिरहित ढंग से तैयार करने में बैंक के आंतरिक नियंत्रणों को महत्त्वपूर्ण मानते हैं और इसे उसमें शामिल करते हैं। इसके साथ ही लेखा परीक्षा में बैंक द्वारा प्रयुक्त आंतरिक लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंध द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानों के ऑकलन की तर्कपूर्ण उपयुक्तता के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा हमारे अभिमत के लिए तर्क संगत आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

6. हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखा विवरण तथा उन पर लेखा टिप्पणियाँ भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तथा भारत में सामान्यत: मान्य लेखा मानकों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति प्रदर्शित करते हैं।

   (i) यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक की निर्यात विकास निधि के तुलन-पत्र के मामले में

   (ii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष लाभ के लिए लाभ-हानि लेखे के मामले में

अन्य विधिक तथा विनियामक मामलों पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 के तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

8. **हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:**

   (i) लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतर जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।

   (ii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों की सीमा के अंतर्गत हैं।

   (iii) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

9. **हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:**

   (i) तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंक की लेखा बहियों और विवरणों के अनुरूप हैं।

   (ii) हमारे विचार में और हमारे परीक्षण के आधार पर बैंक द्वारा विधि निर्धारित अनुसार इन बहियों का उचित अभिलेख रखा गया है।

कृते एम जेड एस के एंड असोसिट्स

सनदी लेखाकार

फर्म रजि. नं. 105047 डब्ल्यू

(अबुअली दारूखानावाला)

साझेदार (एम. सं. 108053)

नई दिल्ली

दिनांक : 21 मई, 2013

देयताएँ		इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को) `	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को) `
1.	ऋण		
	(क) सरकार से	-	-
	(ख) अन्य स्त्रोतों से	-	-
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्त्रोतों से	-	-
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	-	-
	(ख) अन्य स्त्रोतों से	-	-
4.	अन्य देयताएं	132,958,318	117,838,318
5.	लाभ और हानि लेखा	350,074,930	318,593,737
	योग	**611,341,035**	**564,739,842**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	-	-
(ii)	वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर	-	-
(iii)	हामीदारी एवं वचनबद्धताओं पर	-	-
(iv)	अंशत: प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	-	-
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	-	-
(vii)	सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	-	-
(viii)	भुनाये गये/पुन:भुनाये गये बिल	-	-
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	-	-

टिप्पणी : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास निधि की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

आस्तियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को) `	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को) `
1. बैंक शेष		
(क) चालू खातों में	242,507	242,506
(ख) अन्य जमा खातों में	469,252,429	438,266,775
2. निवेश	-	-
3. ऋण एवं अग्रिम :		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4. भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	-	-
5. अन्य आस्तियाँ:		
(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
i) ऋण एवं अग्रिम	-	-
ii) निवेश / बैंक शेष	8,909,078	8,849,540
(ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	124,431,703	108,875,703
(ग) अन्य	-	-
योग	**611,341,035**	**564,739,842**

डेविड रस्कीना
कार्यपालक निदेशक

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव टकरू
श्री जी. पद्मनाभन
प्रो. ए.एम.भट्टाचार्जी

श्री पिनाक आर. चक्रवर्ती
श्री आर. एम. मल्ला
डॉ. बिस्वजीत धर

डॉ. रघुराम जी. राजन

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम जेड एस के एंड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 105047 डब्ल्यू

नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2013

(अबुअली दारूखानावाला)
साझेदार (एम. सं. 108053)

लाभ और हानि लेखा यथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	**इस वर्ष**	**गत वर्ष**
	`	`
व्यय		
1. ब्याज	--	--
2. अन्य व्यय	--	--
3. आगे ले जाया गया लाभ	46,601,193	43,013,551
योग	**46,601,193**	**43,013,551**
आयकर के लिए प्रावधान	15,120,000	13,956,000
तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	31,481,193	29,057,551
	46,601,193	**43,013,551**

विवरण	इस वर्ष `	गत वर्ष `
आय		
1. ब्याज और बट्टा		
(क) ऋण एवं अग्रिम	-	-
(ख) निवेश / बैंक शेष	46,601,193	43,013,551
2. विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	-	-
3. अन्य आय	-	-
4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	-	-
योग	**46,601,193**	**43,013,551**
लाभ नीचे लाया गया	46,601,193	43,013,551
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
	46,601,193	**43,013,551**

डेविड रस्कीना
कार्यपालक निदेशक

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव टकरू
श्री जी. पद्मनाभन
प्रो. ए.एम.भट्टाचार्जी

श्री पिनाक आर. चक्रवर्ती
श्री आर. एम. मल्ला
डॉ. बिस्वजीत धर

डॉ. रघुराम जी. राजन

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम जेड एस के एंड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 105047 डब्ल्यू

नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2013

(अबुअली दारूखानावाला)
साझेदार (एम. सं. 108053)

राशि (मिलियन `)

विवरण	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को) `	गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को) `
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	10,887.6	10,126.3
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/ हानि (निवल)	1.3	(0.8)
- निवेशों की बिक्री से (लाभ)/ हानि (निवल)	(1,573.3)	(1,455.1)
- मूल्यह्रास	146.6	127.5
- बट्टे में डाले गए बांड निर्गमों पर छूट / व्यय	264.9	192.1
- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
- ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना	6,150.7	4,799.6
- अन्य - उल्लेख करें	-	-
	15,877.8	13,789.7
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
- अन्य आस्तियाँ	6,032.7	(9,276.5)
- चालू देयताएं	6,467.1	13,855.4
परिचालनों से नकदी निर्माण	**28,377.6**	**18,368.6**
आय कर /ब्याज कर की अदायगी	(5,047.7)	(4,247.5)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**23,329.9**	**14,121.0**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- अचल आस्तियों की निवल खरीद	(114.0)	(176.6)
- निवेशों में निवल परिवर्तन	8,708.9	(2,406.5)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/ से जुटायी गयी निवल नकदी	**8,594.9**	**(2,583.1)**

विवरण	इस वर्ष (यथा 31.03.2013 को)	राशि (` मिलियन में) गत वर्ष (यथा 31.3.2012 को)
	`	`
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- लगायी गयी ईक्विटी पूँजी से	2,000.0	3,000.0
- लिए गए ऋणों (की गयी पुनर्अदायगी की निवल राशि) से	103,329.5	74,607.0
- लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त पुनर्अदायगी का निवल) से	(104,632.0)	(82,339.8)
- ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केंद्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(2,050.0)	(1,850.0)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी प्रवाह	**(1,352.5)**	**(6,582.8)**
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (गिरावट)	**30,572.3**	**4,955.1**
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी तुल्य	38,296.7	33,341.6
अंतिम नकदी एवं नकदी तुल्य	68,869.0	38,296.7

डेविड रस्कीना
कार्यपालक निदेशक

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव टकरू
श्री जी. पद्मनाभन
प्रो. ए.एम.भट्टाचार्जी

श्री पिनाक आर. चक्रवर्ती
श्री आर. एम. मल्ला
डॉ. बिस्वजीत धर

डॉ. रघुराम जी. राजन

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम जेड एस के एंड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 105047 डब्ल्यू

नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2013

(अबुअली दारूखानावाला)
साझेदार (एम. सं. 108053)

I महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात संवर्द्धन निधि), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं। वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा लिखित न हो ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियाँ गत वर्ष प्रयोग की गई लेखा नीतियों के अनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1981 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस एफ आई डी. सं. सी -18 / 01.02.00/2000-01, दिनांकित 13 अगस्त, 2005 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात /आंकड़े, 'लेखों की टिप्पणियाँ' के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

ख) आकलन का आधार

निर्धारित तिथि को वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा आय और व्यय को रिपोर्ट करने के दौरान आस्ति तथा देयताओं की राशि रिपोर्ट करने के लिए (आकस्मिक देयताओं सहित) प्रबंधन को कुछ अनुमानों / आकलनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रबंधन की राय के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किए गए यह आकलन/ अनुमान समुचित और तार्किक हैं।

(ii) राजस्व निर्धारण

गैर-निष्पादक आस्तियों और 'भार ग्रस्त आस्तियों' पर ब्याज, दंड स्वरूप ब्याज, वचनबद्धता प्रभार जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बाँडों पर दिया जाने वाला बट्टा / मोचन प्रीमियम बाँड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन-पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होने वाले ब्याज को ''अन्य आस्तियों'' में समूहित किया गया है। खाते की कमज़ोरी और वसूली हेतु संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियाँ, अवमानक, आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) ''परिपक्वता तक धारित'' (परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ),

(ख) ''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और

(ग) “बिक्री के लिए उपलब्ध” (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर और बाँड

v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश

vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक-पत्र, म्युच्युअल फंड की यूनिटें आदि)

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) अचल आस्तियाँ तथा मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वयं के स्वामित्ववाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, गिरा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) अवक्षय

आस्तियों के रखरखाव की राशि को हर तुलन पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए अपक्षय के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई अवक्षय हानियों के प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है।

(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर नियत किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचितविनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(viii) गारंटियाँ

ई सी जी सी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी आस्ति देयताओं की हेजिंग के लिए डेरीवेटिव संव्यवहारों जैसे ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप, अंतर करेंसी ब्याज दर स्वैप तथा वायदा दर करारों में भी डील करता है। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये संव्यवहार हेजिंग के उद्‌देश्य से किए जाते हैं तथा उपचित आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। बकाया डेरीवेटिव संव्यवहारों के बारे में मात्रात्मक तथा गुणात्मक प्रकटन वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन मानक विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुरूप किए जाते हैं।

(x) कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान

(क) बैंक में भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि योजनाएं हैं इन निधियों में अंशदान लाभ-हानि खाते को नामे कर किया जाता है। जिन्हें आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(ख) उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ, यदि कोई हैं, का अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है।

(ग) छुट्‌टी के नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

(xi) आय पर करों का लेखांकन

(क) संबंधित संविधि के अधीन अदायगी योग्य चालू कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन-पत्र की सम दिनांक को प्रमुखत: अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियों के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 के अनुसार बैंक केवल उन प्रावधानों को हिसाब में लेता है जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए। आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की संभावना बहुत ही कम हो। आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हे वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

II लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक इराक में भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत को समनुदेशित ` 37.31 बिलियन (पिछले वर्ष ` 34.97 बिलियन) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित ` 33.71 बिलियन (पिछले वर्ष ` 31.60 बिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आयकर

बैंक की पूँजी संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा अभिदत्त है तथा बैंक में कोई अन्य शेयर पूँजी नहीं है। अत: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय लाभ अधिशेष को लाभांश नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप वाद सं. आई टी ए सं. 2025/मुंबई /2000 में 18 दिसंबर, 2006 को आई टी ए टी द्वारा पारित निर्णय के आलोक में लाभांश वितरण कर देय नहीं है, अत: इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. (क) आकस्मिक देयताएँ

गारंटियों में ` 5.37 बिलियन (पिछले वर्ष ` 9.44 बिलियन) की अवधि समाप्त गारंटियाँ शामिल हैं, जिन्हें बहियों में से निरस्त किया जाना बाकी है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत ''बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है'' के रूप में दिखाई गई ` 2.25 बिलियन (पिछले वर्ष ` 3.12 बिलियन) की राशि अधिकांशत: बैंक के उधारकर्ता/ चूककर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावों / प्रतिदावों से संबंधित है जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा गुणवत्ता योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अत: व्यावसायिक सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा / ब्याज दर विनिमय

(i) यथा 31 मार्च, 2013 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूरी तरह से हेजिंग की गई है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एम पी डी.बी सी. 187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आस्ति-देयता प्रबंध के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर विनिमय, वायदा कर करार तथा मुद्रा - सह- ब्याज दर विनिमय) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदों से बाहर निकलता है तथा पुन: करता है। बकाया डेरिवेटिव सौदों को ब्याज दर संवेदनशीलता के आधार पर निपटाया जाता है जिसकी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा निगरानी और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव्स के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'चालू ऋण जोखिम' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पी वी 01) के उचित मूल्य तथा कीमत मूल्य को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों की टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ

या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा दर संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय / व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को अपने ग्राहकों/ गैर-ग्राहकों हेतु 'लाँग डेटेड फॉरेन करेंसी रूपी स्वैप्स' संव्यवहारों के लिए 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

(घ) मुद्रा विनिमय दर घट-बढ़ पर लाभ / हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। विद्यमान वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित एवं धारित आय संबंधी इन अंतरणों पर सांकेतिक लाभ ` 0.04 बिलियन (गत वर्ष ` 0.26 बिलियन) है।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

5. पूँजी

(क)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2013 को	यथा 31 मार्च, 2012 को
(i) जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सी आर ए आर)	15.28%	16.44%
(ii) जोखिम आस्तियों की तुलना में मुख्य पूँजी अनुपात	13.71%	14.57%
(iii) जोखिम आस्तियों की तुलना में अनुपूरक पूँजी अनुपात	1.57%	1.87%

(ख) यथा 31 मार्च, 2013 को टीयर-II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि : ` कुछ नहीं (गत वर्ष : ` कुछ नहीं)

(ग) जोखिम भारित आस्तियाँ-

(बिलियन `)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2013 को	यथा 31 मार्च, 2012 को
(i) तुलन-पत्र में 'शामिल' मदें	407.88	356.22
(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	75.85	56.97

(घ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारित का स्वरूप : भारत सरकार द्वारा पूर्णत: अभिदत्त ।

- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।

6. आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पादक आस्तियों की प्रतिशतता : 0.47 (गत वर्ष 0.29)

(ख) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि और प्रतिशतता :

(बिलियन `)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2013 को		यथा 31 मार्च, 2012 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अवमानक आस्तियाँ	3.05	0.47	1.56	0.29
संदिग्ध आस्तियाँ	-	-	-	-
हानि आस्तियाँ	-	-	-	-
योग	**3.05**	**0.47**	**1.56**	**0.29**

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किए गए प्रावधान :

(बिलियन `)

विवरण	2012-2013	2011-2012
मानक आस्तियाँ	1.83	1.33
अनर्जक आस्तियाँ	6.48	3.13
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	0.25	0.55
आयकर	3.46	3.37

(घ) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ :

(बिलियन `)

विवरण	2012-2013	2011-2012
वर्ष के आरंभ में निवल अनर्जक-आस्तियाँ	1.56	0.93
जोड़े : वर्ष के दौरान अनर्जक-आस्तियाँ	3.05	1.56
घटाएं : वर्ष के दौरान वसूलियाँ / कोटि उन्नयन	1.56	0.93
वर्ष की समाप्ति पर निवल अनर्जक-आस्तियाँ	3.05	1.56

(ङ) अनर्जक-आस्तियों (जिसमें ऋण, बाँड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर-कंपनी जमा राशियाँ शामिल हैं) के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर):

(बिलियन `)

विवरण	2012-2013	2011-2012
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	6.40	3.85
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	6.48	3.13
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / पुनरांकन	0.78	0.58
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	12.10	6.40

(च) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर):

	2012-2013	2011-2012
प्रावधान कवरेज अनुपात	82.67%	84.66%

(छ) जमा, अग्रिमों, ऋणों तथा एन पी ए का संकेन्द्रण

जमा राशियों का संकेन्द्रण:

(बिलियन `)

विवरण	2012-13	2011-12
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल राशि	2.88	3.61
बैंक की कुल जमा राशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं का प्रतिशत	47.28%	44.12%

ऋणों का संकेन्द्रण :

(बिलियन `)

विवरण	2012-13	2011-12
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल ऋण	89.45	77.64
बैंक की कुल अग्रिमों के इन उधारकर्ताओं के ऋणों का प्रतिशत	13.64	14.24

अग्रिमों की गणना डेरीवेटिव सहित अग्रिम मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. एफआईडी.एफ आईसी 2 / 01.02.00 / 2012-13 दिनांकित 2 जुलाई, 2012 में परिभाषित अनुसार की गई है।

एक्सपोजर का संकेन्द्रण :

(बिलियन `)

विवरण	2012-13	2011-12
बीस सबसे बड़े उधार कर्ताओं / ग्राहकों को एक्सपोजर	138.12	123.62
बैंक के कुल एक्सपोजर में इन उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत	11.54	11.65

एक्सपोजर की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. एफआईडी.एफआईसी. 2/01.02.00/2012-13 दिनांक 2 जुलाई, 2012 में परिभाषित अनुसार की गई है।

भारत सरकार द्वारा गारंटित विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ऋणों को भारत सरकार की ओर से दिए गए ऋण माना गया है तथा उन्हें एकल समूह उधारकर्ताओं की श्रेणी में नही माना गया है।

अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण :

(बिलियन `)

	2012-13	2011-12
शीर्ष चार एन पी ए खातों का कुल ऋण	4.91	2.20

I. क्षेत्रवार अनर्जक अस्तियाँ :

क्रम. सं	क्षेत्र	क्षेत्र विशेष में कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अस्तियों का प्रतिशत	
		2012-13	2011-12
1.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	-	-
2.	उद्योग (अति लघु तथा लघु, मध्यम तथा बड़े)*	2.31	1.46
3.	सेवाएं	-	-
4.	व्यक्तिगत ऋण	-	-

* निर्यात ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी उधारकर्ताओं को ऋणों से संबंधित गैर निष्पादक आस्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

II. **निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की घट-बढ़ :**

(बिलियन `)

विवरण	2012-13	2011-12
1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	7.96	4.78
वृद्धि :		
(i) वर्ष के दौरान (नए एन पी ए)	9.20	4.07
(ii) ब्याज-निधीयन	0.03	0.01
(iii) विनिमय दर घट-बढ़	0.10	0.10
उपखंड योग (क)	9.33	4.18
घटाएं :		
(i) उन्नयन	0.86	0.20
(ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)	1.01	0.49
(iii) बट्टा	0.27	0.31
(iv) विनिमय दर घट-बढ़	-	-
उपखंड योग (ख)	2.14	1.00
31 मार्च को सकल एनपीए (क - ख)	15.15	7.96

- डीबीओडी परिपत्र सं. डीबीओडी बीपी बीसी सं. 9/21.04.048/2012-13 दिनांकित २ जुलाई, 2012 के अनुलग्नक की मद सं. 2 के अनुसार सकल एन पी ए

III. **विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक अस्तियाँ तथा राजस्व:**

(बिलियन `)

विवरण	2012-13	2011-12
कुल आस्तियाँ	40.15	18.80
कुल एन पी ए	-	-
कुल राजस्व	1.69	0.58

उक्त आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं जिसने अपने परिचालन अक्तूबर 2010 से प्रारंभ किए।

IV. **तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है):**

प्रायोजित एस पी वी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

(ज) आस्ति पुनर्निर्माण हेतु वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

(बिलियन `)

क्रम सं.	विवरण	2012-13	2011-12
(i)	खातों की संख्या	1	1
(ii)	प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	0.65	-
(iii)	कुल प्रतिफल	0.65	0.08
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.08
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ	0.00	0.08

- ''पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियों'' को भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डी बी ओ डी सं. एफ आई डी.एफ आई सी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 1 जुलाई, 2006 और उसके बाद के दिशा-निर्देशों में परिभाषित अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(झ) अनर्जक निवेशः

(बिलियन `)

विवरण	2012-13	2011-12
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.49	0.34
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	0.09	0.15
वर्ष के दौरान घटाई गई राशियाँ	-	-
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.58	0.49
धारित कुल प्रावधान	0.58	0.49

(ञ) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधानः

(बिलियन `)

विवरण	2012-13	2011-12
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	2.33	1.63
जोड़ें :		
(i) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान / (प्रतिलेखन)	0.35	0.70
(ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे से विनियोग, यदि कोई है	-	-
घटाएं :		
(i) वर्ष के दौरान बट्टा खाता	-	-
(ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई है	-	-
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	2.68	2.33

(ट) **वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान की गई कंपनी ऋण पुनर्संरचनाः**

(बिलियन `)

श्रेणी	विवरण	सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण प्रणाली	अन्य
पुनर्संरचित की गई मानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	21	1	10
	बकाया राशि	20.32	0.03	6.48
	बलिदान राशि (मूल्य में कमी)	2.28	0.002	0.10
पुनर्संरचित की गई अवमानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	-	-	-
पुनर्संरचित की गई संदिग्ध आस्तियाँ	खातों की संख्या	-	1	-
	बकाया राशि	-	0.05	-
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	-	-	-
कुल	खातों की संख्या	21	2	10
	बकाया राशि	20.32	0.08	6.48
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	2.28	0.002	0.10

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2013 को 9 उधारकर्ताओं का आवेदन ऋण पुनर्संरचना के लिए प्राप्त हुआ जिनके अंतर्गत कुल राशि ` 4.55 बिलियन है ।

गत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण):

(बिलियन `)

श्रेणी	विवरण	सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण प्रणाली	अन्य
पुनर्संरचित की गई मानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	8	-	3
	बकाया राशि	4.31	-	3.82
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.54	-	-
पुनर्संरचित की गई अवमानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	-	-	1
	बकाया राशि	-	-	0.36
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	-	-	-
पुनर्संरचित की गई संदिग्ध आस्तियाँ	खातों की संख्या	1	2	-
	बकाया राशि	0.11	0.11	-
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	-	-	-
कुल	खातों की संख्या	9	2	4
	बकाया राशि	4.42	0.11	4.18
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.54	-	-

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2012 को 13 उधारकर्ताओं का आवेदन ऋण पुनर्संरचना के लिए प्राप्त हुआ जिनके अंतर्गत कुल राशि ` 15.58 बिलियन है।

(ठ) **ऋण सहायता :**

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता @	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	14.72	0.84	1.31
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	36.38	2.06	3.25
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	118.89	6.75	10.61
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	190.25	10.80	16.98

* यथा 31 मार्च, 2012 को पूँजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियाँ + उपयोग न की गई मंजूरियाँ + गारंटियाँ + डेरीवेटिव्स के कारण ऋण जोखिम।

बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उन्हें उनके आदेशानुसार दिया गया माना गया है, अत: उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

गत वर्ष :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता @	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	14.88	0.85	1.41
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	28.82	1.64	2.73
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	120.12	6.83	11.38
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	180.31	10.25	17.08

* यथा 31 मार्च, 2011 को पूँजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियाँ + उपयोग न की गई मंजूरियाँ + गारंटियाँ + डेरीवेटिव्स के कारण ऋण जोखिम।

बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उन्हें उनके आदेशानुसार दिया गया माना गया है, अत: उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

(ड) **पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सहायता :**

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i) धातु और धातु प्रसंस्करण	10.41	9.74
ii) ई पी सी सेवाएं	9.41	8.80
iii) वस्त्र/परिधान	8.06	7.54
iv) औषध एवं औषधियां	6.28	5.88
v) ऑटो तथा ऑटो पुर्जे	5.55	5.19

गत वर्ष :

क्षेत्र		कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i)	धातु और धातु प्रसंस्करण	13.91	13.12
ii)	ई पी सी सेवाएं	9.06	9.01
iii)	वस्त्र/परिधान	6.74	6.71
iv)	औषध एवं औषधियां	6.61	6.58
v)	ऑटो तथा ऑटो पुर्जे	6.52	6.48

'ऋण सहायता' की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।

बैंकों को ऋण सहायता और समुद्रपारीय सत्ताओं की ऋण-व्यवस्थाएँ / क्रेता-ऋण को, इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ढ) गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में निर्गमकर्ता वर्ग

(बिलियन `)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	की राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	''निवेश कोटि से कम स्तर'' की धारित प्रतिभूतियाँ	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियाँ	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.04	-	-	0.04	0.04
2	वित्तीय संस्थाएँ	2.75	2.51	-	0.24	2.75**
3	बैंक	0.25	0.15	-	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	4.53	3.57	-	4.17	3.30*
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	अन्य	2.35	-	-	0.0025	0.0025
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	2.08	-	-	-	-
	कुल	**9.92**	**6.23**	**-**	**4.56**	**6.20**

प्रावधान की गई कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से ` 2.14 बिलियन आर्सिल (ए आर सी आई एल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश तथा ` 0.79 बिलियन ऋण की राशि पुनर्संरचना के कारण अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश की गई हैं।

** जिनमें से ` 2.51 बिलियन की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से यू एस डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप संव्यवहारों से प्राप्त हुई।

उक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

गत वर्ष :

(बिलियन `)

क्रम	निर्गमकर्ता	राशि	की राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	''निवेश कोटि से कम स्तर'' की धारित प्रतिभूतियाँ	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियाँ	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.04	-	-	0.04	0.04
2	वित्तीय संस्थाएँ	2.91	2.67	-	0.24	2.90**
3	बैंक	0.25	0.15	-	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	4.24	3.25	-	3.71	2.98*
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	अन्य	7.81	-	-	0.0025	0.0025
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	1.27	-	-	-	-
	कुल	**15.25**	**6.07**	-	**4.09**	**6.02**

किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से ` 1.89 बिलियन आर्सिल (ए आर सी आई एल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश तथा ` 0.55 बिलियन ऋण की राशि पुनर्संरचना के कारण अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश की गई है।

** जिनमें से ` 2.67 बिलियन की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से यू एस डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप संव्यवहारों से प्राप्त है। उक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

7. चल निधि

(क) रुपया आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप।

(बिलियन `)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षो तक	3 वर्षो से अधिक 5 वर्षो तक	5 वर्षो से अधिक 7 वर्षो तक	7 वर्षो से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	240.67	144.26	127.33	121.42	131.20	764.88
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	217.18	147.01	132.25	63.87	138.50	698.81
कुल आस्तियाँ	**457.85**	**291.27**	**259.58**	**185.29**	**269.70**	**1463.69**
रुपया देयताएँ	240.12	140.93	42.73	31.20	203.48	658.46
विदेशी मुद्रा देयताएँ	215.79	146.80	117.16	53.47	161.15	694.37
कुल देयताएँ	**455.91**	**287.73**	**159.89**	**84.67**	**364.63**	**1352.83**

गत वर्ष :

(बिलियन `)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	274.34	126.70	104.66	104.70	65.79	676.19
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	155.68	117.19	83.92	46.27	72.17	475.23
कुल आस्तियाँ	**430.02**	**243.89**	**188.58**	**150.97**	**137.96**	**1151.42**
रुपया देयताएँ	273.49	125.05	55.86	27.67	125.51	607.58
विदेशी मुद्रा देयताएँ	154.41	125.63	77.77	43.43	71.06	472.30
कुल देयताएँ	**427.90**	**250.68**	**133.63**	**71.10**	**196.57**	**1079.88**

- आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित यथा 31 दिसंबर, 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस.एफ आई डी. सं.सी-11/01.02.00/1999-2000 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-सूमहों में किया गया है।

(ग) रेपो लेन-देन :

(बिलियन `)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2013 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	0.48	0.017	-

गत वर्ष :

(बिलियन `)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2012को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	5.00	0.303	-
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	0.50	0.004	-

8. **भारतीय रिज़र्व बैंक के 2 जुलाई, 2012 के दिशा-निर्देश और उसके बाद के दिशा-निर्देशों के अनुसार डेरीवेटिव जोखिमों का प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्‌देश्य से मुख्यत: अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओ टी सी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरीवेटिव आदि का ही उपयोग करता है।

2. डेरीवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात् ब्याज दरों / विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि (ii) ऋण जोखिम अर्थात् प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरीवेटिव नीति लागू है, जिसका उद्‌देश्य संपूर्ण आस्ति देयता स्थिति तथा संव्यवहार स्तर पर ही जोखिम प्रबंधन उद्‌देश्यों के अनुरूप डेरीवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने, नियंत्रण तथा निगरानी उपायों की स्थापना सहित नियामक प्रलेखन तथा लेखा संबंधी मुद्‌दों को परिभाषित किया गया है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपेन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्रीसेटलमेंट लिमिट, पी वी 01लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरीवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देख-रेख करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2013 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरीवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्‌देश्य से लिया गया है तथा आस्ति-देयता बहियों में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर स्वैप शामिल नहीं हैं जो कि डेरीवेटिव नीति के अनुपालन के संदर्भ में है।

ख) मात्रात्मक प्रकटन

(बिलियन `)

क्रम सं.	विवरण	2012-13		2011-12	
		मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव	मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव
1	डेरीवेटिव (सांकेतिक मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	185.25	126.87	145.38	58.30
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	मार्क-टू-मार्केट स्थितियाँ				
	क) आस्ति (+)	-	1.49	10.31	1.39
	ख) देयता (-)	6.88	-	-	-
3	ऋण सहायता	11.40	2.57	18.79	2.38
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पी वी 01)				
	क) हेजिंग डेरीवेटिव पर	6.92	6.07	4.39	2.01
	ख) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर (i) अधिकतम (ii) न्यूनतम	 6.92 4.72	 6.17 1.95	 4.39 2.11	 2.24 2.01
	ख) ट्रेडिंग पर (i) अधिकतम (ii) न्यूनतम	 - -	 - -	 - -	 - -

ग) एक्सचेंजों में व्यापार किए गए ब्याज डेरीवेटिव के संबंध में प्रकटन

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि (लिखत-वार)	-
2.	यथा 31 मार्च, 2013 को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि (लिखत-वार)	-
3.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत-वार)	-
4.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत-वार)	-

घ) **वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वैप पर प्रकटीकरण** (बिलियन `)

क्रम सं.	विवरण	2012-13		2011-12	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वैप करारों का मूल सांकेतिक मूल्य	126.87	-	58.30	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	0.35	-	0.15	-
3.	स्वैप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	-	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	-
4.	स्वैप बही का सही मूल्य	1.49	-	1.39	-

स्वैप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्ति-देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

9. **परिचालनात्मक परिणाम**

क्रम सं.	विवरण	2012-13	2011-12
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.94	7.08
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.53	0.59
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन-लाभ	2.41	2.51
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.05	1.14
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ (` बिलियन में)	0.03	0.03

- परिचालनात्मक परिणामों के लिए कार्यशील निधियों तथा कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत में, अनुवर्ती छमाही के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के अंत में, आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है। ('कार्यशील निधियाँ' कुल आस्तियों से संबंधित हैं)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना करने के लिए सभी संवर्गों में सभी पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों को हिसाब में लिया गया है।

10. अचल आस्तियों के विवरण

अचल आस्तियों के विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

(बिलियन `)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2012 को लागत	1.36	0.64	2.00
परिवर्द्धन	0.01	0.11	0.12
निपटान	0.01	0.01	0.02
यथा 31 मार्च, 2013 को लागत (क)	1.36	0.74	2.10
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2012 को संचित	0.60	0.49	1.09
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.05	0.10	0.15
निपटान पर समाप्त	-	0.01	0.01
यथा 31 मार्च, 2013 को संचित (ख)	0.65	0.58	1.23
निवल ब्लॉक (क-ख)	**0.71**	**0.16**	**0.87**

गत वर्ष :

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2009 को लागत	1.34	0.50	1.84
परिवर्द्धन	0.02	0.16	0.18
निपटान	-	0.02	0.02
यथा 31 मार्च, 2013 को लागत (क)	1.36	0.64	2.00
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2012 को संचित	0.55	0.43	0.98
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.05	0.07	0.12
निपटान पर समाप्त	-	0.01	0.01
यथा 31 मार्च, 2013 को संचित (ख)	0.60	0.49	1.09
निवल ब्लॉक (क-ख)	**0.76**	**0.15**	**0.91**

11. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

12. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-17 के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाने योग्य कोई खंड नहीं हैं क्योंकि, बैंक के परिचालनों में प्रमुखत: एक खंड अर्थात् वित्तीय कार्यकलाप ही शामिल हैं।

13. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार प्रकटन किया गया है :

- संबंध

(i) संयुक्त उद्यम :

- ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लिमिटेड

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

- श्री टी.सी.ए. रंगनाथन, (अध्यक्ष, जी पी सी एल)

- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है :

(मिलियन `)

विवरण	संयुक्त उद्यम 2012-13	संयुक्त उद्यम 2011-12
मंजूर ऋण	-	-
जारी गारंटियाँ	2.64	-
प्राप्त ब्याज	-	-
प्राप्त गारंटी कमीशन	0.02	-
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	0.01	-
स्वीकार की गई जमा राशियाँ	6.06	5.80
सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज	0.56	0.46
बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशि	-	-

- वर्ष के अंत में बकाया ऋण राशि : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)
- वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां : ` 2.64 मिलियन (गत वर्ष ` 5.36 मिलियन)
- वर्ष के दौरान बकाया निवेश राशि : ` 3.23 मिलियन (गत वर्ष ` 3.23 मिलियन)
- वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम ऋण राशि : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)
- वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम गारंटियां : ` 8.48 मिलियन (गत वर्ष ` 6.25 मिलियन)

- वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये भारतीय रिज़र्व बैंक का यथा 29 मार्च, 2003 का परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी पी.बी सी. 89/21.04.018/2002-03 ऐसे लेन-देनों के प्रकटन को शामिल नहीं करता है, जहां किसी भी श्रेणी में सिर्फ एक संबंधित पक्षकार (अर्थात प्रमुख प्रबंध कार्मिक) है।

14. आय पर कर का लेखांकन

(क) चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान का विवरण :

	(बिलियन `)
(i) आय पर कर	4.78
(ii) घटाकर : निवल आस्थगित कर आस्तियां	1.3
	3.46

(ख) आस्थगित कर आस्ति :

प्रमुख मदों के संदर्भ में आस्थगित कर देयताओं तथा आस्तियों का संगठन नीचे दिया गया है :

विवरण	(बिलियन `)
आस्थगित कर आस्तियाँ	
1. अस्वीकार्य प्रावधान (निवल)	5.47
2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.03
	5.50
घटाएँ : आस्थगित कर देयताएँ	
1. बाँड निर्गम खर्च का परिशोधन	0.39
2. धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व	2.33
	2.72
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ [तुलन-पत्र के 'आस्तियाँ' पक्ष में 'अन्य आस्तियों' में शामिल]	2.78

15. संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था	**देश**	**धारिता का प्रतिशत**	
			वर्तमान वर्ष	**गत वर्ष**
क	ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लिमिटेड	भारत	28%	28%

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं और आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित है :

(मिलियन `)

देयताएँ	**2012-13**	**2011-12**	**आस्तियाँ**	**2012-13**	**2011-12**
पूँजी एवं आरक्षित निधियाँ	15.28	14.60	अचल आस्तियाँ	0.16	0.20
ऋण	-	-	निवेश	7.62	9.38
अन्य देयताएँ	2.17	0.29	अन्य आस्तियाँ	9.67	5.31
कुल	**17.45**	**14.89**	**कुल**	**17.45**	**14.89**

आकस्मिक देयताएँ : शून्य (गत वर्ष शून्य)

(मिलियन `)

व्यय	2012-13	2011-12	आय	2012-13	2011-12
अन्य व्यय	8.37	4.81	परामर्शी आय	10.03	4.89
प्रावधान	0.90	0.50	ब्याज आय तथा निवेश से आय	0.92	1.21
			अन्य आय	(0.02)	0.18
			प्रतिलेखित की गई आस्थगित कर देयता	-	-
कुल	**9.27**	**5.31**	**कुल**	**10.93**	**6.28**

16. आस्तियों का अनर्जन

बैंक की आस्तियों में से अधिकांश आस्तियाँ वित्तीय आस्तियाँ हैं जिन पर 'आस्तियों के अनर्जन' संबंधी लेखामानक-28 लागू नहीं होता है। बैंक के मत से यथा 31 मार्च, 2013 को आस्तियों का कोई अनर्जन नहीं हुआ है जिससे इस लेखा मानक के अंतर्गत प्रावधान किया जाए।

17. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संगठन द्वारा कर्मचारी लाभों पर, यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखामानक-15 (आर) को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है जिसमें तुलन-पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) बैंक के तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(बिलियन `)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
निधिक देयताओं का वर्तमान मूल्य	0.323	0.052
आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	0.443	0.060
गैर-निधिक देयताओं का सही मूल्य	(0.120)	(0.008)
हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-
आस्ति के रूप में हिसाब में न ली गई राशि	-	-
निवल देयता	(0.120)	(0.008)

ख) बैंक के लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(बिलियन `)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	0.015	0.005
परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज	0.027	0.005
आयोजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	(0.020)	(0.004)
वर्ष के दौरान निवल उपचय गत हानि/(लाभ)	0.074	(0.001)
विगत सेवा लागत - गैर निजी लाभ निधि	-	-
विगत सेवा लाभ - निजी लाभ हिसाब में लिया गया	-	-
	-	-
कुल ''कर्मचारी लाभ खर्च'' में शामिल	0.096	0.005
नियोक्ता द्वारा योगदान	(0.037)	-

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
बट्टा ब्याज (प्रति वर्ष)	8.25%	8.25%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल (प्रति वर्ष)	8.75%	8.75%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने वर्ष 2012-2013 के लिए निधिक देयताओं के वर्तमान मूल्य में वृद्धि के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ देयता ` 0.04 बिलियन हो गई है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि खाते में कोई अंशदान नहीं किया गया है।

18. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। जिन मामलों मे भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार पहली बार प्रकटन किया गया है, उन मामलों में गतवर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

डेविड रस्कीना
कार्यपालक निदेशक

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव टकरू
श्री जी. पद्मनाभन
प्रो. ए.एम.भट्टाचार्जी

श्री पिनाक आर. चक्रवर्ती
श्री आर. एम. मल्ला
डॉ. बिस्वजीत धर

डॉ. रघुराम जी. राजन

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम जेड एस के एंड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 105047 डब्ल्यू

नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2013

(अबुअली दारूखानावाला)
साझेदार (एम. सं. 108053)

प्रधान कार्यालय टीम

भारत तथा विदेश स्थित कार्यालय

अहमदाबाद

बैंगलोर

चंडीगढ़

चेन्नै

गुवाहाटी

हैदराबाद

कोलकाता

मुंबई

भारत तथा विदेश स्थित कार्यालय

नई दिल्ली

पुणे

लंदन शाखा

सिंगापुर

वाशिंग्टन डी.सी.

अदिस अबाबा

डकार

दुबई

जोहानिस्बर्ग

यांगून
(शीघ्र खुल रहा है)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्‍व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन: (91 22) 22172600, फैक्स: (91 22) 22182572
ई-मेल : ccg@eximbankindia.in, वेबसाइट : www.eximbankindia.in

HEAD OFFICE

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005
Phone: (91 22) 22172600, Fax: (91 22) 22182572,
E-mail: ccg@eximbankindia.in, Website: www.eximbankindia.in

लंदन शाखा

88/90, टेम्पल चेंबर्स, 3-7, टेम्पल एवेन्यू, लंदन ई सी 4 वाई ओ एच पी,
यूनाइटेड किंगडम.
फोन : (44) 20 73538830 फैक्स : (44) 20 73538831 ई-मेल : eximlondon@eximbankindia.in

LONDON BRANCH

88/90, Temple Chambers, 3-7, Temple Avenue,
London EC4Y OHP, United Kingdom.
Ph: (44) 20 73538830 Fax: (44) 20 73538831
E-mail: eximlondon@eximbankindia.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार II, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के आगे,एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद 380 006.
फोन : (91 79) 26576852/26576843, फैक्स : (91 79) 26577696
ई-मेल : eximahro@eximbankindia.in

बैंगलोर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,18, एम. जी. रोड, बैंगलोर 560 001.
फोन : (91 80) 25585755 / 25589101-04, फैक्स : (91 80) 25589107
ई-मेल : eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
पी एच डी हाउस, पहली मंज़िल, सेक्टर 31-ए, दक्षिण मार्ग, चंडीगढ़ 160 031.
फोन : (91 172) 2641910 /12/39/49, फैक्स : (91 172) 2641915
ई-मेल : eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै
ओवरसीज टॉवर,चौथी एवं पाँचवी मंज़िल, नं.756-एल, अन्ना सलाई, चेन्नै 600 002.
फोन : (91 44) 28522830 / 31, फैक्स : (91 44) 25522832
ई-मेल : eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
एन ई डी एफ आई हाउस,चौथी मंज़िल, जी.एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी 781 006.
फोन : (91 361) 2237607 / 2237609/2237760, फैक्स : (91 361) 2237701
ई-मेल : eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640, राज भवन रोड, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004.
फोन : (91 40) 23307816-21, फैक्स : (91 40) 23317843
ई-मेल : eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन,चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र), 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016
फोन : (91 33) 22833419 / 20, फैक्स : (91 33) 22891727
ई-मेल : eximkro@eximbankindia.in

मुंबई
मेकर चेंबर्स IV, आठवीं मंज़िल, 222, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
फोन : (91 22) 22823320/92/94, फैक्स : (91 22) 22022132
ई-मेल : eximwrro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
स्टेट्समैन हाउस, तल मंज़िल,148, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110 001.
फोन : (91 11) 23474800, फैक्स : (91 11) 23322758/23321719
ई-मेल : eximndro@eximbankindia.in

पुणे
44, शंकरशेठ रोड, पुणे 411 037.
फोन : (91 20) 26403000, फैक्स : (91 20) 26458846
ई-मेल : eximpro@eximbankindia.in

DOMESTIC OFFICES

Ahmedabad
Sakar II, Floor 1, Next to Ellisbridge Shopping Centre, Ellisbridge P. O., Ahmedabad 380 006. Ph.: (91 79) 26576852/26576843, Fax : (91 79) 26577696
E-mail : eximahro@eximbankindia.in

Bangalore
Ramanashree Arcade, Floor 4,18, M. G. Road, Bangalore 560 001.
Ph.: (91 80) 25585755/25589101-04, Fax : (91 80) 25589107
E-mail : eximbro@eximbankindia.in

Chandigarh
PHD House, Floor 1,Sector 31-A, Dakshin Marg, Chandigarh 160 031
Ph.: (91-172) 2641910/12/39/49, Fax: (91 172) 2641915
E-mail : eximcro@eximbankindia.in

Chennai
Overseas Towers, 4th and 5th Floor,756-L, Anna Salai (Opp TVS), Chennai 600 002.
Ph.: (91 44) 28522830/31, Fax : (91 44) 28522832
E-mail : eximchro@eximbankindia.in

Guwahati
NEDFI House, 4th Floor, G. S. Road, Dispur, Guwahati 781 006
Ph.: (91 361) 2237607/2237609/2237760, Fax : (91 361) 2237701
E-mail: eximgro@eximbankindia.in

Hyderabad
Golden Edifice, Floor 2, 6-3-639/640, Raj Bhavan Road, Khairatabad Circle, Hyderabad 500 004. Ph.: (91 40) 23307816-21, Fax : (91 40) 23317843
E-mail: eximhro@eximbankindia.in

Kolkata
Vanijya Bhawan, Floor 4, (International Trade Facilitation Centre), 1/1 Wood Street, Kolkata 700 016. Ph.: (91 33) 22833419-20, Fax : (91 33) 22891727
E-mail : eximkro@eximbankindia.in

Mumbai
Maker Chambers IV, Floor 8, 222, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Ph. : (91 22) 22823320 / 92 / 94, Fax : (91 22) 22022132
E-mail : eximwrro@eximbankindia.in

New Delhi
Statesman House, Ground Floor, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110 001.
Ph.: (91 11) 23474800, Fax : (91 11) 23322758/23321719
E-mail : eximndro@eximbankindia.in

Pune
44, Shankarseth Road, Pune 411 037.
Ph. : (91 20) 26403000, Fax : (91 20) 26458846
E-mail : eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

अदिस अबाबा
बोले, कीफले केतेमा, केबेले - 19, (03/05), मकान नं. 015-बी, अदिस अबाबा, इथियोपिया.
फोन : (251 116) 630079, फैक्स : (251 116) 610170, ई-मेल: aaro@eximbankindia.in

डकार
पहली मंज़िल, 7, रूए, फेलिक्स फाउर,बी.पी. 50666, डकार, सिनेगल. फोन : (221 33) 8232849,
फैक्स : (221 33) 8232853, ई-मेल : eximdakar@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं. 3, दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पो ओ बॉक्स नं. 506541,
दुबई, यू ए ई. फोन : (971 4) 3637462, फैक्स : (971 4) 3637461
ई-मेल : eximdubai@eximbankindia.in

जोहानिस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3, सैटन, 2196,जोहानिस्बर्ग,
दक्षिण अफ्रीका. फोन : (27 11) 3265103/13, फैक्स : (27 11) 7844511
ई-मेल : eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर की, # 10-02, तुंग सेंटर, सिंगापुर 049319. फोन : (65) 653 26464
फैक्स : (65) 653 52131, ई-मेल : eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंग्टन डी.सी.
1750 पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू, सूइट 1202, वाशिंग्टन डी. सी. 20006,संयुक्त राज्य अमेरिका
फोन : (1 202) 223 3238, फैक्स : (1 202) 785 8487,
ई-मेल : eximwashington@eximbankindia.in

OVERSEAS OFFICES

Addis Ababa
Bole Kifle Ketema, Kebele - 19, (03/05) House No. 015-B, Addis Ababa, Ethiopia.
Ph.: (251 116) 630079 Fax: (251 116) 610170, E-mail : aaro@eximbankindia.in

Dakar
Floor 1, 7, rue, Félix Faure, B.P. 50666, Dakar, Senegal.
Ph: (221 33) 8232849 Fax: (221 33) 8232853, E-mail:eximdakar@eximbankindia.in

Dubai
Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct Building No. 3, Dubai International Financial Centre, PO Box No. 506541, Dubai, UAE. Ph.: (971 4) 3637462
Fax: (971 4) 3637461, E-mail:eximdubai@eximbankindia.in

Johannesburg
Floor 2, Sandton City Twin Towers East, Sandhurst Ext. 3, Sandton 2196, Johannesburg, South Africa. Ph: (27 11) 3265103/13 Fax: (27 11) 7844511
E-mail: eximjro@eximbankindia.in

Singapore
20, Collyer Quay, #10-02, Tung Centre, Singapore 049319.
Ph: (65) 65326464 Fax: (65) 65352131, E-mail : eximsingapore@eximbankindia.in

Washington D.C.
1750 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1202, Washington D.C. 20006,
United State of America. Ph: (1 202) 223 3238 Fax: (1 202) 785 8487
E-mail : eximwashington@eximbankindia.in

संयुक्त उद्यम • ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कंसल्टैंट्स लि., मुम्बई,
वेबसाइट: www.gpcl.in

Joint Venture • Global Procurement Consultants Ltd., Mumbai
Website: www.gpcl.in

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना ''देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्द्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं और आयातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है...''

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981

Objective

The Export-Import Bank of India was established "for providng financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade..."

The Export-Import Bank of India Act, 1981.

www.eximbankindia.in